RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION, JAIPUR

Project by Law Student

Under the guidance of

Chairperson ,
Justice N.K. Jain
(Former Chief Justice
High Court of Madras & Karnataka)

With best Compliments
RSHRC

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of
Hon'ble Mr. Justice
N.K. Jain.
(Former Chief justice of
Madras and Karnataka
High Court)
Chariperson, RSHRC

Prepared by:-Internship students of various law university and colleges.

RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

- The State Government of Rajasthan issued a Notification on January 18, 1999 for the constitution of the State Commission having one full time Chairperson and 4 Members in accordance with the provisions of The Protection of Human Rights Act, 1993. The Commission was fully constituted by appointment of the Chairperson along with the Members and became functional from March 2000. The main mandate of the State Commission is to function as a watch dog for human rights in the State. Under the 1993 Act, human rights are defined in Section 2 (d) and are those justiciable rights which can be enforced in a court of law in India.

- The Rajasthan State Human Rights Commission is reconstituted on 6th July 2005. One of the leading State Commissions in the country. In a short span of about four years it has achieved many milestones in its mission for the protection and promotion of Human Rights.

ISSUES IN HUMAN RIGHTS

- RIGHTS PERSPECTIVE FOR GOOD GOVERNANCE
- CORRUPTION AS VIOLATOR OF HUMAN RIGHTS
- RIGHTS PERSPECTIVE AS CENTER STAGE TO DEVELOPMENT AGENDA

FUNCTIONS OF THE COMMISSION

- The Commission shall perform all or any of the following functions, namely:-
- (a) inquire, suo motto or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf (or on a direction or order of any Court), into complaint of
  - (i) violation of human rights or abetment thereof; or
  - (ii) negligence in the prevention of such violation, by a public servant;
- (b) intervene in any proceeding involving any allegation of violation of human rights pending before a court with the approval of such court

functions contd...

- (c) to visit, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any jail or other institution under the control of the State Government, where persons are detained or lodged for purposes of treatment, reformation or protection, for the study of the living conditions of the inmates thereof and make recommendations thereon to the Government;
- (d) review the safeguards provided by or under the Constitution or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation;
- (e) review the factors, including acts of terrorism that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial

NEED FOR HUMAN RIGHT COMMISSION

- To develop fully the human personality and the sense its dignity .
- To develop attitudes and behaviour to promote respect for the rights of others.
- To ensure genuine gender equality and equal opportunities for women in all spheres.
- To promote understanding and tolerance among diverse national, ethnic, religious, linguistic and other groups.
- To strengthen respect for rights of a human being and fundamental freedom.
- To empower people to participate actively in the life of a free society.
- To promote democracy, development, social justice and communal harmony among citizens.

About Justice N.K. Jain

- **Born on 20.10.1942 at Alwar S/o Late Justice J.P. Jain. He pursued his LLB from Jodhpur University, Rajasthan.**
- **An accomplished sportsman during school and college days and recipient of best sportsman award from Rajasthan University.**
- **Justice Jain has been the State Badminton Champion and has represented the State at Nationals and International levels for 14 years 1955-1968, and in 1977.**

Cont.

- He has been the former Chief Justice of Madras and Karnataka High Court for 5 years . Before taking charge as Hon'ble Chairperson of Rajasthan State Human Rights Commission on 16th July 2005, he had been discharged his duties as Lokayukta & Chairperson of Himachal Pradesh Human Rights Commission in Shimla.
- He has been the member of bar council of Rajasthan for 19 years, till elevated.
- He has also been the member of Bar Council India and Bar Council Trust, NLS Bangalore.
- Justice Jain has created a lot of awareness about Human Rights with great proficiency and tireless efforts.
- Regarding awareness of human rights and many other legal issues, Justice Jain has written many booklets in Hindi as well as English. Some of these booklets are also available on Commission's Website-www.rshrc.nic.in, a German Website herenow4u.de. Some books are also available on his own website: justicenasgendrakjain.com
- Simultaneously, Justice Jain is also creating awareness of the duties mentioned in Article 51-A and made a Performa of these duties in simple language. About 100 educational institutions are taking pledge of these duties at the time of morning prayer. Many N.G.Os are also trying their best for the same awareness, with the inspiration from Justice Jain.
- He had also been Member with two Chief Justice in the Committee constituted by Chief Justice of India to examine the recommendations of Arrears Committee Report 1989-1990 (Justice Malimath Committee Report) and First National Judicial Pay Commission (Justice K. Jagannath Shetty Commission) Report.
- He was Chairman of Advisory Board and then Presiding Officer of the Tribunal Under the Criminal Law Amendment Act from 03-03-1998 to 08-01-1999.
- Executive Chairman of Tamilnadu State Legal Service Authority and patron-in-chief and also of Karnataka State Legal Authority.
- Attendent Chief Justice Conference of chief justice of different countries at colombo.

Hon’ble Chairperson and Members Of Rajasthan State Human Rights Commission are :

From 06-07-2005

Justice N K Jain, Chairperson

Members

Justice Jagat Singh

Shri D.S.Meena

Shri Pukhraj Seervi

Hon’ble Chief *Minister Shri Ashok Gehlot*

Legal Litracy and Awareness Programme

- For the awareness of the human rights in public at large, Justice Jain has wrote about 31 booklets of various legal issues. Out of these booklets 18 booklets have been published by the R.S.H.R.C. Many other organizations, District Legal Aid Authorities, Departments, Schools, Colleges etc. has also published some booklets like Women, Children, Dalits, Arrest, HIV/AIDS, Human Rights etc. by the permission of the Commission. They have distributed these booklets in 70000 in numbers.
- Some of these booklets are available on Commission's website www.rshrc.nic.in and justicenagendrakjain.com. English translation of Some booklets are also available on a German website herenow4u.de.
- The books are:

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain(Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

BOOKS PUBLISHED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. संथारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Fundamental Duties Art 51-A

- The Commission under the guidance of the Hon'ble Chairperson is making the common people aware about the duties mentioned in Art. 51(A) of the Constitution.
- Justice N.K Jain has made the Performa of these duties and distributed. So many institutions have reprinted and distributed in public to create awareness as many people are not aware of their duties.
- He is motivating students of various schools, colleges and other institutions. Students of these institutions are reciting the oath of article 51(A) of Constitution of India under the guidance of R.S.H.R.C.

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : **Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur**
Phone : 0141-2751417, 2751352

Reciting the Pledge - Fundamental duties mentioned in
Article 51 - A, Constitution of India
"We are proud to be an Indian"
It shall be the duty of every citizen of India :
(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals. which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious. linguistic. and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests. lakes. rivers and wild life. and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper. humanism and the spirit of inquiry and reform;
(I) to safeguard public property and to abjure violence;
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.
for legal awareness and in public interest published by -
RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION
sos building secretariat jaipur. www.rshrc.nic.in / www.herenow4u.de

Students reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

- In addition to that in legal literacy and awareness program, chairman motivated students and even general public to recite the pledge as mentioned in article 51(A) of Constitution of India. It is good sign that so many schools have started taking prayer as per instructions of different concerned authorities as per the request of the commission. Some of them are as follows:-

STUDENTS OF BIYANI GIRLS' COLLEGE, JAIPUR TAKING OATH OF SECTION 51(A) OF CONSTITUTION OF INDIA UNDER THE GUIDELINES OF RSHRC.

Students of some institutions reciting the oath of section 51(A) of Constitution of India under the guidelines of RSHRC.

Students reciting the pledge.

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग
अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस
(10 दिसम्बर)
“अधिकारों के प्रति जागरूक रहो-कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।”
-अध्यक्ष : जस्टिस एन. के. जैन
(पूर्व मुख्य न्यायाधिपति-मद्रास व कर्नाटक हाईकोर्ट)
Rajasthan State Human Rights Commission
“BEWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION”
Chairperson : Justice N.K. Jain

Rajasthan State Human Rights Commission Jaipur

Project on:-

DIRECTIONS GIVEN BY HUMAN RIGHTS COMMISSION

Under the guidance of Hon’ble Mr. Justice N.K. Jain.

(Former Chief justice of Madras and Karnataka High Court)
And
Chairman of RSHRC, Jaipur

Prepared by:- Keshav Gaur
B.A L.LB (Hons.)
(Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala, Punjab.)

About project

Rajasthan state human rights commission helps government to expose the negligence or lack of duties of people or public administer bodies, it gives awaking in people mind to entrust their rights and duties. My project gives the wide information regarding various directions given by **Rajasthan Human Right Commission** and expose various complaints and problems for awareness of human rights and duties in people's mind , raise by electronic media, news papers and other means.

में इन मानवाधिकारों की जानकारी होनी जरूरी है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष **नगेंद्र कुमार जैन** *बता रहे हैं मानवाधिकार के विषय में–*

मानवाधिकार क्या हैं?

मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो प्रत्येक इंसान को जन्मजात मिले हैं। प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, अभिरक्षा में यातना और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार हैं। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा या लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता। 10 दिसंबर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। उस समय पूरे विश्व की जनता द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा से त्रस्त होकर शांति की चाह में थी। तभी से हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना?

भारत सरकार ने मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितंबर, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च, 2000 में हुआ।

संदर्भ

मानवाधिकार दिवस (10 दिसंबर)

एक आम आदमी आयोग में कैसे शिकायत कर सकता है?

एक सादा कागज पर हाथ से लिखकर या ई-मेल या फैक्स से निम्न सूचना अंकित करें–

◎ पीड़ित का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पूरा पता।

◎ जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

◎ शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित)।

◎ घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते (यदि ज्ञात हों)।

◎ घटना की पुष्टि करने के दस्तावेजी सबूत (यदि हों तो)।

◎ यदि किसी अन्य अधिकारी/ कार्यालय/ मंत्रालय को शिकायत भेजी हो, तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई, तो उसका विवरण।

◎ पहले भी आयोग में शिकायत की हो, तो विवरण एवं परिणाम।

शिकायत पर हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान जरूर लगाएं। घटना घटने के एक साल के भीतर ही शिकायत करें। शिकायत आयोग के टेलीफोन नंबर पर भी की जा सकती है।

– जैसा कि **आशीष जैन** *को बताया*

किस भाषा में करें शिकायत

हिंदी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में शिकायत लिख सकते हैं। शिकायत के लिए कोई फीस नहीं है। शिकायत अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। आयोग जब भी आवश्यक समझे, आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है।

शिकायत करें

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली– 110001
वेबसाइट– www.uhrc.nic.in
मोबाइल नं. 9810298900

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय
जयपुर, ई-मेल: rshc@raj.nic.in
वेबसाइट– www.rshrc.nic.in
टेलीफोन नं. 2227868

JAIPUR, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2009

'Save environment through public awareness'

So say experts at city seminar

HT Correspondent

ENVIRONMENTALISTS, legal experts, groundwater scientists, wildlife lovers, teachers and representatives from various NGOs gathered to review the environment and environment related laws in a seminar on Challenges of Environment Law and Compliance.

Environment and Forest Ministry, Central Groundwater Board and Wing of Research in Local Development (WORLD), the NGO jointly organised this seminar at the conference hall of Central Groundwater Board in Jhalana Dungari.

Justice Rajendra Saxena presided over the seminar, while State Human Right Commission chairman Justice NK Jain was the chief guest.

Justice Jain while putting the legal side in environment related cases, appealed to the participants to be aware towards rights and to remain committed to their duties.

He emphasised the officers or the concerned departments to ensure strictly following the environment laws.

Chief Wildlife Conservator SK Shrivastava said, "Just framing laws is not the solution, but it is to make general people understand about the importance of environment by making them aware then only laws could be strictly followed."

"Environment cannot be conserved with punitive action, but the objective can be achieved only through public awareness," he added.

Central Ground Water Board Regional Director Dr RP Mathur advocated for strict law and told the importance of water conservation explaining the receding groundwater situation in the State.

University of Rajasthan environment expert Dr TI Khan said, "If we do not get alert by now and if g emission of greenhouse gases continue in the same manner then by the end of the 21st century, the temperature of the earth would increase by 2-5 degree Celsius and the entire world has to face its ill-effect."

Holiday Inn general manager Swaroop Mehta gave a detailed presentation on 'Compliance of environment law in India compared to international laws and convention'.

WORLD director Manish Saxena explaining about the objective of the seminar said it was organised to collect information to deal with legal hassles.

समाजसेवी एन.के. जैन और मानव अधिकार

जस्टिस एन.के. जैन साहब इन दिनों में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। आप पूर्व में मुख्य न्यायाधिपति मद्रास व कर्नाटक होई कोर्ट रह चुके हैं। आपने राज्य की आम जनता के नाम अपनी अपील में आह्वान किया है "अधिकारों के प्रति जागरूक रहो कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो।"

एन.के.जैन मानवीय संवेदनाओं से अभिभूत हैं। आपके स्वभाव में विनयशीलता सर्वोच्च स्तर पर है। वस्तुत: शिक्षा का लक्ष्य भी यही है कि व्यक्ति का आचरण विनयशील हो। विद्या का भी मूल मंत्र है "विद्या ददाति विनयम।"

समाज में न्याय का शासन हो। सामाजिक न्याय के प्रति हम क्रियाशील बनें। शोषण से मुक्ति के लिए न्याय से अच्छा कोई मार्ग नहीं हो सकता है। न्याय को जीवन में ढालने के लिए परम पवित्र पुस्तक "संविधान" को स्पर्श करना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जैन साहब ने भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 ए के संकल्प को रोजना दोहराने का आह्वान किया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग– सभी बालक, विद्यार्थी व नागरिक बन्धु से अपेक्षा करता है कि संविधान में वर्णित मुख्य कर्तव्यों का पालन करे।

आयोग द्वारा प्रकाशित व प्रसारित एक हैंडबिल में भी निम्नलिखित नागरिक प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है:–

"मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूं और कर्त्तव्य निष्ठा से..."

मैं

. संविधान का, राष्ट्र–ध्वज का एवं राष्ट्र–गान का आदर करूंगा।

. राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करूंगा।

. देश की, भारत की एकता–अखण्डता और प्रभुता की एवं वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करूंगा।

. राष्ट्र की सेवा करूंगा।

. स्त्रियों के समान के विरूद्ध प्रथाओं का धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव का त्याग करूंगा।

. प्राणि मात्र के प्रति दाया भाव रखूंगा।

. हिंसा से दूर रहूंगा।

. सार्वजनिक सम्पत्ति की संरक्षा करूंगा।

. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का, सुधार की भावना का विकास करूंगा।

. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करूंगा।

. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने को प्रयास करूंगा।

वैसे तो एन.के.जैन जैसे व्यक्तित्व को जैन कॉम्युनिटी की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि वे तो एक संस्था स्वरूप हैं और सम्पूर्ण मानवता के प्रति समर्पित है। वे मानव अधिकारों की व्याख्या करते हैं तो हर मानव को हर क्षेत्र में शोषण व उत्पीड़न से मुक्त देखना चाहते हैं।

यही वजह है कि वे बालकों व विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं। वे महिलाओं के लिए सम्मान का जीवन जीने के लिए उनके मानवीय व मूलभूत अधिकारों को फलीभूत होता देखना चाहते हैं। वे महिला वर्ग को अनेक कुरीतियों से बचाना चाहते हैं, वहीं उन्हें पुरूष समकक्ष आदर व विकास के अवसर प्रदान करना चाहते हैं। एन.के.जैन जैसे संवेदनशील, कर्त्तव्यनिष्ठ, देशप्रेमी व मानवतावादी व्यक्ति ही हर दिन मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्षशील रहते हैं। जस्टिस जैन राजस्थान की आम जनता व आम आदमी के संरक्षण के लिए, समान अवसरों को मुहैया कराने के लिए, प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं। वस्तुत: अखिल भारतीय जैन कॉम्युनिटी एवं एन आर आईज जैन कॉम्युनिटी को इसी बात का गर्व है कि उनके समाज की उर्वरा भूमि में ऐसे कल्याणकारी बीज का बीजारोपण हुआ और जिनेन्द्र भगवान की कृपा से मानव समूह का संरक्षण व पोषण हो पाया। श्री एन के जैन का व्यक्तित्व व प्रतिभा में अनेक विशिष्ट गुण होने से वह संस्थागत स्वरूप ग्रहण कर चुका है। आपकी मिलनसारिता, सहयोगवृत्ति, लेखन अभिवृत्ति, नियमित जीवन शैली, अहिंसा प्रियता ने जयपुर के नागरिक समाज पर अमिट छाप अंकित की है। इसीलिए हमारा जयपुर समाज भी आपके लिए गौरव अनुभव करता है और भगवान जिनेन्द्र से आपकी चिरायु व खुशहाली की कामना करता है।

सारांशत: वर्तमान में मानव अधिकारों पर होने वाले अतिक्रमणों से मानव अधिकारों का संरक्षण करना है और स्वतंत्रत भारत के नागरिकों को उनके महत्वपूर्ण कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता बनाना है। ऐसा हमारा अभिमत है। सद्‌भवनाओं सहित–

–एम.एल.धौंकरिया

31 booklet have been written by Justice Nagendra Jain(Chairperson RSHRC, Jaipur) on different legal and important issues

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, (पूर्व मुख्य न्यायाधिपति मद्रा एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय)ने विविध विषयों पर लेख/लघु पुस्तिकाएँ आदि लिखी हैं। जिनका प्रकाशन भी किया गया है। इन लेखों/लघु पुस्तिकाओं में से कुछ निम्न है:—

1. सन्थारा/सल्लेखना (हिन्दी व अंग्रेजी में) **www.herenow4u.de (Eng.)**
2. भारतीय संस्कृति में अहिंसा व मानव अधिकार (हिन्दी व अंग्रेजी में)
3. अणुव्रत व मानवाधिकार
4. खेल, खिलाड़ी व खेल भावना
5. बालकों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
6. अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर। *(पुनः प्रकाशित)*
7. एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
8. मानवाधिकार और जैन धर्म। (हिन्दी व अंग्रेजी में)
9. आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
10. आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
11. भारतीय संविधान की अनुच्छेद–21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
12. महिलाओं के अधिकार– संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी। *(पुनः प्रकाशित, पुनः प्रकाशित 2008)*
13. दलितों के अधिकार। *(पुनः प्रकाशित)*
14. मानव अधिकार और राज्य की जनोपयोगी योजनाएं।
15. गिरफ्तारी (ARREST) *(पुनः प्रकाशित)*
16. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।
17. जेल, कारावास से संबंधित प्रावधान व गतिविधियाँ।
18. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ 2007
19. आयोग के महत्वपूर्ण कार्यकलाप दिशा–निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ *(पुनः प्रकाशित–2008)*
20. Judicial Values & Ethics for Judicial Officers. **www.rshrc.nic.in**
21. Advantage to Litigant Public by Brihat Lok Adalat.
22. Alternative Dispute Resolution, Conciliation & Mediation (ADR).
23. Institutional Arbitration Intellectual & Information Technology (IPR & IT).
24. Cyber Law.
25. Copy-right Law.
26. e-governance and Court Automation.
27. Article-14 Right to Equality.
28. Gender Justice in Employment & in Profession, Empowerment of Women.
29. Law of Precedent, Reference to Art. 141.
30. Directive Principal of State Policies.
31. Public Interest Litigations & others.

Rajasthan State Human Rights Commission

“BEWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION”

Chairperson : Justice N.K. Jain

DIRECTIONS GIVEN BY STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

And Awareness Programmes

Direction for Children and Students

1. परिवाद संख्या– 07/17/3497सचिव, प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को निर्देश दिए गये कि वे स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट व अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों को संवेदनशीलता व समझबूझ से काम लेने के निर्देश देवें।

2. परिवाद संख्या– 8/17/1379 में स्कूल प्रशासन द्वारा फीस लौटाने के मामले को स्कूल प्रशासन की *Competence* का माना जाकर स्कूल प्रशासन से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की थी। फिर भी स्कूल प्रशासन ने अपेक्षित कार्यवाही कर आयोग को सूचित कियझं

3. परिवाद संख्या– 08/17/2815 में एनटीटी छात्राओं के साथ हुई मारपीट के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारीगण से अपेक्षा की गई कि वे आयांदा अधिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ऐसी परिस्थितियों का निपटारा करें।

4. आयोग ने परिवाद संख्या 01/08/356 एवं 03/17/2423 में अंध
विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की आँखों का पीरिडिकल चैक-अप व
निःशुल्क उपचार के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल
अपील संख्या 679/03 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप समय-समय पर
विभागों द्वारा संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट लेने हेतु कहा, जिससे न्यायालय
की अवमानना से बचा जा सके।

5. परिवाद संख्या 6/26/1831 में परिवादी श्री पुरुषोत्तम लाल पुरोहित, निवासी पाली ने आयोग के निर्देशानुसार परिवादी का जी.पी.एफ अंतिम निकासी रु. 29561/— का भुगतान एवं केन्द्रीय कर्मचारी बीमा समूह 80 का भुगतान रु. 7127/— किया जा चुका है।

6. *18—परिवाद सॅख्या 06/26/193* आयोग द्वारा आयुक्त कालेज शिक्षा से रिपोर्ट तलब करने पर परिवादी श्री एम. एल. आछा को निलम्बनकाल के वेतन भत्तो का भुगतान कर दिया गया।

7. परिवाद संख्या–09 / 17 / 193 में रैगिंग के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही व प्रिंसिपल / पेरेन्ट्स / विद्यार्थियों में आपसी समन्वय बनाये रखने हेतु माहेश्वरी पब्लिक स्कूल को न्यायोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गये।

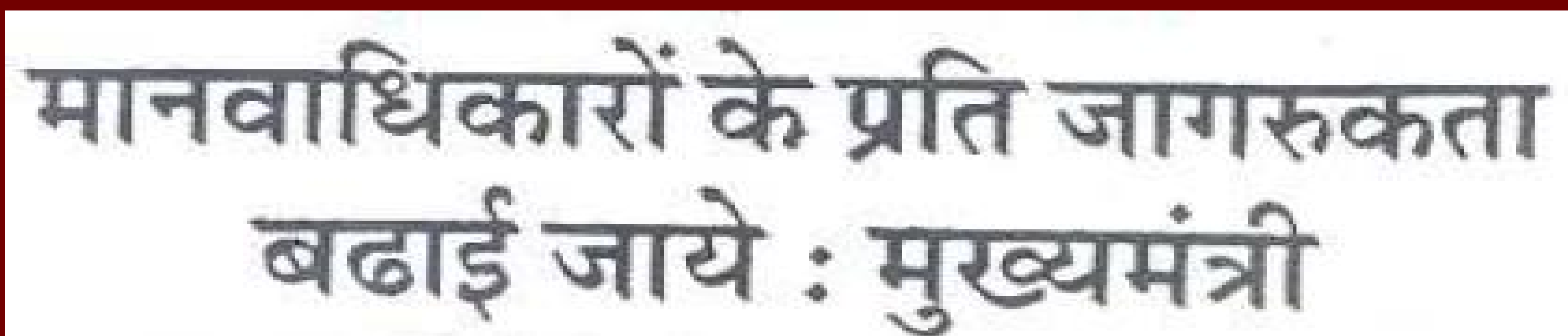
मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता बढ़ाई जाये : मुख्यमंत्री

Role Of Media In Welfare Of Children & Students

9 राजस्थान पत्रिका
जयपुर, सोमवार, 30 नवम्बर 2009

बाल अधिकारों के तैयार होंगे पैरोकार

जयपुर, 29 नवम्बर (का.सं.)। राज्य में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं उनके संरक्षण के लिए प्रशिक्षक तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व राज्य मानवाधिकार की ओर से इसके लिए यहां हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बुधवार सुबह दस बजे तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होगी।

कार्यक्रम में बाल अधिकार व उनके संरक्षण से जुड़े 14 पहलुओं पर तकनीकी सत्र रखे गए हैं। कार्यक्रम का शुभारम्भ राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उच्च न्यायालय न्यायाधीश के.एस. राठौड़, पूर्व न्यायाधीश एस.एन. भार्गव व वाई. आर. मीणा व वी.एस. दवे, महाधिवक्ता जी.एस. बापना, यूनिसेफ प्रतिनिधि शिखा बाधवा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की प्रमुख सचिव मालोविका पंवार व आईपीएस अधिकारी टी.एल. मीणा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। समापन समारोह को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अलका काला संबोधित करेंगी।

just जयपुर
शनिवार 5 दिसम्बर, 2009 16

बच्चों के प्रति उचित व्यवहार जरूरी

जयपुर। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली और हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के सहयोग से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग की ओर से 'बच्चों के अधिकार एवं उनके संरक्षण' विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुक्रवार को संपन्न हुई। प्रशिक्षण शिविर के आखिरी दिन पहले सेशन में राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस करणी सिंह ने बच्चों से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और प्रत्येक बच्चों को उनका हक मिले इसके लिए सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाना चाहिए।

जनवाणी

खेल मैदान रहित विद्यालय बालकों के मानवाधिकारों की उपेक्षा

जब शिक्षा अधिकार के लिए अधिनियम बनाया जा रहा है और 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप में दी जा रही है तो विद्यालयों में बालकों का सही-सही निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। बालकों की पीठ पर बस्तों का बोझ तो बढ़ा दिया गया है, और अभिभावकों की जेब पर भी भारी भरकम फीस का भार भी बढ़ा दिया गया है, परन्तु विद्यालय का स्वरूप सही मायने में "विद्यालय" का नहीं है। केवल कमरों का निर्माण करा देना विद्यालय नहीं कहला सकता है। किसी मंदिर धर्मशाला को भी विद्यालय नहीं कहा जा सकता है। बालक पशु समकक्ष नहीं है, जिन्हें जहां चाहे वहां खूंटे के बांध दिया जाय।

"विद्यालय" का नाम धारण कराने के लिए प्रथत: आवश्यकता "खेल का मैदान" है। क्या हमारे प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पास निजी खेल का मैदान है। उत्तर स्पष्ट है कि किसी भी आम विद्यालय को विद्यार्थी के लिए सुविधा प्राप्त नहीं है।

पूर्व प्राईमरी और प्राईमरी स्कूलों के बच्चे खेल खेल नहीं पाते है क्योंकि उनके स्कूलों में न तो खेल का मैदान है, और न ही खेल शिक्षक है, और न ही खेल उपकरण व सामग्री है। बालकों के लिए खेल नैसर्गिक प्रवृति है। ईश्वर ने बालकों को खेलने की एनर्जी प्रदान की है और यू.एन. चार्टर के मानवीय अधिकारियों में बालकों को खेलने का अधिकार प्रदान किया है।

"खेल" तो बालक की भूख है। इसे छिना नहीं जाना चाहिए अपितु पर्याप्त रूप में मुहैय्या करवाया जाना चाहिए।

बालकों के लिए "खेल मैदान" शिक्षा प्राप्ती का सबसे प्रभावी माध्यम है। शिक्षा का ध्येय बालक का सर्वांगिण विकास है। अत: खेल मैदान में बालक का शारीरिक विकास होता है। समूह भावना (टीम स्प्रिट) खेल मैदान में ही विकसीत हो सकती है। यहां तक की राजा-रंक में समानता जन्म लेती है।

लोकतांत्रिक देशों में सर्वशिक्षा अभियान चलाये जाते हैं जो बालकों को साक्षर तो बना सकते हैं किन्तु शिक्षित नहीं कर पाते हैं कोई बालक शिक्षित तभी कहलाता है जब इसमें ईसानियत के गुण समाविष्ठ हों। खेल मैदान में सच्चे इंसानों का निर्माण होता है।

क्योंकि यहां परिश्रम, सहकार, टेक्नीक, कला, स्वस्थ्य प्रतियोगिता, हार-जीत का संगम, करूणा व मदद की आदतों का निर्माण हुए बिना नहीं रहता है। खिलाड़ी-विद्यार्थी देश की अमूल्य निधि हैं, राज्य एवं समाज की प्रतिभा है। जिन स्कूलों में अच्छे खिलाड़ी जन्म लेते हैं वे स्कूल मानवता के सच्चे पुजारी हैं।

हमने देखा कि राजस्थान में राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस एन.के.जैन अपने छात्र-जीवन काल के बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं, अत: उनमें स्पोर्टस मैन स्प्रिट दृष्टिगोचर हुए बिना नहीं रहती है। जो अनेक केसेज का समाधान दोनों पक्षों की गलतफहमियों को दूर करके कर दिया करते हैं और उन्हें पुन: मित्रता व सहयोग की डोरी में बांधते हैं।

जस्टिस जैन का कहना है कि खेल खेलते समय खिलाड़ी में दूरदर्शिता विकसित हो जाती है और संघर्ष करते हुए हिम्मत व हौसला बनाये रखने की शक्ति मिल जाती है। अत: जीवन की सच्ची शिक्षा खेल में ही मिल पाती है। हमारे देश में ऐसा कोई विद्यालय नहीं होना चाहिए जिसमें खेल का मैदान न हो। खेल मैदान पर खेल खेलना बालकों का मानवाधिकार है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए- ऐसा हमारा अभिमत है।

एम.एल.धोकरिया, जयपुर

राष्ट्रदूत दैनिक
9.9.2009

9.9.09

जनवाणी

बालकों के बस्ते का बढ़ता बोझ मानव अधिकार का सीधा हनन!

आजकल अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में फीसों में भारी वृद्धि ही नहीं हो रही है, अपितु उनके यहां पढ़ रहे बालकों के बस्ते का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। बालकों को एक प्रकार का उपभोक्ता समझ लिया गया है। प्रबंधक अपने कस्टमरों से जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार छात्र-छात्राओं के साथ होने लगा है। इंग्लिश मीडियम स्कूलें पूरी तरह बाजार पर निर्भर रहने लगी हैं। प्रस्तावित पाठ्पुस्तकें भारी एवं मंहगी हैं। गृहकार्य के लिए कापियां पुट्ठेदार और भारी भरकम हैं। विषयों की संख्या के अनुसार पाठयपुस्तकों एवं कापियों की संख्या निर्धारित कर दी जाती है और पेरेन्टस को हिदायत दे दी जाती है वे उन्हें खरीदें। आजकल कक्षाकार्य के लिए अलग से कापियां प्रस्तावित की जा रही हैं। बालकों के बस्तों में अन्य सामग्री जैसे ड्राइंग बॉक्स, कलर बॉक्स, खाने का टिफिन, दैनिक डायरी, अन्य टीचिंग उपकरण भी प्रवेश कर जाती हैं तो बस्ते का बोझ प्राय: डबल हो जाता है। देखने में आ रहा है कि केजी क्लास से सेकिण्ड स्टेण्डर्ड तक बस्ता 5 के.जी., थर्ड से फिफ्त स्टेण्डर्ड तक बस्ता 10 केजी, सिक्सथ से ऐथ स्टेण्डर्ड तक 15 केजी का होता है।

बालकों पर गृहकार्य (होमवर्क) का भार निरंतर बढ़ रहा है। प्रत्येक पढ़ाने वाला शिक्षक या शिक्षिका लिखित गृह कार्य प्रस्तावित करते चले जा रहे हैं। घर पर बच्चों को खेलने का अवकाश बिल्कुल नहीं मिल पाता है। यहां तक कि घर की मम्मी भी बालकों के गृहकार्य हल करवाने में व्यस्त रहती है तथा सामाजिक व धार्मिक प्रवृतियों से प्राय: कट चुकी हैं। पैरेन्ट्स के मन मस्तिष्क पर इंगलिश मीडियम स्कूलों का ग्लेमर चढ़ गया है। अब तो बालक को पहली कक्षा से कम्प्यूटर लिट्रेसी सिखाई जाने वाली है। अत: बालक के मस्तिष्क पर नया भार और प्रवेश कर जायगा। उस समय बालक खेल मैदान, पुस्तकालय, वाचनालय, विज्ञान लेब-से बिल्कुल कट जायगा। वह तो टेलीविजन से घर पर पहले ही चिपका हुआ है और अब कम्प्यूटर से और चिपक जायेगा। बाल विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि भारी भरकम बोझीले बस्तों ने बालकों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाई है। बच्चों के शोल्डर, नैक और लोअर बेकपेन रहने लगता है। भारी बैग बच्चे का एलाइन्मेंट बिगाड़ देता है। बच्चों में सीढ़ियां चढ़ते वक्त श्वांस प्रोबलम भी रहने लगी है। पांच-सात वीक बाद ये क्रानिकल प्रोबलम बन जाती है। वीक बॉडी स्ट्रक्चर के कारण बच्चा चिड़चिड़ा और डिप्रेशन का शिकार तक हो सकता है। अत: हमारी दृष्टि में बोझीला बस्ता बालकों के मानव अधिकार का सीधा हनन है - इस पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाना चाहिए ऐसा हमारा अभिमत है।

- एम.एल.धोकरिया, जयपुर

Sir,

Pl. find enclosed herewith Two Articles, being prepared & published for strengthening Human Rights under your able guidance & leadership.

Your good name also appeared under reference in article of 9.9.09.

Hope you would like to go through them & convey [illegible]. Thanking you.

छात्रों को पिलाई जाएगी मूल कर्तव्यों की घुट्टी

मानवाधिकार आयोग की पहल पर शिक्षा विभाग से आदेश जारी

जयपुर, 19 जुलाई (का.सं.)

छात्र जीवन से ही नागरिकों को मूल अधिकारों के साथ मूल कर्त्तव्यों की पालना की घुट्टी पिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संवैधानिक कर्त्तव्यों के पालन का संकल्प दिलवाने का आदेश दिया है।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने नागरिकों को मूल कर्त्तव्यों की पालना का संकल्प दिलाने के लिए एक प्रारूप तैयार किया है, जिसकी प्रतियां आधा दर्जन से अधिक मंत्रियों, अधिकारियों तथा कई दर्जन स्कूलों में भिजवाई गई है। शिक्षा विभाग ने आयोग के सुझाव पर माध्यमिक, प्राथमिक और संस्कृत शिक्षा के निदेशकों को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51-ए में उल्लेखित मूल कर्त्तव्यों की पालना का संकल्प दिलवाएं।

क्या हैं मूल कर्त्तव्य

संविधान में नागरिकों के मूल कर्त्तव्य इस प्रकार हैं-
- संविधान और उसके आदर्श, राष्ट्रगान व राष्ट्रध्वज का आदर करें
- राष्ट्र भावना के लिए प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करें
- भारत की प्रभुता, एकता-अखंडता, सार्वजनिक सम्पत्ति, वन, झील, नदी व वन्य जीवों की रक्षा करें
- स्त्री सम्मान विरोधी प्रथाओं का त्याग करें
- हिंसा से दूर रहकर प्राणियों के प्रति दयाभाव रखें
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास करें
- सभी नागरिकों में समरसता व भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।

सीकर • गुरुवार • 21 फरवरी, 2008 | 11
राजस्थान पत्रिका

झुंझुनूं के सेठ मोतीलाल कॉलेज में सेमीनार में मंचस्थ अतिथि।

मानवाधिकार का औचित्य बताया

पत्रिका संवाददाता
झुंझुनूं,20 फरवरी

सेठ मोतीलाल विधि महाविद्यालय के तत्वावधान में बुधवार को मानवाधिकार एवं राष्ट्रीय हित विषय पर सेमीनार हुई। सेमीनार में मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन थे। उन्होंने मानवाधिकार का औचित्य बताते हुए आयोग के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। जैन ने मानवाधिकार के कार्यक्रमों का क्रियात्मक रूप देने पर जोर दिया। प्राचार्य डा. अब्दुल हमीद ने मानवाधिकारों पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था निदेशक जीएल शर्मा ने की। संचालन अतुल भटनागर ने किया। अंत में प्रो. दिनेश गौतम ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।

सीकर • गुरुवार • 21 फरवरी, 2008 | 14
राजस्थान पत्रिका
डाक पंजीयन संख्या : सीकर /13/06-08

जागरुकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोर्टर
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइटस कमीशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ़ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मदुरै व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनैस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइटस जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन हैं। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियोला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संध्या रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरीना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।

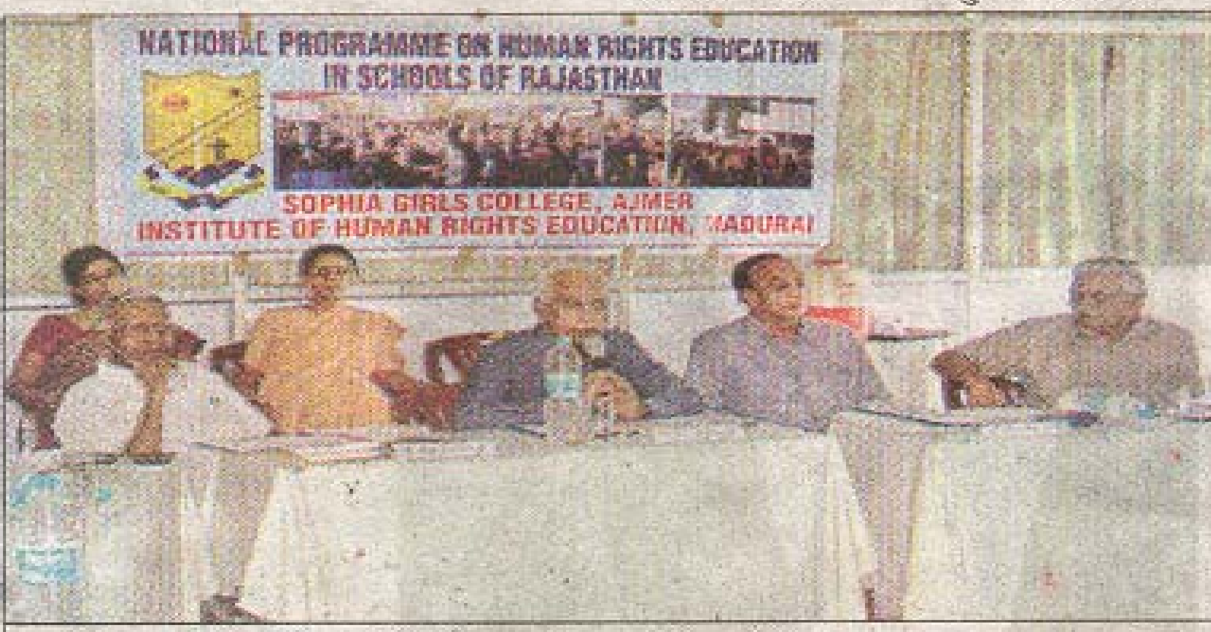

सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि। — स्टाफ अजमेर

मानवाधिकार शिक्षा को सरकारी स्कूलों में लागू करने की सिफारिश

राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक

अजमेर,18 सितंबर (कासं)। मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र को व्यापक बनाने के लिए इसके पाठ्यक्रम को सरकारी स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को इसकी सिफारिश की है कि बच्चों में इस विषय के प्रति रूझान लाने के लिए इसे अनिवार्य विषय बनाया जाए। यह निर्णय गुरूवार को प्रदेश में चल रहे मानवाधिकार शिक्षा की राज्य स्तरीय परामर्श समिति की पहली बैठक में लिया गया।

सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन. के. जैन ने कहा कि इससे जुड़े विभिन्न कानूनों कानून की जानकारी कॉलेजों और स्कूलों में देनी शुरू की गई है। यह एक गंभीर विषय है, प्रत्येक नागरिक यदि अपने अधिकार के साथ-साथ जिम्मेदारी का भी निर्वाह करता है, तो प्रदेश में हो रहे उत्पीड़न के मामलों में कमी आएगी। जैन ने कहा कि स्कूलों में मानवाधिकार शिक्षा को शुरु से लागू किया जाना चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार को लिखा गया है।

बैठक में आसाम मानवाधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष जस्टिस एस.एन. भार्गव ने कहा कि मानवाधिकार संवेदनशील मुद्दा है और इसके लिए आयोग के अधिकारियों को भी संवेदनशील होना जरूरी है। उन्होंने बच्चों को मानवाधिकार शिक्षा की जरूरत बताते हुए कहा कि यही भविष्य के जिम्मेदार नागरिक है। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से इस विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाने पर बल दिया। मानवाधिकार शिक्षा की प्रदेश प्रमुख सोफिया कॉलेज की प्राचार्या सिस्टर सरीना ने पिछले तीन साल में मानव अधिकार शिक्षा से आए बदलाव की जानकारी देते हुए कहा कि विद्यार्थी इस विषय को पढ़कर संवेदनशील हो रहे हैं। उन्होंने इस विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने पर बल दिया। सोफिया स्कूल की प्राचार्या सिस्टर अर्लिन ने नुक्कड़ नाटकों और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता लाने के लिए कहा।

बैठक में महानिरीक्षक (जेल) आर के सक्सेना, दलित अधिकार केन्द्र के निदेशक पी एल मिमरोथ, श्रमजीवी कॉलेज के कार्यकारी प्राचार्य अनन्त भटनागर और वकील किशन गुर्जर ने भी अपने विचार प्रकट किए। बैठक में सोफिया कॉलेज की उप प्राचार्या सिस्टर पर्ल, व्याख्याता श्रीमती संध्या रैना, डा. ज्योति चंदेला, संगीता सावंत और नलिनी बहुगुना ने प्रदेश में चल रही मानव अधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम की जानकारी दी। यह माड्यूल सोफिया कॉलेज की व्याख्याताओं ने तैयार किया है। बैठक का संचालन प्रदेश समन्वयक सश्री अर्चना शर्मा ने किया।

सुबोध पब्लिक स्कूल में जैन रत्न युवक परिषद की ओर से विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान। फोटो: महका भारत

बच्चे क्रोध पर नियंत्रण रखें-जैन

डी.आर. मेहता व हीरावत सम्मानित

जयपुर, 6 जुलाई (कासं)। जैन रत्न युवक परिषद के तत्वाधान में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 16 मई से 16 जून तक चले धार्मिक शिक्षण शिविरों का रविवार को रामबाग सर्किल स्थित सुबोध पब्लिक स्कूल में समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह के अध्यक्षता सेबी के पूर्व अध्यक्ष डी.आर. मेहता ने की। मुख्य अतिथि राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन थे।

गुणीजन सम्मान कार्यक्रम में मौनव्रती कुशलचन्द हीरावत का विनयचन्द डागा द्वारा व डी.आर. मेहता का आनन्द चौपडा द्वारा अभिनन्दन किया गया। हीरावत ने पिछले डेढ़ साल से निःशब्द मौन धारण कर रखा है। मेहता को समाज व धर्म की सेवा के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का शुभारम्भ शिविर की बालिकाओं द्वारा मंगलाचरण से हुआ। शाखा प्रमुख सुनील मोहनोत ने युवक परिषद की जयपुर शाखा द्वारा वर्ष भर में आयोजित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी दी।

श्रावक संघ के अध्यक्ष सुमेरसिंह बोथरा ने अपने उद्बोधन में कहा कि परिषद इस प्रकार के धार्मिक शिक्षण शिविरों के आयोजन कर बच्चों में धार्मिक संस्कार डाल रही है जो निश्चित सराहनीय कार्य है। कार्यक्रम के बीच में शिविरार्थी महिमा ने भजन तथा पूनम डागा ने माता-पिता के सम्मान पर वक्तव्य प्रस्तुत किया।

अध्यक्षीय भाषण में डी.आर. मेहता ने कहा कि बचपन में जो संस्कार शिविरों के माध्यम से पड़ जाते हैं वे हमारे जीवन भर काम आते है। जस्टिस जैन ने शिविरों की उपयोगिता बताते हुए कहा कि जो हम वर्ष भर स्कूल में नहीं सीख पाते वो हम शिविरों के माध्यम से आसानी से सीख जाते है। उन्होंने बच्चों को जीवन में सफलता के लिए विनयशील एवं मितभाषी होने का महत्व समझाते हुए क्रोध पर नियन्त्रण रखने की प्रेरणा दी। समारोह में बेस्ट टीचर अनुज कोठारी, परीक्षा में प्रथम शुभम जामड़ व द्वितीय शुभम कुचेरिया, भजन में यश तथा भाषण में सलोनी जरगड़ को पुरस्कृत किया गया। शिविर में भाग लेने वाले सभी बच्चों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए।

प्रतिभा सम्मान समारोह आज

जयपुर। राजापार्क स्थित आदर्श विद्या मन्दिर में मंगलवार को सांय 5 बजे प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा। विद्या भारती के संगठन मंत्री शिवप्रसाद ने बताया कि 10वीं की वरीयता सूची में अधिकतर स्थान आदर्श विद्या मन्दिर के छात्रों के ही हैं। उन सभी छात्रों का सम्मान किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे, शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भरतराम कुम्हार एवं मुख्य वक्ता के रूप में विद्या भारती के मंत्री नरेन्द्रजीतसिंह रावल उपस्थित होंगे।

Directions for Police

1. परिवाद संख्या– 07/17/3885 में परिवादी के साथ एक पुलिसकर्मी द्वारा किए गये अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार पुलिसकर्मी पूरणमल, उप निरीक्षक के विरूद्ध धारा– 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया गयझं
2. परिवाद संख्या– 06/17/1637 में शिप्रापथ थाने के पुलिसकर्मियों द्वारा अकारण परिवादी से मारपीट करने के मामले व बार–बार तलब करने पर भी पुलिसकर्मी चन्दन सिंह के आयोग के समक्ष उपस्थित न होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

3. परिवाद संख्या– 07/17/2711 में परिवादी द्वारा अपनी शिकायत एस.डी.एम. कोटपूतली, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, महानिदेशक पुलिस व विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री महोदया सहित कई स्थानों पर दर्ज कराने और उन पर जारी निर्देशों के बावजूद भी कार्यवाही नहीं होने की दशा में जिला कलेक्टर को नियमानुसार त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

4. परिवाद संख्या– 07/17/2021 में एक लावारिस बच्चें की लाश को पुलिसकर्मियों द्वारा बिना परिजनों को सूचित किए जला देने के मामले में आयोग के निर्देशानुसार दोषी पुलिसकर्मियों को धारा– 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही के तहत् दोषी पुलिसकर्मी ओमप्रकाश (उपनिरीक्षक) को परिनिंदा के दण्ड से व रिछपाल सिंह (कानि0 6263) को भविष्य के लिए चेतावनी के दण्ड से दंण्डित किया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

5. परिवाद संख्या– 06/17/2384 में परिवादी को पुलिसकर्मी द्वारा डराने धमकाने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षकगण जयपुर शहर (उत्तर)/कोटा को लिखा गया कि वे सम्बन्धित पुलिसकर्मियों को पाबन्द करें कि वे बिना वजह परिवादी या अन्य किसी व्यक्ति को धमकी न देवें। इस आदेश की पालना में पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर उत्तर, जयपुर द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त थानाधिकारियों व वृत्ताधिकारियों को पाबन्द करवा कर आयोग को सूचित किया

6. परिवाद संख्या– 06/17/3509 में पार्किंग स्थल के व्यवसायिक उपयोग बाबत् नगर निगम जयपुर/यातायात पुलिस की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने व मोनिटरिंग की हिदायत दी गई।

7. परिवाद संख्या– 08/17/418 में अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह को खुला जेल में सिस्टेमेटिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश दिए गये।

8. परिवाद संख्या– 08/17/3015 में महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर ने सम्बन्धित पुलिसकर्मी ओमप्रकाश ए.एस.आई. व कांस्टेबल– शकील, शंकर सिंह एवं महिला कानि0 रोशनी को 'परिनिन्दा' के दण्ड से दण्डित कर आयोग को सूचित किया गया।

9. आयोग ने सभी जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, बाल विवाहों को रोकने की कार्यवाही करें एवं आयोग को सूचित करें।

10. परिवाद संख्या 6/29/318 में पुलिसकर्मी द्वारा परिवादी से पासपोर्ट की तस्दीक हेतु रुपए मांगने पर आयोग ने निर्देशित किया कि दोषी आरक्षी महावीर सिंह के विरुद्ध कानूनी जांच कर नियमानुसार उचित दंड दिया जायें ।

11. परिवाद संख्या 07/17/283 में मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक टावर, इलेक्ट्रिक पैनल व जनरेटर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी. ई.ओ.), हच कम्पनी से जवाब मांगा गया कि उनके द्वारा किन मानदण्डों के आधार पर एवं किन नियमों के अधीन रिहायशी मकानों/फ्लैटों की छत पर मोबाइल कम्पनी के टावर लगाये जा रहे हैं।

12 परिवादों की जांच एवं वस्तुस्थिति से अवगत नहीं करवाने के कारण आयोग ने विभिन्न विभागों, खास तौर से एस.पी. दक्षिण, जयपुर को नोटिस दिया कि वस्तुस्थिति की सूचना आयोग को एक साल तक उपलब्ध नहीं कराना उचित नहीं है। अतः समय पर सूचना देवें अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जायेगी और पुलिस महानिदेशक को भी इससे अवगत कराया गया। इस पर 47 केसों में से करीब 33 की वस्तुस्थिति आयोग के सामने प्रस्तुत की गई ।

13. परिवाद संख्या— 06/32/1874 में आयोग के समक्ष यह शिकायत थी कि जो व्यक्ति आयोग में कोई शिकायत लेकर आता है, उसे ही पुलिस अधिकारियो द्वारा हैरान व परेशान किया जाता है। जिस पर आयोग द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे किसी व्यक्ति विशेष का लाभ पहुचाने के लिए जांच में पक्षपात नहीं करें। साथ ही, महानिदेशक (पुलिस) को भी पत्र लिखा गया कि प्रायः यह देखा गया है कि जो व्यक्ति आयोग के समक्ष अपनी फरियाद लेकर आता है, उसे ही पुलिस द्वारा किसी न किसी तरह से प्रताडित किया जाता है। इस आदेश की पालना में महानिदेशक ने अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक निर्देश जारी कर आयोग को अवगत कराया।

15. परिवाद संख्याः 07/17/2166 में पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की गई कि वह समाज में चौथ वसूली जैसे आपराधिक कृत्यों के प्रति सजगता बनाये रखे और इस सम्बन्ध में कानून—व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करावें।

16. परिवाद संख्या— 07/12/226 व 07/12/543 में आयोग के आदेशों की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक दौसा ने अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले दो पुलिसकर्मियों के विरूद्ध 17 सी.सी.ए. की कार्यवाही कर आयोग को सूचित किया।

17. *4—परिवाद संख्या— 06/17/3720* में राजस्थान पत्रिका मे प्रकाशित समाचार —*'बहके जवान और जुबान'* व दैनिक भास्कर मे प्रकाशित समाचार *'कि कांपे अपराधी'* में आयोग के निर्देशानुसार महानिरीक्षक, पुलिस जयपुर रेंज (प्रथम), जयपुर की जांच रिपोर्ट आयोग को भेजी गई। जिसमें पुलिस विभाग मे नीति सुधार हेतु शराब पीने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही, रोस्टर के अनुसार ड्यूटी, जातिगत भेदभाव न करने जैसे सुझावों/टिप्पणी से आयोग को अवगत कराया गया।

18.परिवाद संख्या 07/17/3755 : परिवादी की गुमशुदा पत्नी व बच्चों की रिपोर्ट थानाधिकारी द्वारा दर्ज नहीं करने और कार्यवाही नहीं करने के बारे में सम्बन्धित थानाधिकारी श्री सवाई सिंह, उ. नि. के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया। साथ ही, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गये कि वे गुमशुदा औरत व बच्चों की शीघ्रता से तलाश करवा कर आयोग को सूचित करें।

Media Gives Exposure Of Police Treatment

अन्तरराष्ट्रीय सड़क दुर्घटना श्रद्धांजलि दिवस मनाया

मुसाफिर को किया सावधान

सड़क हादसों में मृतकों को श्रद्धांजलि देते एनसीसी उपमहानिदेशक वी.एस. सबलोक व साथ में हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन।

कवि सम्मेलन व मुशायरे में रचना पाठ करते हुए। पत्रिका

जयपुर, 16 नवम्बर (मे.सं.)

सड़क हादसों में मारे गए लोगों की स्मृति में रविवार शाम रवीन्द्र मंच पर एकजुट संस्था एवं पीपुल्स ट्रस्ट की ओर से 'हादसों का दर्द' नामक अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।

इस मौके पर लघु फिल्म 'अनमोल जीवन' का प्रदर्शन भी किया गया। फिल्म में कम उम्र के स्कूली बच्चों द्वारा लापरवाही से वाहन चलाने के अलावा माता-पिता को गाड़ी नहीं देने व बच्चों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों से अवगत कराने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद हुए मुशायरा व कवि सम्मेलन में देश व राज्य के जाने-माने शायर व कवियों ने शिरकत की। इससे पूर्व समाजसेवी व उद्योगपति सतीश कट्टा, प्रमुख शासन सचिव (गृह) एस. एन. थानवी व प्रसिद्ध उद्घोषक जसदेव सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कवियों व अतिथियों को शॉल व स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए आयोजक प्रेरणा अरोड़ा व नरेन्द्र अरोड़ा के कार्य को सराहनीय बताया।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें

विश्व यादगार दिवस के मौके पर पीपुल्स ट्रस्ट की ओर से विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रविवार को अमर जवान ज्योति पर आयोजित एक सादे समारोह में ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित स्काउट एण्ड गाइड तथा एनसीसी कैडेट्स ने पुष्प अर्पित कर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वक्ताओं ने सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन तथा विशिष्ट अतिथि राजस्थान एनसीसी के उप महानिदेशक वी.एस. सबलोक व स्काउट-गाइड संगठन की मण्डल अधिकारी बृजरानी माथुर थे। इस मौके पर जनवरी में रिद्धि-सिद्धी चौराहे पर हुई सड़क दुर्घटना में जीवन खोने वाली छात्रा साक्षी भार्गव के पिता सुनील भार्गव भी मौजूद थे। ट्रस्ट की अध्यक्ष प्रेरणा अरोड़ा सहित आमंत्रित अतिथियों ने उपस्थित विद्यार्थियों से सड़क सुरक्षा नियमों की हर समय पालना करने तथा आमजन को इस दिशा में जागरूक करने की अपील की।

'वर्ल्ड रिमेम्बर डे' मनाया

जयपुर, 16 नवम्बर (कासं)। पीपुल्स ट्रस्ट की ओर से रविवार को वर्ल्ड रिमेम्बर डे कार्यक्रम का आयोजन अमर जवान ज्योति जनपथ पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग न्यायाधीश एनके जैन ने युवाओं से आह्वान किया कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें तथा स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। सोलह नवम्बर का दिन विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में मृतक लोगों को श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि एयर कमाण्डर बीएस सचल उपमहानिदेशक एनसीसी राजस्थान ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र चढ़ा कर इस दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला एवं अनुशासन जीवन के होना आवश्यक बताया।

पीपुल्स ट्रस्ट के द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर संस्था अध्यक्ष प्रेरणा अरोड़ा अनिल गौतम (साहस), एके ऋषि, ब्रिज रानी कमिश्नर गाइड ने सड़क सुरक्षा पर उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में एनसीसी स्काउट, समाज के जागरूक व्यक्तियों ने भाग लिया।

मेट्रो पत्रिका

थाने में दुर्व्यवहार का आरोप

मानवधिकार आयोग ने की शिकायत

जयपुर, 22 नवम्बर (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक मामले में तहकीकात करने गई आयोग टीम से सोढाला थाने में दुर्व्यवहार की पुलिस महानिरीक्षक पंकज कुमार सिंह से शिकायत की है। उधर, थाना प्रभारी भंवर सिंह शेखावत ने आयोग टीम को पूर्ण सहयोग की बात कही है। आयोग की ओर से उसके उपसचिव आर.के. मीणा व पुलिस उप निरीक्षक डॉ. दीपा जैन एक परिवाद के बारे में जानकारी हासिल करने और थाने के अचानक निरीक्षण के लिए गुरुवार को सोढाला थाना गए। आयोग टीम ने थाना प्रभारी शेखावत के थाना परिसर स्थित कमरे में धूम्रपान पर आपत्ति की तो उन्होंने कमरे को आवास बताते हुए आपत्ति पर सवाल उठाया। टीम ने घटनाक्रम से आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन को अवगत करवाया, जिस पर आयोग ने जयपुर रेंज (प्रथम) पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत की।

"थाना प्रभारी द्वारा आयोग टीम से दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है, जिसे दिखवा रहा हूं।"

पंकज कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज (प्रथम)

"आयोग टीम सदस्यों से दुर्व्यवहार जैसी कोई बात नहीं हुई। थाने में आवास नहीं होने के कारण वहां विश्राम गृह बना रखा है, उसी में दो मित्रों के साथ बैठा था। टीम सदस्यों को नहीं जानने के कारण परिचय पूछा।"

भंवरसिंह शेखावत, थाना प्रभारी, सोढाला थाना

सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान पत्रिका की खबर पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान

एनटीटी छात्राओं पर लाठीचार्ज का मामला

जयपुर, 4 सितम्बर (का.सं.)।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने आंदोलनकारी एनटीटी छात्राओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता से लाठीचार्ज के मामले में गृह व शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिवों तथा पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। आयोग ने गुरुवार को इन छात्राओं के प्रति पुलिस के अमानवीय बर्ताव के बारे में राजस्थान पत्रिका में 'लाडलियों पर बर्बरता' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। समाचार में बताया गया था कि बुधवार तड़के पुलिस ने उनींदी आंदोलनकारी छात्राओं पर बर्बर कार्रवाई की। महिला पुलिस कर्मियों ने हाथ-पैर व बाल पकड़कर छात्राओं को घसीटते हुए ट्रक में धकेलने का प्रयास किया। महिला पुलिस कर्मियों ने छात्राओं को यह धमकी भी दी कि चुपचाप चलो, नहीं तो तुम्हारे हाथ-पैर टूट जाएंगे। शेष पेज 4 पर

सरकार से....

आयोग ने इस मामले में गृह व शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव तथा पुलिस महानिदेशक से 11 सितम्बर तक वस्तुस्थिति की जानकारी देने को कहा है। डीजीपी करेंगे जांच: राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष तारा भण्डारी ने बताया कि छात्राओं की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक को जांच कराने को कहा है। गुरुवार को इसके आदेश हो गए।

एनटीटीई छात्रा आंदोलन पर मानवाधिकार आयोग से कहा

पुलिस बोली, हमने नहीं बरसाई लाठी

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 8 अक्टूबर

पुलिस ने पिछले महीने आंदोलनकारी एनटीटीई छात्राओं पर बल प्रयोग करने से इनकार किया है। पुलिस की ओर से इस बारे में राज्य मानवाधिकार आयोग को दिए जवाब में मीडिया पर छात्राओं से महिला पुलिस अधिकारी के बाल छुड़वाने के दूसरी महिला पुलिस अधिकारी के प्रयासों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का आरोप लगाया है। साथ ही इस घटना की शुरूआत छात्राओं से महिला पुलिस अधिकारी की पिटाई से होना बताया है।

आयोग अध्यक्ष एन.के.जैन ने एनटीटीई छात्रा आंदोलन के दौरान पुलिस बर्बरता की शिकायत और उस पर पुलिस के जवाब की सच्चाई जानने के लिए गांधी नगर थाने से इस मामले की वस्तुस्थिति और कार्रवाई की जानकारी पेश करने को कहा है। साथ ही 11 नवम्बर को जयपुर पूर्व के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के हाजिर होने व पुलिस महानिदेशक को उसी दिन इस प्रकरण से जुड़ी कुमारी प्रियंका पाण्डे, उषा सिंह की आयोग में हाजिरी सुनिश्चित करने को कहा है।

यह भी कहा

मीडिया ने महिला पुलिस अधिकारी के आंदोलनकारी छात्राओं से बाल छुड़वाने के दूसरी महिला अधिकारी के प्रयासों का फोटो छापकर छात्राओं पर अमानवीयता दिखाने का प्रयास किया है, जबकि इससे पहले आंदोलनकारी छात्राओं के महिला पुलिस अधिकारी के बाल खींचने का फोटो नजर अन्दाज किया है।

मेट्रो पत्रिका

थाने में दुर्व्यवहार का आरोप

मानवधिकार आयोग ने की शिकायत

जयपुर, 22 नवम्बर (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक मामले में तहकीकात करने गई आयोग टीम से सोढाला थाने में दुर्व्यवहार की पुलिस महानिरीक्षक पंकज कुमार सिंह से शिकायत की है। उधर, थाना प्रभारी भंवर सिंह शेखावत ने आयोग टीम को पूर्ण सहयोग की बात कही है। आयोग की ओर से उसके उपसचिव आर.के. मीणा व पुलिस उप निरीक्षक डॉ. दीपा जैन एक परिवाद के बारे में जानकारी हासिल करने और थाने के अचानक निरीक्षण के लिए गुरुवार को सोढाला थाना गए। आयोग टीम ने थाना प्रभारी शेखावत के थाना परिसर स्थित कमरे में धूम्रपान पर आपत्ति की तो उन्होंने कमरे को आवास बताते हुए आपत्ति पर सवाल उठाया। टीम ने घटनाक्रम से आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन को अवगत करवाया, जिस पर आयोग ने जयपुर रेंज (प्रथम) पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत की।

«थाना प्रभारी द्वारा आयोग टीम से दुर्व्यवहार की शिकायत मिली है, जिसे दिखवा रहा हूं।»

पंकज कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर रेंज (प्रथम)

«आयोग टीम सदस्यों से दुर्व्यवहार जैसी कोई बात नहीं हुई। थाने में आवास नहीं होने के कारण वहां विश्राम गृह बना रखा है, उसी में दो मित्रों के साथ बैठा था। टीम सदस्यों को नहीं जानने के कारण परिचय पूछा।»

भंवरसिंह शेखावत, थाना प्रभारी, सोढाला थाना

आयोग की अनदेखी भारी पड़ी

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 14 फरवरी

राज्य मानवाधिकार आयोग के बुलावे पर हाजिर नहीं होना चाकसू थानाप्रभारी सवाई सिंह को भारी पड़ा। आयोग की अनुशंषा पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने मानवाधिकार आयोग को यह जानकारी दी है। मानवाधिकार आयोग ने तीन दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने के एक मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से इस थानाप्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई थी।

यहां से शुरुआत

तीन दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने के मामले में सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने 20 जुलाई 07 को जवाब दिया था कि चाकसू थाना प्रभारी शव को पोस्टमार्टम के लिए देरी से लेकर गए। आयोग ने इस पर चाकसू थाना प्रभारी से जवाब मांगा, लेकिन वे बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हुए। आयोग ने इसके बाद ही चाकसू थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

Directions For Jails

1. परिवाद संख्या– 07/17/3061 में महानिदेशक, कारागार को जेल में अनियमितताओं व शोषण को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।
2. परिवाद संख्या– 08/18/418 में खुली जेल में निरूद्व बंदियों को दी गई विद्युत सुविधा व उन पर खर्च के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग से राज्य सरकार की जिम्मेदारी के बारे में पूछा गया।
3. परिवाद संख्या– 08/17/3282 में परिवादी स्वयं के अपराधी प्रवृत्ति के होने और एक राजनैतिक पार्टी से सम्बन्ध रखने के सम्बन्ध में राजनैतिक पार्टी के उच्चाधिकारियों को अवलोकनार्थ सूचित किया गया।

4. यह देखने में आया है कि एफ.एस.एल. की रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण आयोग में विचाराधीन/सजायाफ्ता एवं न्यायिक अभिरक्षा (कस्टोडियल डेथ) में मृत्यु से संबंधित मामले में आवश्यक विलम्ब होता है, जिसका मुख्य कारण स्टॉफ की कमी होना भी पाया गया है। स्टॉफ की पूर्ति के लिये सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह अतिशीघ्र वांछित कर्मियों का पदस्थापन करें।

5. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर को कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बंदियों को देय सुविधाओं के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच आदि की कार्यवाही करें।

6. परिवाद संख्या 2/23/1881 में बन्दी की मृत्यु होने पर आयोग ने मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति हेतु अंतरिम सहायता स्वरूप रु. 50,000/— (रूपये पचास हजार) अदा किए जाने के आदेश दिए।

7. आयोग के माननीय सदस्य श्री पुखराज सीरवी तथा सचिव श्री गिरीराज सिंह के द्वारा दिनांक 18.1.2007 को केन्द्रीय कारागार, जयपुर का निरीक्षण किया गया तथा जेल स्टाफ में कमी, सुरक्षा की आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल, जेल अस्पताल में लेब टेक्निशियन का पद स्थापन्न करने, एवं बीमार बंदियों के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करने, बंदियों की संख्या के अनुपात में वार्डो की संख्या बढाने आदि के सबंधं में आवश्यक सुधार हेतु राज्य सरकार को अनुशंषा की गई है।

8. परिवाद संख्या: 07/17/2196 में जेल में विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक यातनाऐं दिए जाने व बंदी के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की शिकायत पर महानिदेशक (कारागार) से जवाब तलब किया गया।

9. परिवाद संख्या– 06/24/3080 में आयोग की आदेश की पालना में महानिदेशालय, कारागार, राज0 जयपुर ने समस्त उप महानिरीक्षक आदि को कारागार में बदियों के साथ मारपीट प्रताडना व जबरन कार्य करवाने, पैसा वसूल करने एवं आर्थिक शोषण की घटनाओं की रोकथाम के बारे में सुचारू व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया ।

10. परिवाद संख्या– 07/17/2439 : जेल प्शासन से अपेक्षा की गई कि वे जेल परिसर में बंदियों के बारे में कानून के अनुसार व्यवस्था कराना सुनिश्चित करायें। जिस से इस प्रकार की शिकायतों का मौका नहीं मिले।

Role Of Media Exposing Conditions Of Jails & Prisoners

आयोग की अनदेखी भारी पड़ी

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 14 फरवरी

राज्य मानवाधिकार आयोग के बुलावे पर हाजिर नहीं होना चाकसू थानाप्रभारी सवाई सिंह को भारी पड़ा। आयोग की अनुशंषा पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने मानवाधिकार आयोग को यह जानकारी दी है। मानवाधिकार आयोग ने तीन दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने के एक मामले में जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से इस थानाप्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिसकी जानकारी पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई थी।

यहां से शुरुआत

तीन दिन तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होने के मामले में सीएमएचओ जयपुर द्वितीय ने 20 जुलाई 07 को जवाब दिया था कि चाकसू थाना प्रभारी शव को पोस्टमार्टम के लिए देरी से लेकर गए। आयोग ने इस पर चाकसू थाना प्रभारी से जवाब मांगा, लेकिन वे बार-बार मौका दिए जाने के बावजूद आयोग के समक्ष हाजिर नहीं हुए। आयोग ने इसके बाद ही चाकसू थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी।

सलाखों से राहत, कोठरी में आफत

खुली जेल में 150 परिवारों की 5 माह से बिजली गुल, बिजली कम्पनी मांग रही बकाए के चार लाख रुपए

शैलेन्द्र अग्रवाल

जयपुर,11 जून। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र स्थित डॉ. सम्पूर्णानन्द ओपन जेल (खुली जेल) में 150 से अधिक परिवारों की पांच माह से बिजली गुल है। बिजली कम्पनी के चार लाख रुपए से अधिक बकाया के कारण कटे इन परिवारों के सामूहिक कनेक्शन को जुड़वाने से जेल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, वहीं बंदियों के परिवार इस मोटी रकम को वहन करने को तैयार नहीं है। मामला कचहरी की देहरी पर भी पहुंचा, लेकिन राहत की रोशनी अभी बंदियों के घर से दूर है। अच्छे आचरण के कारण इन बंदियों को परिवार के साथ खुली जेल में रहने की सुविधा मिली हुई है।

सरकार झाड़ रही है पल्ला

उच्च न्यायालय ने तो एक बंदी के मामले में बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की बताई, राज्य मानवाधिकार आयोग भी इन बंदियों की बिजली-पानी सुविधा के खर्चे के बारे में पड़ताल कर रहा है। लेकिन सरकार बकाया अपने माथे नहीं लेने पर अड़ी है। इसके लिए उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, जबकि मानवाधिकार आयोग को अभी सरकारी जवाब का इंतजार है।

आयोग ने पूछा-जिम्मेदार कौन

राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख गृह सचिव से पूछा है कि खुले बंदी शिविर के बंदियों की बिजली सुविधा के बारे में राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इस बारे में 21 जून तक जवाब मांगा गया है। मानवाधिकार आयोग को जनवरी 08 में मिले परिवाद के मुताबिक इस बंदी शिविर में रहने वाले 170 परिवारों ने डेढ़ लाख रुपए के बिल को 1700-1700 रुपए देकर चुका दिया, इसके बाद दो बार बिल फिर 19 हजार-19 हजार रुपए का आ गया। इस बिल को भी बंदियों ने 100-100 रुपए जमा कर चुका दिया। इसके बाद बिजली का फिर पांच लाख रुपए बकाया निकल आया। इसके भुगतान के लिए सभी बंदियों से पांच हजार-पांच हजार रुपए देने को कहा गया, बंदियों के इसे अपनी क्षमता से बाहर बताते हुए नहीं चुकाने पर बिजली गुल कर दी गई। बंदियों के अनुसार जेल प्रशासन से उन्हें धमकी मिली बताई कि बकाया नहीं चुकाया, तो जेल भेज दिया जाएगा। बंदियों ने हर आवास का अलग मीटर लगाने की मांग भी की, जो पूरी होने के बजाए बंदी और उनके परिजन तपती गर्मी में भी बिना बिजली रहने को मजबूर हैं। बंदी तो, फिर भी काम के लिए दिनभर बाहर रहने के कारण इस सजा से बचे हुए हैं, लेकिन पत्नी-बच्चे बेवजह सजा भुगत रहे हैं।

"उच्च न्यायालय ने एक मामले में प्रशासन को बकाया राशि जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन उसको चुनौती दे रखी है। बंदी के परिवार का खर्च सरकार क्यों वहन करे?'

- वी.के. माथुर, अधीक्षक, डॉ. सम्पूर्णानन्द ओपन जेल

"खुला बंदी शिविर प्रशासन विद्युत खर्च का पैसा कैसे जमा करता है, यह विद्युत वितरण निगम से सम्बन्धित नहीं है। केन्द्रीय कारागृह अधीक्षक के आग्रह पर बकाया राशि छह किश्तों में वसूलना तय हुआ, लेकिन 84959 रुपए ही जमा हुए हैं। 406280 रुपए अभी बकाया हैं, इसी कारण अस्थाई रूप से बिजली काटी गई है।'

- जयपुर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने पिछले माह मानवाधिकार आयोग को बताया

हमारी एक छोटी-सी कोशिश बदलेगी

शहर का पर्यावरण

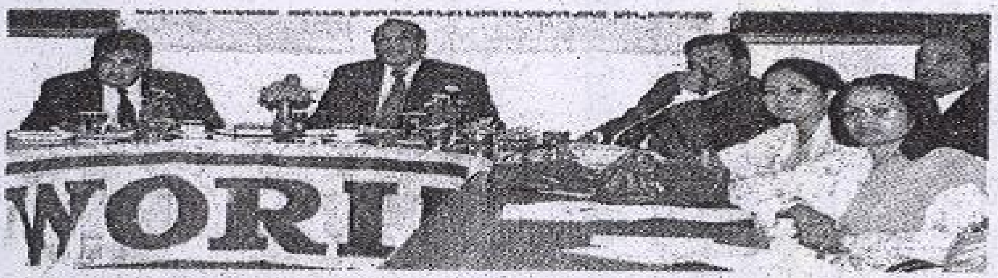

सिटी रिपोर्टर. जयपुर। पर्यावरण को बनाए रखने की शुरुआत खुद से करें, अपने आसपास से करें, बातें करने की बजाय एक्शन लें। शहर से जुड़े कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि आपकी एक छोटी-सी पहल असर डाल सकती है। हॉस्पिटेलिटी से लेकर ह्यूमन राइट्स से जुड़े लोग, फॉरेस्ट से लेकर आम आदमी तक हर इंसान की ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। कुछ ऐसी ही खास बातों की जानकारी बुधवार को केन्द्रीय भू जल बोर्ड सभागार में वर्ल्ड संस्था की ओर से आयोजित सेमिनार 'चैलेंजेज ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड कम्प्लेन' में मिली। यहां पर्यावरण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

100 स्कूलों में शपथ

जयपुर के करीब सौ स्कूलों में एक अलग तरह की कोशिश की जा रही है, जिससे बच्चों को अभी से ही पर्यावरण का महत्व बताया जा सके। इसके तहत उन्हें संविधान में वर्णित मुख्य कर्तव्यों 'आर्टिकल 51 ए' का संकल्प दिलवाया जाता है, जिसमें बाकी सभी महत्वपूर्ण बातों के अतिरिक्त वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रण लिया जाता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन. के. जैन ने बताया कि बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने के लिए ऐसे कदम उठाने जरूरी हैं।

लॉन्ड्री में खास प्रोडक्ट

होटल इंडस्ट्री में पानी का उपयोग बड़ी सावधानी से लिया जाना जरूरी है। होटल हॉली डे इन के जनरल मैनेजर स्वरूप मेहता का कहना है कि लॉन्ड्री में सबसे ज्यादा पानी यूज होता है। हमारे यहां लॉन्ड्री में वाशिंग के लिए खास तरह का डिटर्जेंट यूज किया जा रहा है। कम कैमिकल्स वाले खास प्रोडक्ट में यूज किया हुआ पानी बहुत ही कम आफ्टर इफेक्ट डालता है। यह फेब्रिक के लिए भी अच्छा है। इसी तरह किचेन, बाथरूम और टॉयलेट का पानी भी रिसाइकिल किया जाए, तो पौधों में देने के काम आ सकता है। ऐसे कई नए प्रयोगों से पर्यावरण को सीधा फायदा पहुंचाया जा सकता है।

छत का पानी रिजर्व करें

सेमिनार में डॉ. टीआई खान ने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी शहर के लिए मुश्किल बनी हुई है। यहां समस्या उसे बेहतर करने की है। हम वर्षा के पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बारिश के वक्त त्रिमूर्ति पर इतना पानी इकट्ठा होता है, गाड़ियां डूब जाती हैं, इसी पानी को प्लांड तरीके से फिल्टर करके इकट्ठा किया जाए, तो पानी की समस्या भी कम होगी और अंडरग्राउंड वाटर भी ऊपर आएगा। इसी तरह शहर में छतों का पानी भी जमीन तक पहुंचाया जाना चाहिए। शहर के विभिन्न भागों में पानी में नाइट्रेट की मात्रा 45 मिली ग्राम प्रति लीटर की जगह 50 से लेकर 1500 तक है, जो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए खतरे की घंटी है। यही हाल फ्लोराइड का है। इस समय शहर की एक समस्या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल की है।

यूं करें अपने स्तर पर पहल

- शहर का हर आदमी एक पेड़ हर साल लगाए, तो एक साल में शहर को पैंतीस लाख से ज्यादा पेड़ मिल सकते हैं।
- पॉलिथीन का प्रयोग न करें। जानकारों की मानें, तो इसके चलते 14 गायें रोज मर रही हैं।
- पौधे लगाते समय केंचुआ खाद का प्रयोग करें, जिससे पैदावार बढ़ने के साथ ही रसायनिक असर भी नहीं देखने को मिलेगा।
- स्कूलों में बच्चों को शपथ दिलाई जाए और टीचर्स जीरो अवर्स में बच्चों से पर्यावरण से जुड़ी बातों पर चर्चा करें।
- बारिश के पानी को रिस्टोर्ड करने के लिए सरकारी स्तर पर मदद के अलावा अपने स्तर पर छतों से बारिश के पानी के संग्रहण की व्यवस्था करें।

जेल में बंदियों ने लिया रक्षा का संकल्प

भरतपुर, 25 अगस्त। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 12 दिवसीय गीता संदेश यात्रा के अन्तर्गत सेवर केन्द्रीय कारागार भरतपुर में बन्दियों ने मानव अधिकार रक्षा हेतु अपराध मुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान दिल्ली के तत्वावधान में बिरला मंदिर दिल्ली से प्रारंभ हुई यात्रा आज तीसरे दिन भरतपुर कारागार में पहुंची तो बंदियों ने बोल गिर्राज महाराज की जय से जेल की दीवारों को गुंजा दिया। संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी ने भगवान श्रीकृष्ण के विराट रूप दर्शन के तत्वावधान से बन्दियों से अपील की अपराधों की रोकथाम और मानव अधिकारों की रक्षा के महायज्ञ में आहुति देकर ही आप बंधन से मुक्त होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। श्रीचन्द साहू राष्ट्रीय सचिव भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान ने कल मथुरा की कारागार में बंदियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों को संदर्भित करते हुए कहा कि गीता ज्ञान ही मानव जीवन की सफलता का विज्ञान है इसके बिना परिवार और समाज की सुरक्षा संभव ही नही है। समाज सेवी एवं अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो ने अपने विचार रखते हुए कहा कि ज्ञान ही भगवान है अज्ञान ही शैतान है इसलिये शैतान से मुक्ति हेतु गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। सरदार तारा सिंह ने विश्वात्मा श्रीकृष्ण की तस्वीर पर दुपट्टा पहनाकर और पुष्प अर्पित करके कहा कि भरतपुर कारागार बन्दी उद्धार और राष्ट्र कल्याण का अनूठा अभियान है। देवेन्द्र मित्तल ने बंदियों को गीता की पुस्तके भेंट की और जेल से बाहर कार्यक्रम करने की अपील भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान से की। अधिवक्ता उमेश शर्मा ने भारतीय चरित्र निर्माण संस्था की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन् 2003 से ही संस्थान भरतपुर जेल में अपराध मुक्त समाज निर्माण अभियान में जुटा है। कारागार में जेलर श्रीराम शर्मा ने कृष्णा जन्माष्टमी पर गीता के कर्म विज्ञान में संदेश से मानव कल्याण निश्चित साधन बताते हुए कहा कि जेल सुधार और मानव अधिकार रक्षा का यह अद्वितिय अभियान है भरतपुर कारागार प्रशासन का संस्थान को पूर्ण सहयोग सदैव मिलता रहेगा। बंदी भगवान सिंह गिल्ली, कान्ता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, पण्डित मुख्तियार, सीताराम एंव अन्य बन्दियों ने परमात्मा,जन्म- मृत्यु कर्म और फल के संबंध में अनेक प्रश्न पूछे जिनका समाधान रामकृष्ण गोस्वामी जी द्वारा श्रीमद्भगवत गीता में संदर्भित करते हुए किया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष एनके जैन ने सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में अनुछेद 51 ए में वर्णित देश के नागरिक के मूल कर्तव्य का संकल्प कराएं। उसी के अनुसार संस्थान ने बन्दियों संकल्प पत्र प्रदान दिया और बंदियों ने संकल्प लिया।

बंदियों ने लिया मानव अधिकार रक्षा का व्रत

भरतपुर: भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान नई दिल्ली द्वारा निकाली जा रही गीता संदेश यात्रा सोमवार को भरतपुर स्थित सेवर कारागार पहुंची। संस्थान द्वारा कारागार में बंदियों को मानव अधिकार रक्षा का संकल्प कराया गया।

कारागार में पहुंची गीता संदेश यात्रा के उपरांत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी, सचिव श्रीचंद साहू, भरतपुर के अधिवक्ता सरदार महेन्द्र सिंह मग्गो, उमेश शर्मा, जेलर श्रीराम शर्मा द्वारा कैदियों को चरित्र निर्माण सहित गीता के उपदेशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी।

इस अवसर पर कैदी भगवान सिंह, कांता प्रसाद शर्मा, तेजवीर गुर्जर, मुख्त्यार सिंह,मानवीर, सीताराम सहित अन्य बंदियों द्वारा संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी से परमात्मा, आत्मा, जन्म, मृत्यु, कर्म के संबंध में प्रश्न पूछे गये। इस दौरान जेल परिसर में गिर्राज महाराज की जय व श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी बोल गूंजते रहे।

महिला कैदियों से मिले जैन

भास्कर न्यूज. धौलपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन ने कारागार में बंद महिला कैदियों से भी बातचीत की, मगर महिला कैदियों ने कोई भी शिकायत नहीं की। महिला कैदियों की संख्या 10 थी, जिनमें से 6 को एक बैरक तथा शेष को दूसरी बैरक में रखा गया है। यह इसलिए हुआ कि बीते दिनों महिला बंदियों में झगड़ा हो गया। झगड़े के कारण का खुलासा नहीं हुआ, मगर आगे अ[illegible] झगड़ा न हो इसलिए उन्हें अलग-[illegible] रखा गया है।

धौलपुर। कैदियों से बातचीत करते मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैन।

32 सुझाव सरकार ने माने

चेयरमैन एनके जैन ने बताया कि आयोग ने 50 सुझाव राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में भेजे थे, जिनमें से 32 सुझावों को राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

मैन पावर का अभाव

अध्यक्ष जैन ने बताया कि न्याय विभाग तथा लीगल एड में मैन पॉवर का अभाव है, इसलिए स्वयंसेवी संस्थाएं तथा समाज सेवा करने वाले लोग इससे जुड़ने लगे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जैन ने किया निरीक्षण: कैदियों ने सुनाया दुखड़ा

जेलकर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं

"दैनिक भास्कर" 18-10-2007

कैदियों ने बताया कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, पुलिसकर्मी करते हैं मारपीट

शिकायत पर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने दिए उचित कार्रवाई के आदेश

भास्कर न्यूज. धौलपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन के जैन ने जिला कारागार का अचानक निरीक्षण किया तो कैदियों ने पुलिस के अमानवीय व्यवहार के बारे में उन्हें जानकारी दी, जिस पर आयोग अध्यक्ष जैन ने कार्रवाई के निर्देश दिए।

राज्य आयोग के अध्यक्ष जैन बुधवार को स्थानीय सर्किट हाउस से जिला कारागार के लिए रवाना हुए, उनके साथ सीजेएम हरेंद्रसिंह थे। अध्यक्ष जैन की जिला कारागार में पहुंचने पर जेल अधीक्षक डा विक्रमसिंह ने अगवानी की। इसके बाद वे कारागार में बंद पुरुष बंदियों से मिले।

कैदियों ने शिकायत की कि चालानी गार्ड द्वारा जब भी कैदियों को न्यायालय ले जाया जाता है, तो गार्ड में तैनात पुलिसकर्मी उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। न्यायालय में उन्हें लाकअप में ठूंस दिया जाता है। उनके परिजन उनसे मिलने या बात करने की कोशिश करते हैं तो केवल जिन परिजनों से पुलिसकर्मियों को सुविधा शुल्क मिलता है, उससे कैदी की बात करा दी जाती है तथा उन्हें बाजार से सामान लाकर दिला दिया जाता है। जो कैदी सुविधा शुल्क की व्यवस्था नहीं कर पाते या उनके परिजन नहीं दे पाते हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि उन्हें लघुशंका की सुविधा भी मिन्नतों के बाद मिल पाती है।

कैदियों का कहना था उनके परिजनों के साथ लाकअप के बाहर दुर्व्यवहार किया जाता है और उन्हें पुलिसकर्मी धक्के मारते व मारपीट करते हैं। इस बारे में जेल अधिकारियों को बताया गया भी है, मगर वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष जैन ने जेल अधीक्षक से इस बारे में कार्रवाई करने के आदेश दिए। कैदियों ने जिला कारागार की उस घटना का जिक्र किया, जिसमें कारागार के सिपाहियों ने एक विचाराधीन कैदी को बुरी तरह से धुना था। अध्यक्ष जैन ने इस मामले में भी कार्रवाई के आदेश दिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन के जैन के साथ उप पुलिय अधीक्षक राजेंद्र वर्मा, जेल अधीक्षक डा. विक्रमसिंह, डा. रेनू अग्रवाल व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्रसिंह मौजूद थे।

धौलपुर। महिला कैदियों से बातचीत करते अध्यक्ष जैन।

नागरिकों से मिले चेयरमैन

राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जैन ने सर्किट हाउस में उनसे मिलने आए परिवादियों से मिलकर उनका दर्द जाना तथा दोपहर बाद राजधानी के लिए रवाना हो गए।

कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में शामिल

राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन एनके जैन ने बताया कि शीघ्र ही कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तकों में मानवाधिकारों से संबंधित चैप्टर शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चों को मानवाधिकार के बारे में जानकारी हो।

सकारात्मक सोच से ही समस्याओं का समाधान

धौलपुर. राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन के जैन ने कहा है कि आयोग ने पिछले दिनों में समाचारों को परिवाद मानकर कार्रवाई कराई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी कर्तव्यों को भूल गया और उसे अधिकार ही याद रहे हैं, जिससे व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सर्किट हाउस में भास्कर से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष जैन ने कहा कि कानून बन जाने से ही काम नहीं चलता है क्योंकि जब तक कानून के बारे में आम आदमी को जानकारी नहीं होगी, तो आम आदमी को कानून का लाभ मिलना मुश्किल है।

ये थे मौजूद

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन के साथ राजस्थान ...शेष पेज 9 पर

सलाखों से राहत, कोठरी में आफत

खुली जेल में 150 परिवारों की 5 माह से बिजली गुल, बिजली कम्पनी मांग रही बकाए के चार लाख रुपए

शैलेन्द्र अग्रवाल

जयपुर, 11 जून। राजधानी के सांगानेर क्षेत्र स्थित डॉ. सम्पूर्णानन्द ओपन जेल (खुली जेल) में 150 से अधिक परिवारों की पांच माह से बिजली गुल है। बिजली कम्पनी के चार लाख रुपए से अधिक बकाया के कारण कटे इन परिवारों के सामूहिक कनेक्शन को जुड़वाने से जेल प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है, वहीं बंदियों के परिवार इस मोटी रकम को वहन करने को तैयार नहीं हैं। मामला कचहरी की देहरी पर भी पहुंचा, लेकिन राहत की रोशनी अभी बंदियों के घर से दूर है। अच्छे आचरण के कारण इन बंदियों को परिवार के साथ खुली जेल में रहने की सुविधा मिली हुई है।

सरकार झाड़ रही है पल्ला

उच्च न्यायालय ने तो एक बंदी के मामले में बकाया राशि के भुगतान की जिम्मेदारी जेल प्रशासन की बताई, राज्य मानवाधिकार आयोग भी इन बंदियों की बिजली-पानी सुविधा के खर्चे के बारे में पड़ताल कर रहा है। लेकिन सरकार बकाया अपने माथे नहीं लेने पर अड़ी है। इसके लिए उच्च न्यायालय के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा रही है, जबकि मानवाधिकार आयोग को अभी सरकारी जवाब का इंतजार है।

आयोग ने पूछा-जिम्मेदार कौन

राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख गृह सचिव से पूछा है कि खुले बंदी शिविर के बंदियों की बिजली सुविधा के बारे में राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी है? इस बारे में 21 जून तक जवाब मांगा गया है। मानवाधिकार आयोग को जनवरी 08 में मिले परिवाद के मुताबिक इस बंदी शिविर में रहने वाले 170 परिवारों ने डेढ़ लाख रुपए के बिल को 1700-1700 रुपए देकर चुका दिया, इसके बाद दो बार बिल फिर 19 हजार-19 हजार रुपए का आ गया। इस बिल को भी बंदियों ने 100-100 रुपए जमा कर चुका दिया। इसके बाद बिजली का फिर पांच लाख रुपए बकाया निकल आया। इसके भुगतान के लिए सभी बंदियों से पांच हजार-पांच हजार रुपए देने को कहा गया, बंदियों के इसे अपनी क्षमता से बाहर बताते हुए नहीं चुकाने पर बिजली गुल कर दी गई। बंदियों के अनुसार जेल प्रशासन से उन्हें धमकी मिली बताई कि बकाया नहीं चुकाया, तो जेल भेज दिया जाएगा। बंदियों ने हर आवास का अलग मीटर लगाने की मांग भी की, जो पूरी होने के बजाए बंदी और उनके परिजन तपती गर्मी में भी बिना बिजली रहने को मजबूर हैं। बंदी तो, फिर भी काम के लिए दिनभर बाहर रहने के कारण इस सजा से बचे हुए हैं, लेकिन पत्नी-बच्चे बेवजह सजा भुगत रहे हैं।

"उच्च न्यायालय ने एक मामले में प्रशासन को बकाया राशि जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन उसको चुनौती दे रखी है। बंदी के परिवार का खर्च सरकार क्यों वहन करे?'

- वी.के. माथुर, *अधीक्षक, डॉ. सम्पूर्णा नन्द ओपन जेल*

"खुला बंदी शिविर प्रशासन विद्युत खर्च का पैसा कैसे जमा करता है, यह विद्युत वितरण निगम से सम्बन्धित नहीं है। केन्द्रीय कारागृह अधीक्षक के आग्रह पर बकाया राशि छह किश्तों में वसूलना तय हुआ, लेकिन 84959 रुपए ही जमा हुए हैं। 406280 रुपए अभी बकाया हैं, इसी कारण अस्थाई रुप से बिजली काटी गई है।'

- जयपुर विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने पिछले माह मानवाधिकार आयोग को बताया

गीता संदेश यात्रा जेल में पहुंची

जयपुर, (विजय केडिया): गीता संदेश यात्रा बुधवार को जयपुर कारागार पहुंची। जयपुर कारागार में बंदियों ने भगवान श्रीकृष्ण की जय, गोविन्द महाराज की जय और नंद के लाला की जय से जेल की दीवारों को गुंजायमान कर दिया।

अपराध मुक्त समाज निर्माण को यात्रा का लक्ष्य बनाया गया है। भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व में 23 अगस्त को बिरला मंदिर के गीता भवन दिल्ली से अभियान का श्रीगणेश हुआ था। जयपुर कारागार में श्रीकृष्ण के बाल रूप एवं विश्वात्मा श्रीकृष्ण के स्वरूप पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जनहित में जारी पत्रक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51ए द्वारा वर्णित भारतीय नागरिक के मुख्य कर्तव्यों को केन्द्रित करके संस्थान के बंदियों ने संकल्प कराया। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन और विजय शंकर पाण्डेय ने इस अवसर पर बंदियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में संस्थान के अनेक पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भाग लिया। इस अवसर पर गीता की पुस्तकें बंदियों को भेंट की गई। यात्रा अगले पड़ाव में नाथद्वारा, उदयपुर एवं द्वारिका गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी।

केन्द्रीय कारागार में बुधवार को गीता का ज्ञान लेते हुए कैदी। इनसैट में रामकृष्ण गोस्वामी। फोटो-श्याम

कैदियों ने सीखा गीता-सार

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 27 अगस्त। भगवान श्रीकृष्ण की जय, गोविन्द देवजी महाराज की जय और नन्द के लाला की जय से जेल की दीवारें उस समय गुंजायमान हो उठीं, जब गीता सन्देश यात्रा जयपुर केन्द्रीय कारागार में बुधवार को पहुंची। कैदियों को अपने जीवन में नैतिकता उतारने और बुराइयों से उभरने की प्रेरणा देते हुए न्यायाधीश एन.के.जैन ने मानवाधिकार और संविधान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर जेल अधीक्षक वी.के.माथुर और उपाधीक्षक सुमन मालीवाल के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजित मानव अधिकार रक्षा अभियान के रूप में भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के सहयोग से संस्थापक रामकृष्ण गोस्वामी के नेतृत्व में 23 अगस्त को बिड़ला मन्दिर के गीता भवन (दिल्ली) से अभियान की शुरुआत की गई। कारागार की श्रृंखला में मथुरा, भरतपुर एवं अलवर के हजारों बन्दियों को श्रीरामकृष्ण गोस्वामी ने भगवद् गीता का सार बताया।

कर्म ही आधार है

गोस्वामीजी ने कैदियों को कर्म की प्रधानता बताते हुए कहा कि आज यदि आप लोग कारागार में हो तो इसका कारण सिर्फ आपके कर्म ही है, इसलिए कर्मयोग अर्थात परमार्थ कार्य करने चाहिए। कार्यक्रम में संस्थान के अनेक पदाधिकारियों एवं सहयोगियों ने भाग लिया। गीता की पुस्तकें सभी कैदियों को भेंट की गईं। अगले पड़ाव में यह यात्रा नाथद्वारा, उदयपुर एवं द्वारिका गुजरात के लिए प्रस्थान करेगी।

यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत... परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्...

'हे भारत! जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं सगुण रूप से प्रकट होता हूँ।'

जगद्गुरू भगवान श्री कृष्ण ने धर्मभूमि कुरूक्षेत्र में आज से 5147 वर्ष पूर्व भगवद्गीता के अध्याय 4 के श्लोक-7 में उपरोक्त घोषणा की थी।

समय-समय पर युगपुरुष भी संसार में ऐसी ही घोषणा करते हैं तथा अपने जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही बताते हैं। क्या हम सभी अपने जीवन का लक्ष्य यही नहीं बताते?

मानवाधिकारों की रक्षा और अपराधियों को दण्ड की व्यवस्था स्थापना ही युग-युग में धर्म की स्थापना का दिव्य व अद्वितीय साधन है। अर्थात् श्रेष्ठ मनुष्यों के जन्म का लक्ष्य है। नेतृत्व, प्रबन्धक, सहायक, संसाधन, विधि, व्यवस्था, सतत् समीक्षा व सुधार के योग द्वारा ही व्यवस्था सफल-सार्थक होती है। योग्य, दूरदर्शी, निरपेक्ष, ईमानदार, कर्मठ व सेवाभावी नेतृत्व द्वारा ही श्रेष्ठ व्यवस्था बनती है और चलती है अन्यथा व्यवस्था भ्रष्टाचार की जड़ बन जाती है।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो। तत्र पार्थो धनुर्धरः ...

भगवद्गीता की चेतावनी है - श्रेष्ठ व्यापक, परमार्थ और सर्वभूतहिते रताः वाली-दिव्य दृष्टि बिना मानव तुच्छ, संकीर्ण व स्वार्थ कर्मों से मुक्त हो नहीं सकता। अर्थात् समृद्धि, सम्मान, सुख, शांति, स्वतंत्रता व सद्भावना के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मानव को श्रेष्ठ व परमार्थ पथ पर योगनिष्ठा के साथ चलना ही होगा। अन्यथा - मानवीय जीवन-बन्धन, दुःख, अभाव, चिंता, भय, असुरक्षा, अशांति व अपमान के दुर्योग से मुक्त नहीं होगा।

सावधानः-

अपराधमुक्त समाज निर्माण व्यवस्था की स्थापना ही संसार में श्रेष्ठ-मानव का सर्वोत्तम व सार्वभौमिक धर्म है! क्योंकि मानवीय गौरव, आजादी व अधिकारों की रक्षा का अद्वितीय साधन हर युग में यही रहा है!! परन्तु - श्रेष्ठ व परमार्थ कर्मों बिना समाज, देश तथा विश्व अपराधों पर नियंत्रण नहीं रख सकता। अतएव इसके लिए श्रेष्ठ कर्मों की साधना करने वाले कर्मयोगी चाहिए। भगवद्गीता का कर्म विज्ञान का ज्ञान, ध्यान व मार्गदर्शन ही कर्मयोगी की राजविद्या का राजयोग है।

अपराध मुक्ति वैचारिक क्रांति अभियान ही मानव अधिकार रक्षा का शंखनाद् है। व्यक्ति और विश्व का कल्याण किसी भी युग में इसके बिना संभव ही नहीं है। अपराध पथ पर चलकर कोई भी मनुष्य कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता और न ही परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व के कल्याण में निमित्त बन सकता है। भ्रष्टाचार मुक्त राज-व्यवस्था व्यक्ति के चरित्र निर्माण से ही संभव है और यही विश्व सुरक्षा, शांति और सद्भावना का अद्वितीय साधन है।

मानवीय कर्त्तव्यों का पालन ही मानवाधिकार रक्षा की बुनियाद है!

'मानव' होने के कारण हमारा मानवीय कर्त्तव्य है तथा कर्त्तव्यों का पालन ही मानवाधिकार रक्षा की बुनियाद है। प्रत्येक मानव को विश्व में इसकी चेतना होनी चाहिए। मानवीय कर्त्तव्यों से विमुखता ही मानवाधिकारों से वंचित होने का कारण है।

प्रत्येक व्यक्ति के मानवीय गौरव, स्वतन्त्रता व अधिकारों की समान रक्षा ही - **'हर मानव का धर्म व कर्त्तव्य है।'** इस कर्त्तव्य की उपेक्षा और मानव के प्रति घृणा ही अपराधकर्मों की जननी है।

जब हम केवल स्वहित को ही दृष्टि में रखकर व्यवहार करते हैं तो हम सामान्य मानव हैं तथा दूसरों के अहित द्वारा स्व-कल्याण में संलिप्तता अधमता है और परहित के लिए - स्वहित का बलिदान ही श्रेष्ठ मानव का लक्षण है।

मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में भी मानवीय गौरव, स्वतन्त्रता व अधिकारों के प्रति उपेक्षा व घृणा को अपराधकर्मों का कारण यू.एन.ओ. ने माना है। एक ऐसी विश्व-व्यवस्था की स्थापना को (जिसमें धर्म (पंथ) और विचारों की आजादी तथा अभाव और भय से मुक्ति मिले) जन साधारण की सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया है।

अर्थात् अपराध मुक्त समाज निर्माण ही हर देश की कानून-व्यवस्था का उद्देश्य है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कारागार इस व्यवस्था के प्रमुख अंग हैं। 'योग्य, दूरदर्शी, ईमानदार, निरपेक्ष, कर्मठ और समर्पित नेतृत्व व प्रबन्धक' ही हर अंग की व्यवस्था को सफल-सार्थक बनाकर अपराधमुक्त समाज निर्माण द्वारा मानवीय-गौरव, आजादी व अधिकारों की रक्षा के महायज्ञ में अहमभूमिका निभाते हैं।

अयोग्य, अदूरदर्शी, बेईमान, लापरवाह, पक्षपाती और भोगवादी लोगों के हाथों में जब-जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और कारागार का नेतृत्व व प्रबन्धन होता है, तब-तब ही अपराध बढ़ते हैं, मानवाधिकारों-आजादी और गौरव को खतरा बढ़ता है तथा समाज, देश व विश्व की भी सुरक्षा, शांति व विकास को खतरा बढ़ता है।

अतएव कानून-व्यवस्था के चारों ही अंगों में योग्य, दूरदर्शी, ईमानदार, कर्मठ, निरपेक्ष व बलिदानी पुरुषों या महिलाओं के नेतृत्व तथा प्रबन्धन की अत्यन्त आवश्यकता हर देश और युग में होती है। क्योंकि - परिवार कल्याण, मानवाधिकारों की रक्षा तथा सामाजिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक-सुरक्षा, शांति और विकास का यही सनातन धर्म है।

तिहाड़ केन्द्रीय कारागार 8/9 में अपराध मुक्ति ज्ञान महायज्ञ

स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान के तत्वाधान में मानवीय-गौरव, आज़ादी और अधिकारों की रक्षार्थ चेतना और विवेक के विकास की कार्ययोजना का मंथन किया जायेगा।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवम् मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री एन.के. जैन 12 जनवरी, सन् 2010 को शाम 4 बजे इसका उद्घाटन करेंगे।

वरिष्ठ पत्रकार व चिंतक श्री सूर्यकान्त बाली तथा विख्यात लेखक एवम् विचारक डॉ. नरेन्द्र कोहली मकर संक्रान्ति - 14 जनवरी के दिन इस कार्ययोजना की समीक्षा करेंगे।

3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षाविद्, समाज शास्त्री, चिकित्सक, पत्रकार, वकील और जेल अधिकारी मानवाधिकारों की रक्षा, परिवार कल्याण, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा व शांति और विकास व्यवस्था पर मंथन करेंगे।

युवा शक्ति की नशा, सैक्स, और अपराधों में बढ़ती संलिप्तता व उसके दुष्परिणामों के विषय में बन्दियों के अनुभव व चिंतन पर भी कार्यक्रम में गम्भीरता से विचार होगा। विश्व सुरक्षा ज्ञान-विज्ञान महायज्ञ - डॉ. राजवीर सिंह सोलंकी - शिक्षाविद् - डॉ. भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय (दि.वि.वि.) के मार्गदर्शन में होगा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान 13 मई, 1999 से तिहाड़ जेल में अपराध मुक्ति वैचारिक क्रान्ति अभियान चला रहा है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 30 नवम्बर, सन् 2000 को चरित्र निर्माण योजना के रूप में इसे मान्यता दी थी।

"मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि मानव अपने कर्त्तव्यों का सावधानी के साथ निर्वाह करे तथा मानव अधिकारों के प्रति लोगों में सम्वेदनशीलता जागृत हो तभी हम देश की एकता व अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने में सहायक होंगे।

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा के क्रम संख्या 1 से 30 तक सभी आर्टिकल 26 जनवरी 1950 के हमारे संविधान में भी समाविष्ट कर लिये गये थे। इस घोषणापत्र के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मानवाकिारों को भी संविधान में शामिल कर लिया गया।

अधिकारों के साथ प्रत्येक मानव का कर्त्तव्य भी होता है जो संविधान में निहित है। इसी बात को ध्यान में रखकर सन् 1977 में 42वें संशोधन के द्वारा आर्टिकल 51ए के माध्यम से नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया।"

- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन
अध्यक्ष
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एवं पूर्व मुख्य न्यायाधीश
(कर्नाटक व मद्रास उच्च न्यायालय)

मानव अधिकार रक्षा अभियान!

(12-14 जनवरी, सन् 2010)

तिहाड़ जेल नं. 8-9 में स्वामी विवेकानन्द जयन्ती पर आयोजित

भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान

413, Vikasdeep Building, Near Coffee Home,
Vikas Marg, Delhi-110092. Tel.: 22437235, 22430486
E-mail: bcns_ngo@hotmail.com

Directions for Health Suggestions

1. परिवाद संख्या– 08/18/497 में एक महिला व उसकी पुत्री द्वारा मानसिक रूप से विक्षिप्त होकर लोगों को परेशान करने की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर पूर्व ने बीट कानि0 को उन पर नजर रखने के दिशा–निर्देश दिए। इसके अलावा भी आयोग ने पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे राजकीय स्तर पर उनके ईलाज की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावें।

2. परिवाद संख्या– 07/17/1516 में परिवादिया के कैंसर पीडित होने और ईलाज में हो रही परेशानियों के सन्दर्भ में विभागाध्यक्ष, रेडियोथैरेपी विभाग भगवान महावीर कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर द्वारा आयोग को परिवादिया के ईलाज की समुचित सुविधा व सहयोग देने का आश्वासन दिया गया।

3. परिवाद संख्या– 07/17/2260 में सोर्स के अभाव में कैंसर मरीजों के ईलाज के सम्बन्ध में विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड, मुम्बई ने आयोग को अवगत कराया कि उनके द्वारा जे.एल.एन. अस्पताल, अजमेर को 144 त्डड कोबाल्ट–60 की आपूर्ति दे दी गई है और सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर को 150 त्डड कोबाल्ट–60 की आपूर्ति जुलाई तक कर दी जायेगी ।

4. परिवाद संख्या– 08/17/1669 में परिवादी द्वारा एक चिकित्सक द्वारा मरीजों से अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कानून सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

5. परिवाद संख्या– 08/17/1193 में वी.सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. व ब्लड बैंक में सलाहकार व लैब टेक्निशियन की समस्याओं के बारे में परियोजना निदेशक, राजस्थान एड्स कन्ट्रोल सोसायटी ने गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे अनुबंध को तुरन्त समाप्त करने और कर्मचारियों को 6500/– रूपये फिक्स अनुबंध पर रख कर आयोग को सूचित किया गया।

6. परिवाद संख्या– 08/17/1681 में दिनांक 13.5.2008 को जयपुर में हुए बम–विस्फोटों में घायल व्यक्ति को मामले की वस्तुस्थिति देखकर कानून–सम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देश दिए गये।

7. परिवाद संख्या– 07/17/1516 में एक गरीब कैंसर पीडित महिला के मामले में देरी से जवाब पेश करने पर शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की असंवेदनशीलता बताते हुए हिदायत दी गई कि ऐसे मामलों में कागजी कार्यवाही में विलम्ब न हो और जल्दी से जल्दी पीडित को उचित स्वास्थ्य व्यवस्था दिलवाई जाये।

8. परिवाद संख्या–08/17/1193– में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर को वी.सी.टी.टी., पी.पी.टी.सी. एवं ब्लड बैंक में एड्स सलाहकार एवं लैब टेक्नीशियन से उनसे सम्बन्धित कार्य ही करवाने के निर्देश दिए गये।

9. परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234 में राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर से पूछा गया कि एड्स की रोकथाम के लिए किए गये प्रचार–प्रसार व ईलाज की सुविधा से एड्स के मरीजों की संख्या में बढोतरी हुई या कमी आई?

10. परिवाद संख्या–08/17/1819 में रेजिडेन्ट डाक्टर्स द्वारा दिनांक 8.6.2008 को की गई हडताल के सम्बन्ध में **जयपुर एसोसियेशन ऑफ रेजिडेन्ट डाक्टर्स** को अपंजीकृत संगठन एवं *Legal Entity* और *Locus Standi* के अभाव में *Null – Void* होना पाये जाने पर हडताल के लिए कथित एसोसियेशन के अध्यक्ष/पदाधिकारियों को उत्तरदायी माना और रेजीडेन्ट डाक्टर्स को आत्मचिंतन करने के निर्देश के साथ–साथ, मेडिकल कॉलेज प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी गई। इसके अलावा ऐसी समस्याओं के तुरन्त निदान में अनावश्यक देरी से आमजन को असुविधा के साथ–साथ लॉ एण्ड आर्डर की समस्या ना हो, इस हेतु उचित कार्यवाही की अनुशंसा करते हुए राज्य सरकार व सम्बन्धित अधिकारियों से भविष्य में आपसी समन्वय बनाये रखते हुए कर्त्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना व संवेदनशीलता से जनता के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव हित में काम करने की अपेक्षा की, जिससे आमजन के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ मानवहित व सुशासन में मदद मिल सकें।

11. परिवाद संख्या–08/17/2927 में एस0एम.एस.एच0 लेब में उपलब्ध अत्याधुनिक उपकरणों के संचालन एवं देखभाल हेतु स्वास्थ्य मंत्री से उचित कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

12. परिवाद संख्या–08/17/1542 में न्यूरो सर्जरी विभाग की प्रथम यूनिट में हैड द्वारा लेट राउण्ड लेने से मरीज की एक डोज मिस होने जैसी स्थिति को देखते हुए सम्बन्धित डाक्टर्स से अपेक्षा की गई कि वे ओ.टी. एवं ओ. पी.डी. के दिनों को छोडकर समय पर राउण्ड ले, जिससे परिजनों के मिलने के समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो।

13. परिवाद संख्या– 08/17/2356 में जयपुर दन्त चिकित्सालय कर्मचारी यूनियन की शिकायत पर आयोग के निर्देशानुसार कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त ने महाराज विनायक डेन्टल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के विरूद्व कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम की धारा– 7 ए के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ कर आयोग को सूचित किया। (12.2. 2009)

14. आपातकालीन सेवाओं में जीवन रक्षक औषधियां सभी रोगियों को अस्पताल से यथासमय निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिये श्री अनिल वैश्य (मुख्य सचिव) के प्रकरण संख्या 06/17/333 में आयोग ने दिनांक 12 मई, 2006 को आदेश पारित कर यह पूछा जाने पर कि आपातकालीन सेवाओं में ऐसी दवाओं को उपलब्ध कराने की क्या प्रक्रिया है व क्या मानदण्ड बनाया हुआ है तथा जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक कितने रोगियों को आपातकालीन सेवाओं में संचालित मेडिकल स्टोर से आवश्यक जीवन रक्षक औषधियां उपलब्ध कराई गई? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में आयोग को अवगत कराया कि औषधि भण्डार में उपलब्ध जीवन रक्षक औषधियां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मांग किये जाने पर निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाती है। जून, 2005 से फरवरी, 2006 तक रोगियों को उपलब्ध कराई गई ऐसी दवाइयों का विवरण भी आयोग को प्रेषित किया। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह निर्णय लिया गया कि आयोग द्वारा भी निकट भविष्य में अस्पताल प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा मौके पर जाकर लिया जायेगा।

15. परिवाद संख्या 02/17/1594 में दिनांक 11 मई, 2006 को पारित कर चिकित्सकों द्वारा रोगियों को अनावश्यक आर्थिक भार डालने से बचाने के लिये कम कीमत की ऐसी जेनरिक दवाइयां, जो ज्यादातर जीवन रक्षा के काम में आती है, (अनुमोदित सूची के अनुसार) लिखने की अपेक्षा की गई।

16. आयोग की पहल पर प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर बीमारी से ग्रस्त रोगी के इलाज पर अपनी आर्थिक हैसियत से अधिक रकम खर्च चुके परिजनों की मजबूरी एवं रोगी की गंभीर स्थिति को मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर राज्य के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में तुरन्त 'आईसीयू' में वेंटीलेटर उपलब्ध कराकर चिकित्सा मुहैया करवाने एवं पीड़ित की व्यवस्था का निवारण करने के लिये आयोग ने परिवाद संख्या 06/17/1385 में दिनांक 2 जून, 2006 के आदेश में उक्त प्राइवेट हॉस्पिटल एवं एस.एम.एस. हॉस्पिटल के इस मानवीय एवं संवेदनशील कार्यवाही की सराहना की गई।

17. आयोग के निर्देशों पर परिवाद संख्या 05/17/3038 में परियोजना निदेशक, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर द्वारा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यौन रोगों के उपचार एवं नियंत्रण, परिवार स्वास्थ्य जागरण अभियान, रक्त सुरक्षा, स्वैच्छिक परामर्श एवं रक्त जांच केन्द्र, एच.आई.वी./एड्स एवं टी.बी. समन्वय कार्यक्रम, स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम, अवसरवादी संक्रमणों हेतु निःशुल्क औषधि वितरण, स्वास्थ्यकर्मियों हेतु बचाव आदि के बारे में की जा रही कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट मानवाधिकार आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित की गई।

18. परिवाद संख्या 05/17/3048 में जे.के. लोन चिकित्सालय, जयपुर की ईकाई संख्या 4 में चिकित्सक एंव नर्सिंगकर्मियों की लापरवाही के कारण मृत्यु होने के कारण आयोग ने अन्तरिम राहत स्वरूप 25,000/— हजार (पच्चीस हजार रूपये) बतौर सहायता के आदेश के साथ, सक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता दी। जिस पर सरकार ने पीड़ित पक्ष को अंतरिम राहत का भुगतान किया।

19. परिवाद संख्या 6/17/2812 में आयोग के निर्देशों पर अस्पताल में वरिष्ठ लेब टेक्निशियन का पदस्थापन किया जा चुका है। रोगियों की जांच हेतु सैम्पल लेने का समय भी बढा दिया गया है तथा प्रयोगशाला का कार्य सुचारु रुप से चल रहा है। आयोग के निर्देश पर अस्पताल की सफाई व्यवस्था नई टीम के माध्यम से सुचारु रुप से कराई जा रही है। इसके अलावा भविष्य में अस्पताल में सफाई का समुचित ध्यान रखने, खराब मशीनरी को तुरन्त ठीक करवाये जाने, मरीजों को असुविधा न हो, इसके लिए अच्छा वातावरण रखने के साथ—साथ यह भी निर्देश प्रदान किए गये हैं कि आयोग द्वारा कभी भी उक्त अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा।

20. परिवाद संख्या 4/9/552 में को आयोग ने निर्देशित किया कि राज्य सरकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पोलिग्राफिक टेस्ट स्टॉफ की कमी को तुरन्त पूरा करें, जिससे स्टॉफ की कमी के कारण हत्या जैसे गंभीर मामलों के अन्वेषण में देरी ना हो ।

21. परिवाद संख्या — 6/17/2813 में आयोग द्वारा सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में समुचित सफाई व्यवस्था नहीं होने और ईकाइयों में गंदगी बनी रहने पर अस्पताल प्रशासन से जवाब मांगा।

22. परिवाद संख्या:07/17/2624 में मरीजों को अपने निजी चिकित्सक की निगरानी में, चैकअप करवाने हेतु पुलिस अधीक्षक, जयपुर दक्षिण, जयपुर को मरीजों के चैकअप इत्यादि करवाने व एम्बुलेंस हेतु पुलिस एस्कोर्ट मय महिला आरक्षी पहुंचाने की यथा समय व्यवस्था कराने हेतु लिखा गया।

23. परिवाद संख्या:04/17/504 में आयोग द्वारा परिवाद के तथ्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी चाहने पर यह संबंधित विभाग ने सूचित किया गया कि परिवादिया श्रीमती सरोज शर्मा प्रसाविका को उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वारा 41677/— रूपये का भुगतान कर दिया गया है।

24. परिवाद संख्या:07/17/1367 में संबंधित हॉस्पीटल द्वारा परिवादी गोपी कालबेलिया की पत्नी का हार्ट वाल्व से सम्बन्धित आपरेशन दिनांक 9.7.2007 कर आयोग को सूचित किया गया।

25. परिवाद संख्या: 06/17/2813 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों की संख्या दिनोंदिन काफी तादाद में बढने, किन्तु इसी अनुपात में वांछित सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति को देखते हुए मरीजों को ऐसी वांछित सुविधाऐं उपलब्ध न होना प्रथम दृष्टया उनके मानव अधिकारों के हनन की ताईद में माना।

26. *परिवाद संख्या– 07/17/1274* : जेल प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वे बंदियों को उचित मेडिकल व अन्य सुविधाऐं नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए और अधिक जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता से काम करें।

27. *परिवाद संख्या– 05/17/3038 व परिवाद संख्या– 05/01/3234* : तीन दिन तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं करने के सम्बन्ध में खण्डपीठ के आदेश दिनांक 3 दिसम्बर 2007 के की पालना में सम्बन्धित थानाधिकारी– थाना चाकसू श्री सवाई सिंह, उ. नि. के विरूद्व विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर आयोग को अवगत कराया गया।

28. *परिवाद संख्या–08/17/289* : सवाईमानसिंह अस्पताल में कार्यरत महिला डाक्टर्स को प्रसूति अवकाश मय वेतन नहीं दिए जाने और अवकाश के बदले में आगे कार्य करवाने के मामले में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) राज0 जयपुर से मामले की वस्तुस्थिति के बारे में पूछा गया।

28.परिवाद संख्या–08/17/71 : प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा व मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की जवाबदेही मानते हुए राज्य सरकार से अपेक्षा की गई कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु कारगार कदम उठाये। इसके अलावा फोर्टीज जैसे अस्तपाल जिनको राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर जमीन भी उपलब्ध कराई जाती है व जो *International Standards* पर ईलाज का दावा करता है, वहां ईलाज में पारदर्शिता और मानवीय दृष्टिकोण की और अधिक अपेक्षा की गई।

29. परिवाद संख्या– 07/29/2240 में आयोग के निर्देशों की अनुपालना में नसबन्दी के बाद बच्चा पैदा होने की स्थिति में अति0 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर द्वारा परिवादिया राधादेवी को 25000/– रूपये भुगतान बतौर क्षतिपूर्ति कर आयोग को सूचित किया गया।

30. परिवाद संख्या–07 / 17 / 2260: सोर्स के अभाव में सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मशीन के संचालित नहीं रहने की स्थिति में कैंसर पीडितो के ईलाज व असुविधा के मद्देनजर अधीक्षक, एस.एम.एस. अस्पताल से यह जानकारी चाही कि इन परिस्थितियों में कैंसर पीडितों के ईलाज की क्या व्यवस्था है ? और क्या ऐसे मरीजों को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल, जयपुर में ईलाज के लिए रैफर किया जा सकता है? साथ ही, चैयरपर्सन, भगवान महावीर कैंसर अस्पताल से भी पूछा गया कि यदि एस.एम.एस. चिकित्सालय से ऐसे मरीजों को रैफर किया जाता है, तो क्या उन्हें मुफ्त / रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा सकती है?

Role Of Media Exposing Underprivileged Medical Facilities

जांच लेब खुद ही 'बीमार' कैसे करें जांच

कई जांचें बंद, भुगत रहे हैं मरीज

नगर संवाददाता. जयपुर

सवाई मानसिंह अस्पताल स्थित सेंट्रल लेब इन दिनों खुद ही 'बीमार' है, ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों की कई जांचें वहां नहीं हो पा रही हैं।

लेब की कई मशीने प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में पुर्जा-पुर्जा हो रही हैं, वहीं कई मशीनें पिछले दो माह से अपने 'इलाज' के लिए तरस रही हैं। सेंट्रल लेब में बंद पड़ी मशीनों में कई तो ऐसी हैं, जिनकी कीमत 50 लाख रुपए तक है। सेंट्रल लेब प्रदेश की सबसे बड़ी लेब है। यहां राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मरीज जांच के लिए आते हैं। लेकिन लेब में मशीनें खराब होने से उन्हें मजबूरन बाहर से महंगी दरों पर जांच करवानी पड़ रही है।

अस्पताल अधीक्षक डॉ. नरपत सिंह से सवाल-जवाब

सवाल- ऑटो एनालाइजर पिछले तीन माह से खराब है?

जवाब- हमने नई मशीन खरीदने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दस वर्ष पुरानी मशीन पर खर्चा करना वाजिब नहीं है।

सवाल- नई मशीन आने तक क्या व्यवस्था रहेगी।

जवाब- वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, जांचें नहीं रुकने दी जाएंगी।

सवाल- रैक्टिक क्लोराइड काउंट खराब है?

जवाब- यह बहुत छोटी चीज है। इस पर ज्यादा जांचें नहीं होती है।

सवाल-ग्लायकोलेटेड हिमोग्लोबिन एचबीए1सी जांच भी नहीं हो रही है?

जवाब - इस जांच के लिए किट ही नहीं आ रहे हैं। किट बनाने वाली कंपनी सप्लाई ही नहीं कर रही है। यह तकनीकी चीज है, आपको बायो-कैमेस्ट्री जाननी होगी।

सवाल- किट की सप्लाई नहीं हो रही है तो अब तक आपने प्रयास?

जवाब - जब किट ही नहीं है तो क्या प्रयास करेंगे।

ये मशीनें है खराब

सेंट्रल लेब में सीबीसी सेल काउंट करने वाली मशीन ऑटो एनालाइजर पिछले तीन माह से खराब है। इस ऑटो एनालाइजर की कीमत 50 लाख रुपए है। इससे एक दिन में 200 टेस्ट किए जाते हैं। इसके अभाव में डेंगू जांच भी प्रभावित।

बच्चों में एनीमिया का पता लगाने के होने वाली रैक्टिक क्लोराइड काउंट जांच करने वाली मशीन भी तीन हफ्तों से खराब है। इस मशीन की कीमत 50 लाख रुपए है। बायो केमिस्ट्री लेब में डायबिटीज का पता लगाने के लिए होने वाली ग्लायकोलेटेड हीमोग्लोबिन एचबीए1सी मशीन पिछले एक महीने से समय से खराब पड़ी है।

मशीनें क्यों होती है खराब

अत्याधुनिक मशीनों को ऑपरेट करने से पहले लेब के स्टाफ को औपचारिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है, जिससे मशीन खराब हो जाती है। मशीनें खराब होने का एक कारण केमिकल और किट सप्लाई नहीं होना है। मशीनों की मरम्मत के लिए मैकेनिक उपलब्ध नहीं होना भी एक कारण है। सीबीसी सेल काउंट करने वाली ऑटो एनालाइजर इसी कारण खराब पड़ी है। यह मशीन विदेशी है और यहां ठीक नहीं हो सकती है।

एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग को बताया दु:खड़ा

अस्पताल बीमार, डॉक्टर लाचार

जयपुर,22 नवम्बर (का.सं.)

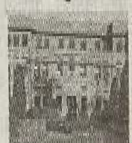

आम दुखियारे की आस बना राजधानी का सवाईमानसिंह अस्पताल सरकारी उपेक्षा के कारण खुद ही बीमार हो गया है। राज्य सरकार अस्पताल की स्थिति में सुधार के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग की भी अनसुनी कर रही है।

अस्पताल प्रशासन की ओर से मानवाधिकार आयोग को मिली रिपोर्ट कहती है कि उच्च न्यायालय का तीन साल पुराना आदेश भी दिखावटी ढंग से पूरा किया गया है। मानवाधिकार आयोग को अस्पताल में स्टाफ कम होने के मामले में दो माह से प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव के जवाब का इंतजार है। आयोग ने प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव की इस बेरुखी को गम्भीर माना है और अस्पताल के हालात में सुधार के लिए किए प्रयासों की सात जनवरी तक जानकारी देने को कहा है। आयोग सदस्य जगत सिंह को पिछले साल अस्पताल में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं मिलने पर यह परिवाद दर्ज हुआ था। अस्पताल के हालात के बारे में राज्य मानवाधिकार आयोग को मिली रिपोर्ट चिंताजनक है। अस्पताल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार स्टाफ की कमी से यहां ऑपरेशन थियेटर, आई.सी.यू., वार्ड व आउटडोर सभी जगह अव्यवस्थाओं का राज है। वार्डबॉय व स्वीपर्स की कमी से सफाई व्यवस्था लचर है, चिकित्सकीय अपशिष्ट ठिकाने लगाने में भी दिक्कत आ रही है। अस्पताल प्रशासन ने खुद कहा है कि इस हालात का रोगियों के उपचार पर विपरीत असर हो रहा है। इसी तरह एक वार्ड में एक या दो नर्सिंग स्टाफ को 30 से 40 मरीजों की देखभाल करनी पड़ रही है, जबकि मापदण्डों के हिसाब से नर्सिंग स्टाफ इससे कई गुणा होना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 04 में सेनिटेशन ऑफिसर लगाने को कहा था, लेकिन राज्य सरकार के असहयोग के कारण अस्पताल प्रशासन आज भी दो चिकित्सालय अवधाताओं से सेनिटेशन ऑफिसर का काम करवा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अदालती आदेशों की पूर्ण पालना के लिए सेनिटेशन ऑफिसर के दो पदों का सृजन आवश्यक है।

सुपर स्पेशिलिटी से सांस फूली

डेढ़ दशक में सवाई मानसिंह अस्पताल में 26 प्रकार की सुपर स्पेशिलिटी विकसित हुई, लेकिन इनके लिए पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। इससे अस्पताल की रही सही व्यवस्थाओं की भी सांस फूलने लगी है।

राहत की गुहार

अस्पताल में रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालय द्वारा गठित एम.एल. मेहता कमेटी ने चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की कमी दूर करने को कहा। इस बारे में प्रस्तावों की फाइल भी आगे सरकी, लेकिन स्टाफ तीन साल में भी नहीं बढ़ा। इसके विपरीत पिछले दो साल में अस्पताल में विभिन्न संवर्गों के 140 पद समाप्त कर दिए गए। अस्पताल में 25 साल में मरीजों की संख्या कई गुणा बढ़ी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और मंत्रालयिक कर्मचारी पर्याप्त नहीं मिले। अस्पताल प्रशासन ने मरीज हित में स्टाफ बढ़ाने के प्रस्ताव पर अमल के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग से दखल की गुहार की है।

इनके लिए गुहार

अस्पताल प्रशासन ने मानवाधिकार आयोग से सुरक्षा अधिकारी, सहायक अधीक्षक, स्वच्छता अधिकारी, परफ्यूजिस्ट, लेखाकार, केयर टेकर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन, वार्डबॉय, स्वीपर सहित अन्य के पद बढ़वाने की मांग की है।

अस्पताल के हाल

अस्पताल में भर्ती मरीज- औसतन 2100

आउटडोर में प्रतिदिन मरीज- औसतन 2300

अस्पताल में अधिकारी-कर्मचारियों के पद- 1515

जिला स्तर पर कैसे होगी कैंसर जांच?

मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख चिकित्सा सचिव से मांगा जवाब

जयपुर, 19 मई (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख चिकित्सा सचिव से जिला स्तर पर कैंसर जांच केन्द्रों की स्थापना के आदेश की पालना के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही चिकित्सा मंत्री से कैंसर रोगियों की सहूलियत के लिए समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को दिशा-निर्देश देने की सिफारिश की है। आयोग ने कैंसर जांच व उपचार के बारे में अब तक दिए आदेशों की जानकारी भी चिकित्सा मंत्री को भिजवाई है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने कैंसर जांच सुविधाओं की कमी को गम्भीरता से लिया है। आयोग ने तीन मौके मिलने के बावजूद कैंसर जांच सम्बन्धी खराब मशीन के बारे में सवाई मानसिंह अस्पताल अधीक्षक का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा सचिव से पूछा कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां कैंसर जांच कैसे की जा रही है और एक साल में कितने कैंसर रोगियों का पता लगाया गया। साथ ही, यह भी बताने को कहा कि सालभर में कितने कैंसर रोगियों को जिला मुख्यालयों से उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर किया गया।

नहीं दी जानकारी

आयोग ने इस बात को भी गम्भीरता से लिया कि सितम्बर 08 में कैंसर जांच की सुविधाओं के विस्तार का आदेश दिया गया लेकिन मार्च 09 तक सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई के बारे में आयोग को अवगत नहीं कराया गया।

यह था आदेश

सितम्बर 08 के आदेश में कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज रहित जिलों में कैंसर की प्रारम्भिक स्तर पर जांच की व्यवस्था की जाए। प्रारम्भिक स्तर पर जांच से न केवल रोगी का इलाज सुनिश्चित होगा, बल्कि इलाज का खर्च भी कम होगा।

पोस्टमार्टम में देरी पर प्रसंज्ञान लिया

राज्य के प्रमुख शासन सचिव गृह, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक से तीन दिन में जवाब मांगा

नवज्योति ब्यूरो

जयपुर, 30 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने सवाईमान सिंह अस्पताल में रखे गुर्जर आंदोलनकारियों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर राज्य के प्रमुख शासन सचिव गृह और अस्पताल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में जवाब तलब किया है। मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई फारवर्ड ब्लॉक की राज्य इकाई के महासचिव हीराचंद जैन की ओर से दायर परिवाद पर प्रसंज्ञान लेकर की है।

परिवादी ने 27 मई को मानवाधिकार आयोग को यह परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार जान-बूझकर गुर्जर आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं करा रही है। परिवाद में सरकार के इस कृत्य को अमानवीय बताते हुए कहा गया कि यदि पांच-छह दिन में पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मृतकों की लाशें डी-कम्पोज्ड हो जाएगी। परिवादी ने पुलिस की गोली से मारे गए 43 लोगों का मामला उठाते हुए इस मामले की विस्तृत जांच कराने की राज्य मानवाधिकार आयोग से गुहार की थी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई थी। इस मामले में परिवादी हीराचंद जैन ने शुक्रवार को भी राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य धर्मसिंह मीणा को एक फैक्स भेजकर आशंका जताई थी कि अस्पताल में रखे शवों के पोस्टमार्टम में अनियमितता हो सकती है क्योंकि मृतकों के परिजन अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। फैक्स में इस प्रकरण में तत्काल प्रसंज्ञान लेने की मांग की गई थी।

mustread

'Save environment through awareness'

Environmentalists, legal experts, groundwater scientists, wildlife lovers, teachers and representatives from various NGOs gathered to review the environment and environment related laws in a seminar on Challenges of Environment Law and Compliance. Environment and Forest Ministry, Central Groundwater Board and Wing of Research in Local Development (WORLD), the NGO jointly organised this seminar at the conference hall of Central Groundwater Board in Jhalana Dungari. Justice Rajendra Saxena presided over the seminar, while State Human Right Commission chairman Justice NK Jain was the chief guest.

एसएमएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हुई तो सोमवार को सेवाएं बहाल हुई। मरीज आए, लेकिन सहमे हुए थे। (इनसेट)। घायल युवती के प्लास्टर बांधता वार्डब्वॉय। -भास्कर

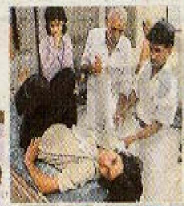

एसएमएस अस्पताल : मरीजों ने ली राहत की सांस

इमरजेंसी सेवाएं बहाल

दिनभर सहमे नजर आए मरीज, कलेक्टर ने दिए मामले की जांच के आदेश, अस्पताल प्रशासन ने चुप्पी साधी

नगर संवाददाता. जयपुर

एसएमएस अस्पताल में सोमवार को इमरजेंसी सेवाएं बहाल होने से मरीजों ने राहत की सांस ली, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्या का समाधान नहीं होने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं।

हालांकि कलेक्टर ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सोमवार रात तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर को इस बारे में कोई लिखित निर्देश नहीं मिले, वहीं कुछ सामाजिक संगठनों ने हाल ही रेजीडेंट डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के हित में कैबिनेट से पारित अध्यादेश पर राज्यपाल से हस्ताक्षर नहीं करने की मांग की है, जबकि अस्पताल प्रशासन इस मामले में चुप्पी साध गया।

पोलीट्रोमा वार्ड पर पुलिस का पहरा

एसएमएस अस्पताल में भर्ती घायल गुर्जर आंदोनकारियों के भागने की घटना के बाद सोमवार को पोलीट्रोमा वार्ड के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। पुलिस दिनभर गुर्जरों पर निगरानी करती रही। गौरतलब है कि रविवार को बयाना पुलिस द्वारा कुछ गुर्जरों को पकड़कर ले जाने के बाद कार्रवाई के डर से नौ गुर्जर अस्पताल से फरार हो गए थे। इससे पहले भी वार्ड से एक घायल आंदोलनकारी अस्पताल से भाग गया था। पुलिस पहरे के बाद घायल गुर्जरों में गिरफ्तारी को लेकर डर बैठ गया है क्योंकि अब घायलों को वार्ड से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है।

अध्यादेश पारित नहीं करने की मांग

विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों को प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में अराजकता फैलाने का जिम्मेदार मानते हुए उनके खिलाफ अभियान छेड़ने की बात कही है। 'मजदूर किसान व खुदरा व्यवसाय बचाओ अभियान' और 'नासवी' की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जमीयतुल कुरेश के जयपुर जिलाध्यक्ष ने घटना के विरोध में संयुक्त बयान जारी किया। वे अन्य संगठनों के साथ एक शिष्टमंडल लेकर राज्यपाल के पास जाएंगे और उनसे हाल में पारित अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध करेंगे।

चिकित्सा सचिव सहित चार को नोटिस

अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं को ठप करने का मामला

नसं. जयपुर. रेजिडेंट डॉक्टरों की ओर से एसएमएस अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं को ठप करने की घटना को राज्य मानवाधिकार आयोग ने कर्तव्य-विहीन व अशोभनीय माना है।

आयोग ने दैनिक भास्कर सहित अन्य अखबारों में छपी खबरों पर प्रसंज्ञान लेते हुए सोमवार को चिकित्सा सचिव सहित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अशोक पानगड़िया, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक नरपत सिंह शेखावत व जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष को नोटिस दिए हैं।

आयोग ने इन्हें एक सप्ताह में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने नोटिसों में कहा है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टरों का कार्य प्रथमदृष्टया गैर जिम्मेदाराना है। डॉक्टरों को मरीजों को आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थीं, लेकिन उन्होंने सेवाओं को ठप कर अशोभनीय तथा अमानवीय कार्य किया है।

आवेश के कारण बिगड़ा मामला

गोखले छात्रावास के छात्रों से मारपीट की घटना के बाद पुलिस के लाठीचार्ज से रेजिडेंट डॉक्टर बौखला गए। अस्पताल के सीनियर डॉक्टरों के अनुसार अगर रेजिडेंट डॉक्टर आवेश में नहीं आते और मामले को अस्पताल प्रशासन को बताने तक धैर्य रखते तो बात नहीं बिगड़ती। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन भी आंदोलित डॉक्टरों को समझाने और इमरजेंसी सेवाएं बहाल कराने में नाकाम रहा।

अस्पताल में सेवाएं ठप होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया

नसं. जयपुर. प्रदेश कांग्रेस ने सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं ठप होने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान व प्रवक्ता सत्येंद्रसिंह राघव ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सरकार हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों व छात्रों के बीच समझौता नहीं करवा सकी, इसका खामियाजा राज्य के मरीजों को उठाना पड़ा।

पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन लाचार नजर आया। सरकार की ओर से गंभीर मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इससे मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ा।

मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई का आग्रह: कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई इस घटना से गंभीर मरीजों के सामने पैदा हुई जिंदगी-मौत की समस्या के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लोढ़ा ने सोमवार को इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन से शिकायत की।

टर्न ओवर के फेर में दवाइयों की गुणवत्ता से कैसा समझौता

मानवाधिकार आयोग का चिकित्सा सचिव को नोटिस

नवज्योति ब्यूरो

जयपुर, 18 मार्च। लाइफ लाइन में दवाइयों की खरीद के मामले में एक सौ करोड़ रुपए के टर्न ओवर की शर्त पर मानवाधिकार आयोग ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है कि टर्न ओवर से गुण-अवगुण का क्या लेना-देना है।

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन के जैन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस भेजा है। उन्होंने कहा कि लाइफ लाइन योजना के पीछे गरीब मरीजों को उचित कीमत पर दवाईयां उपलब्ध कराना था। लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर की स्थापना से मरीजों को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाईयां और सर्जिकल उत्पाद सहजता से उपलब्ध होती है। उन्होंने पूछा है कि विक्रय की जाने वाली उत्पादों का खुली निविदाओं में एक सौ करोड़ रुपए के टर्न ओवर की शर्त से दवाईयों की क्वालिटी का कैसे आंकलन होगा। मानवाधिकार आयोग में विपिन गुप्ता और प्रेम प्रकाश वर्मा ने शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शिकायत की थी कि एक सौ करोड़ रुपए के कारोबार की शर्त को शामिल करने के लिए 11 चिकित्सकों की कमेटी ने 11 महीने के बाद अनुमोदन कर दिया और अनुमोदन में किसी भी प्रकार के नियमों का पालन नहीं किया, जबकि वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार निविदा का निपटारा 90 दिनों में हो जाना चाहिए।

रेजिडेंट डॉक्टर आज से लौटेंगे काम पर

सरकार ने मांगें मानीं

नसं. जयपुर . रेजिडेंट डॉक्टर रविवार से काम पर लौट आएंगे। शनिवार को सरकार से वार्ता व लिखित आश्वासन के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने सामूहिक अवकाश समाप्त कर दिया। रेजिडेंट डॉक्टर पिछले एक सप्ताह से छठे वेतन आयोग की सिफारिश में लाभ दिए जाने की मांग कर रहे थे। रेजिडेंट डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने से एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (जार्ड) के प्रवक्ता डॉ.राजविन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों की न्यूनतम मांगों पर सहमति जताई है। वार्ता के समय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मेडिकल शिक्षा सचिव डॉ.गोविन्द शर्मा, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ.अशोक पानगड़िया, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ.नरपत सिंह शेखावत एवं जार्ड का प्रतिनिधिमंडल था।

हैदराबाद कंपनी के लिए फार्मा वितरक चाहिए

ऐसे वितरक जिनके पास राजस्थान राज्य में हमारा उत्पाद प्रोमोट करने की क्षमता हो

मोबाइल : 09346239362

ADITUS LABORATORIES LIMITED
Plot # 22, Phase-1, IDA, Cherlapally, Hyderabad-500 051.
Ph:040-2726 1299 / 3291 8280 Fax:040-2726 1179
Email:aditus232@yahoo.com

राज्य मानवाधिकार आयोग ने गंभीर माना

रेजीडेन्ट डॉक्टर्स हड़ताल

जयपुर, (कासं)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने वेतन विसंगतियों को लेकर हड़ताली रेजीडेन्ट डॉक्टर्स की मांगों पर राज्य सरकार को शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर मामले के निपटारे की बात कही है। वहीं आयोग ने रेजीडेन्ट डॉक्टर्स के कार्य बहिष्कार को भी गैर कानून माना है और उन्हें ताकीद किया है कि प्राणी मात्र के हित में वे इस तरह के आन्दोलनों से दूर हे। आयोग नेबिना पंजीयन और आवश्यक कानूनी खानापूर्ति किए संगठन खड़ा कर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन करने वाले ऐसे अन्य संगठनों के खिलाफ भी कड़ा एतराज दर्ज करायाहै, आयोग ने हड़ताली संगठनों के खिलाफ सम्बन्धित प्रशासन को कार्यवाही की स्वतन्त्रता दी है। आयोग का कहना है कि डॉक्टर का कार्य न केवल विशिष्ट पेशा मात्र है बल्कि इसमें प्राणी की सेवा भी निहित है। डॉक्टर को समाज में भगवान का दर्जा प्राप्त है। आयोग का मानना है कि डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बजाए शान्तिपूर्ण ढंग से वार्ता के जरिए अपनी मांगो की समाधान कराएं।

श्राविका गौरव सम्मान रविवार को

जयपुर, (कासं)। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की ओर से इस वर्ष का ''श्राविका-गौरव'' सम्मान जयपुर की दो महिलाओं कमला देवी बरड़िया व जतन देवी भंडारी को रविवार को प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष सौभाग बैद ने बरड़िया व भंडारी के नामों की घोषणा करते हुये बताया कि संघ व संघपति के प्रति समर्पित इन दोनों महिलाओं ने नारी उत्थान के लिए प्रयास किये।

राज्य मानवाधिकार आयोग ने माना

रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल गैरकानूनी

कहा- मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों की समस्याओं पर राज्य सरकार और अस्पताल प्रशासन गंभीरता से विचार करे

नगर संवाददता. जयपुर

राज्य मानवाधिकार आयोग ने सवाई मानसिंह अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से 6 जून 2008 को की गई हड़ताल को गैरकानूनी माना है। आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन.के.जैन एवं सदस्य पुखराज सीरवी ने मामले का निबटारा करते हुए अपने आदेश में कहा कि कॉलेज प्रशासन कथित अध्यक्ष डॉ. अखिलेश मिश्रा व अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है।

आयोग ने कहा कि कॉलेज के छात्रों व डॉक्टरों की समस्याओं का निराकरण करने का दायित्व कॉलेज व अस्पताल प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार का भी है। इन्हें देखना चाहिए कि समस्याओं को सुलझाने में देरी न हो और अनावश्यक देरी के कारण आम-जन को असुविधा न हो। इस तरह की समस्याओं को जटिल होने से पहले ही सुलझा लें, जिससे कि कानून एवं व्यवस्था बनी रह सके। राज्य सरकार को चाहिए कि वह भविष्य में ऐसी समस्याओं को आपसी वार्ता व सौहार्दपूर्ण तरीके से निबटाए। इसके अलावा डॉक्टर भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे।

क्या था मामला

6 जून 2008 को रेजिडेंट डॉक्टरों व गोखले छात्रावास के छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं करवाई और इमरजेंसी वार्ड के मुख्य द्वार को बंद कर दिया था। इससे मरीजों व आम-जन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसकी खबर 9 जून 2008 को समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। प्रकाशित समाचारों पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया। आयोग ने चिकित्सा शिक्षा सचिव सहित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य व एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक से जवाब तलब किया। अपने जवाब में कॉलेज प्रशासन ने कोर कमेटी के गठन की जानकारी देते हुए कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

Human rights panel slams doctors' strike

P J Joychen | TNN

Jaipur: Even as the State Human Rights Commission (SHRC) on Thursday maintained that the strike called by Jaipur Association of Resident Doctors (JARD) at the SMS hospital was illegal, the doctors continued with their agitation. Showing some amount of respect to the public, the agitating doctors held a parallel Out Patient Department (OPD) outside the emergency.

The doctors provided free check-up and medication to over 400 patients at the OPD on Thursday. However there was no indication of the strike being called off.

"We met the health education secretary and other officials. They, however, did not accept our demands and hence we will continue with the agitation," said Dr Akhilesh Mishra, president JARD.

Earlier, the SHRC had denounced JARD as being a nonentity. The commission said it had no authority to control the affairs of resident doctors of the city as it is not a registered body and declared its activities as 'null and void'.

Arvind Sharma

Doctors at parallel OPDs outside SMS Hospital on Thursday

A June 6 order issued by the commission headed by Justice N K Jain, after a quarrel between some resident doctors and students of the Gokhale Hostel, had observed that its action was blatantly illegal.

The commission noted that the association president Dr Akhilesh Mishra and spokesman Dr Rajendra Chaudhary had failed to register the organization after repeated reminders.

The commission also observed that medical profession is not just a noble profession but is a service to the society. It deals with human life. The order said that "the resident doctors going on strike and disturbing the functioning of the hospitals in the city instead of exploring the other peaceful options of talks and dispute resolution is against humanism and is illegal".

Justice Jain said the that the SMS Medical College authorities are free to initiate any legal action against the doctors' body as it is a self-assumed representative of the city resident doctors.

रेजीडेंट्स की हड़ताल का पांचवां दिन

डॉक्टर ने नहीं देखा, बच्चे की मौत

परिजनों ने लगाया देखभाल में लापरवाही का आरोप

जयपुर, 17 सितम्बर (मे.सं.)। रेजीडेंट चिकित्सकों की हड़ताल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सवाई मानसिंह अस्पताल के न्यूरोसर्जरी वार्ड में भर्ती एक मरीज की बुधवार सुबह मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि रात भर चिकित्सकों को ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। उधर, हड़ताल के कारण अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों के उपचार में परेशानी हो रही है। दातारामगढ़ निवासी कालू के चार वर्षीय पुत्र सोनू को मंगलवार रात को न्यूरोसर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसका तत्काल ऑपरेशन भी किया गया, लेकिन देर रात उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। बुधवार सुबह उन्होंने अन्य यूनिट के चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन तब तक उसकी सांसों की डोर टूट चुकी थी।

गुप्ता व शर्मा से मिले

रेजीडेंट चिकित्सक बुधवार को भी काम पर नहीं लौटे। उनके प्रतिनिधिमंडल ने जन अभाव अभियोग के अध्यक्ष एस.एन. गुप्ता एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. गोविन्द शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि वित्त विभाग को भेजे गए प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया तो वे काम पर नहीं लौटेंगे।

आज से आएंगे पीजी स्टूडेंट

सेवा में कार्यरत पीजी कर रहे चिकित्सक गुरुवार से काम पर आ जाएंगे। राजस्थान चिकितसक एसोसिएशन के डॉ. राम लाल ने बताया कि तीन दिन का नोटिस दिया था। नोटिस का समय समाप्त हो जाने के बाद अब काम पर लौट आने का निर्णय किया है।

"बच्चे को रात को भर्ती किया गया था। गंभीर हालत को देखते हुए ही उसी समय ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हुई। अस्पताल में सभी यूनिट मिलकर काम कर रही हैं। हमारी लापरवाही होती तो हम रात्रि में उसका ऑपरेशन ही क्यों करते।"

-डॉ. एच. बगड़िया, यूनिट हेड, न्यूरोसर्जरी विभाग, सवाई मानसिंह अस्पताल

स्वास्थ्य निदेशालय में ठप रहा काम

चिकित्साकर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते बुधवार को स्वास्थ्य निदेशालय में कार्य पूरी तरह ठप रहा। अखिल राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज सक्सेना ने बताया कि लम्बे समय से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए मजबूरन एक दिन काम ठप करना पड़ा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में भी विसंगतियां हैं। पांच दिन का सप्ताह कई अस्पतालों में मंत्रालयिक कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा रहा। सरकार ने मांगों पर निर्णय नहीं किया तो आंदोलनात्मक रुख अपनाने को मजबूर होना पड़ेगा।

'मर्ज' बढ़ने से पहले ढूंढो 'इलाज'

राज्य मानवाधिकार आयोग ने जनहित में रेजीडेन्ट चिकित्सकों के आंदोलनों को टालने की हिदायत दी है। आयोग ने जून में रेजीडेन्ट चिकित्सकों के आंदोलन के कारण एसएमएस अस्पताल की आपातकालीन इकाई का कामकाज प्रभावित होने से सम्बन्धित मामले में तीनों पक्षों को सुनने के बाद प्रकरण तो निस्तारित कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजीडेन्ट चिकित्सकों को भविष्य में बातचीत के जरिए ऐसी स्थिति से बचने का रास्ता निकालने का सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि तीनों पक्ष समय रहते बातचीत के जरिए समाधान निकाल लें तो आमजन को इसका दुष्प्रभाव झेलने से बचाया जा सकता है। आंदोलन टलने से सुशासन की अवधारणा के क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।

एक का निपटारा, दूसरा शुरू : आयोग ने जहां जून में रेजीडेन्ट चिकित्सकों के आंदोलन से सम्बन्धित मामले का निस्तारण कर दिया है, वहीं छठे वेतन आयोग क पर्याप्त लाभ नहीं मिलने से नाराज रेजीडेन चिकित्सक फिर आंदोलन पर उतर आए हैं। आंदोल को टालने के लिए भी पुख्ता प्रयास नहीं हुए हैं।

रेजिडेंट डॉक्टर्स मामले की जांच करेंगे आईजी

नसं.जयपुर. राज्य मानवाधिकार आयोग ने आयोग के पुलिस महानिरीक्षक को उस मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल में 8 जून को रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आपातकालीन सेवाएं ठप कर दी थीं। आयोग अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन ने दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पर संज्ञान लेते हुए पुलिस महानिरीक्षक को 4 बिंदुओं पर वस्तुस्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। इनमें औसतन कितने मरीज रोजाना आपातकालीन वार्ड में आते हैं, क्या रोजाना रेजिडेंट डॉक्टर्स की ड्यूटी का चार्ट बनता है, घटना वाले दिन किन-किन रेजिडेंट डॉक्टर्स की आपातकालीन वार्ड में ड्यूटी थी और मरीजों को रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भर्ती किया था या वरिष्ठ डॉक्टर्स ने।

इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा से एसोसिएशन का संविधान, चुनाव प्रक्रिया, पंजीयन, पदाधिकारी व कॉलेज की मान्यता के संबंध में आवश्यक जानकारी सहित घटना वाले दिन कौन रेजिडेंट डॉक्टर ड्यूटी पर थे और किस रेजिडेंट डॉक्टर ने मरीजों को सेवाएं दीं, इस बारे में 28 जून तक वस्तुस्थिति बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले 9 जून को दिए गए आदेश के जवाब में अस्पताल अधीक्षक ने आयोग को बताया कि 8 जून को रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इमरजेंसी वार्ड का मुख्य द्वार बंद कर दिया। यहां आने वाले मरीजों का वरिष्ठ डॉक्टर्स की मौजूदगी में सीधे वार्ड में उपचार किया गया और भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई।

पोस्टमार्टम में देरी पर प्रसंज्ञान लिया

राज्य के प्रमुख शासन सचिव गृह, एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक से तीन दिन में जवाब मांगा

नवज्योति ब्यूरो

जयपुर, 30 मई। राज्य मानवाधिकार आयोग ने सवाईमान सिंह अस्पताल में रखे गुर्जर आंदोलनकारियों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कराने पर राज्य के प्रमुख शासन सचिव गृह और अस्पताल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे तीन दिन में जवाब तलब किया है। मानवाधिकार आयोग ने यह कार्रवाई फारवर्ड ब्लॉक की राज्य इकाई के महासचिव हीराचंद जैन की ओर से दायर परिवाद पर प्रसंज्ञान लेकर की है।

परिवादी ने 27 मई को मानवाधिकार आयोग को यह परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें कहा गया कि राज्य सरकार जान-बूझकर गुर्जर आंदोलन में पुलिस की गोली से मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं करा रही है। परिवाद में सरकार के इस कृत्य को अमानवीय बताते हुए कहा गया कि यदि पांच-छह दिन में पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो मृतकों की लाशें डी-कम्पोज्ड हो जाएगी। परिवादी ने पुलिस की गोली से मारे गए 43 लोगों का मामला उठाते हुए इस मामले की विस्तृत जांच कराने की राज्य मानवाधिकार आयोग से गुहार की थी। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की गई थी। इस मामले में परिवादी हीराचंद जैन ने शुक्रवार को भी राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य धर्मसिंह मीणा को एक फैक्स भेजकर आशंका जताई थी कि अस्पताल में रखे शवों के पोस्टमार्टम में अनियमितता हो सकती है क्योंकि मृतकों के परिजन अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। फैक्स में इस प्रकरण में तत्काल प्रसंज्ञान लेने की मांग की गई थी।

मानवाधिकार की नजर स्वास्थ्य सेवाओं पर

मानवाधिकार आयोग ने किया जवाब तलब

जयपुर, 30 मई (कासं)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने फारवर्ड ब्लॉक की शिकायत पर प्रसंज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव गृह और अधीक्षक सवाईमान सिंह अस्पताल से जवाब तलब किया है। फारवर्ड ब्लॉक के स्टेट जनरल सैक्रेटरी हीराचंद जैन ने 27 मई को मानवाधिकार आयोग को परिवाद भेजकर एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में पड़े गुर्जरों के शवों का पोस्टमार्टम कर उन्हें परिजनों को नहीं देने और पोस्टमार्टम में अनियमितताएं होने की आशंका के साथ-साथ गुर्जरों पर अत्याचार के मामलों की जांच कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी।

मीणा का बयान गैरजिम्मेदाराना : फारवर्ड ब्लॉक के स्टेट जनरल सैक्रेटरी हीराचंद जैन ने राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य धर्मसिंह मीणा के बयान पर आपत्ति जताई है। जैन ने कहा कि गुर्जर आरक्षण आंदोलनकारियों पर अत्याचार व मृतकों के शवों को उनके परिजनों को नहीं सौंपने के मामले में हस्तक्षेप की अपील करते हुए उन्होंने 27 मई को आयोग में अपील दायर कर दी थी किन्तु 30 मई को एक दैनिक में यह वक्तव्य दे डाला कि 'फिलहाल आयोग के समक्ष कोई शिकायत नहीं आई है।

इमरजेंसी सेवाएं ठप करने का मामला

मानवाधिकार आयोग ने किया जवाब-तलब

जयपुर, 9 जून (का.सं.)

सवाई मानसिंह अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों और गोखले छात्रावास के छात्रों की बीच हुई लड़ाई से परेशान हुए मरीजों का मामला सोमवार को मानवाधिकार आयोग पहुंच गया। आयोग ने इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक, स्वास्थ्य सचिव और जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स के अध्यक्ष को नोटिस जारी किए है। उनसे पूछा गया है कि मरीजों से इस तरह का अशोभनीय व्यवहार क्यों किया गया और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या उपाय किए गए है। कांग्रेस के विधायक संयम लोढ़ा ने इस मामले में आयोग में शिकायत की थी और आयोग के अध्यक्ष एन.के.जैन से मिल कर इस मामले में प्रसंज्ञान लेने का आग्रह किया था।

कांग्रेस ने कहा, सरकार जिम्मेदार

उधर प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉ.चंद्रभान और प्रवक्ता सत्येन्द्र सिंह राघव ने यहां जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार रेजिडेंट डॉक्टरों और छात्रों के बीच झगड़े को समय पर नहीं सुलझा पाई, इसलिए मरीजों को यह परेशानी भुगतनी पड़ी।

आप की राय 56969 full time masti !

क्या संसद पर हमले के दोषी अफजल को तत्काल फांसी दे देनी चाहिए?

हां के लिए Poll A टाइप कर
ना के लिए Poll B 56969 पर
पता नहीं Poll C SMS करें

कल का परिणाम

अपनी सजा पर अफजल गुरु का बयान क्या केन्द्र सरकार की कमजोरी दर्शाता है?

हां 86% ना 14% पता नहीं 00%

Log on करें www.rajasthanpatrika.com पर

रिपोर्ट तैयार, आज सौंपेंगे

रेजीडेंट चिकित्सकों की हड़ताल की जांच के लिए गठित चार सदस्यीय जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभवतः मंगलवार को यह रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा सचिव को सौंपी जाएगी। सवाई मानसिंह अस्पताल के डॉ. राकेश भार्गव, डॉ. जगदीश चौधरी, डॉ. नवनेन्द्र माथुर एवं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के एक अधिकारी की समिति ने सोमवार पूरे दिन विभिन्न पहलुओं पर सभी से वार्ता की। उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को यह रिपोर्ट चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉ. गोविन्द शर्मा को सौंप दी जाएगी।

आउटडोर में रही भीड़

एक दिन पहले एसएमएस अस्पताल की आपातकालीन इकाई और आउटडोर बंद रहने के कारण सोमवार को अस्पताल के आउटडोर में भीड़ उमड़ पड़ी। अधिक भीड़ मेडिकल आउटडोर में नजर आई। यहां मरीजों की लंबी कतारें नजर आई। कमोबेश ऐसी ही स्थितियां जेकेलोन अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में भी देखी गई।

चलेगा सामाजिक संगठन अभियान

मजदूर किसान व खुदरा व्यवसाय बचाओ अभियान के पदाधिकारियों ने रेजीडेंट्स द्वारा एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी बंद करने की निंदा करते हुए सवाईमानसिंह अस्पताल में एक 'सामाजिक संगठन अभियान' चलाने की घोषणा की है।

अभियान के अध्यक्ष बसंत हरियाणा, नासवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य घनश्याम कोतवानी, जमियतुल कुरेश के जयपुर जिलाध्यक्ष फजलै करीम कुरेशी ने संयुक्त बयान में कहा कि इस संबंध में शीघ्र ही शिष्टमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ के पक्ष में जारी किए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर नहीं करने की गुजारिश करेगा।

क्या है एसएमएस की मशीनों की बीमारी ?

दूसरों के मानवाधिकारों का नहीं हो हनन : जैन

अस्पताल प्रशासन ने दिया जवाब

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के.जैन ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए न्यायोचित तरीके से मांग व शांतिपूर्वक आंदोलन करने की स्वतंत्रता है। परन्तु उन्हें यह भी देखना होगा कि उनके अधिकारों की मांग के तरीकों से मानव अधिकारों का हनन न हो। सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है कि आंदोलन को हिंसक न बनाए। सार्वजनिक व राष्ट्र की सम्पत्ति को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। आम नागरिक को बेवजह परेशानी व असुविधा न हो जो लोकतंत्र में जरुरी है व आंदोलनकारियों को समाज के प्रति मूल कर्तव्यों को भी देखना हैं।

ऐसे कृत्यों से समाज में वैमनस्यता बढ़ती है व सभी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। रेल, बस, माल परिवहन के आवागमन व अन्य सुविधाओं के पूरी तरह क्रियान्वयन न होने व आम आदमी को सही जानकारी नहीं होने के कारण यात्री हर स्तर पर बुरी तरह से पीड़ित है। इसके अलावा ऐसे वातावरण में संबंधित अधिकारी भी सही सूचना देने व अपने कार्यो को करने से कतरा रहे है। यह सभी बातें सोचने के विषय हैं। आयोग के सदस्य पुखराज सीरवी ने बताया कि आरक्षण आंदोलन के दौरान मृतक सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखे शवों का अब तक पोस्टमार्टम नहीं करने व शवों को उनके परिवारजनों को नहीं सौंपने के संबंध की शिकायत पर आयोग ने प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल से जवाब मांगा था। अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल ने सोमवार को जवाब पेश कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होंगी।

अस्पताल में सेवाएं ठप होने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया

नसं. जयपुर. प्रदेश कांग्रेस ने सवाई मानसिंह अस्पताल में आपातकालीन सेवाएं ठप होने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए मानवाधिकार आयोग से इसकी शिकायत की है। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रभान व प्रवक्ता सत्येंद्रसिंह राघव ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सरकार हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों व छात्रों के बीच समझौता नहीं करवा सकी, इसका खमियाजा राज्य के मरीजों को उठाना पड़ा।

पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन लाचार नजर आया। सरकार की ओर से गंभीर मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इससे मजबूरन उन्हें निजी अस्पतालों में जाना पड़ा।

मानवाधिकार आयोग से कार्रवाई का आग्रह: कांग्रेस विधायक संयम लोढ़ा ने सवाई मानसिंह अस्पताल में हुई इस घटना से गंभीर मरीजों के सामने पैदा हुई जिंदगी-मौत की समस्या के लिए राज्य मानवाधिकार आयोग से संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। लोढ़ा ने सोमवार को इस संबंध में आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन से शिकायत की।

वर्ल्ड के कार्यक्रम में समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एन के जैन सम्बोधित करते हुए।

पशु कल्याण के लिए जन चेतना जरूरी: जैन

जयपुर, 28 जनवरी। प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संगठन वर्ल्ड, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, सरस,-राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन, लि राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एसबीबीजे, भारत संचार निगम लिमिटेड, के एस मोटर्स तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाडा-2009 का समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया।

वर्ल्ड संगठन के निदेशक मनीष सक्सेना ने बताया कि इस अवसर पर पखवाड़े में आयोजित अन्तर्विद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता रोहित असोलिया विद्याश्रम, भाव्या गजवत, सेंट पॉल्स, आदित्य शर्मा, सेंट एडमण्डस, हिमांशी, सिंह एसवी पब्लिक स्कूल, रिषभ बंसल एमपीएस, रिंकू चौधरी, गार्जियन स्कूल, रमाना शर्मा, स्प्रिंग डेल्स को तथा अन्तर्विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानसी खूंटेटा टीपीएस व द्वितीय स्थान, गौरव शर्मा एपीएस तथा तृतीय स्थान लनीषा जयसवाल एसवी पब्लिक स्कूल तथा अन्तर्विद्यालयी कवितापाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विशेष व्यास एपीएस व द्वितीय स्थान श्रुति गुप्ता टीपीएस को कार्यक्रम के अतिथि न्यायमूर्ति एन के जैन अध्यक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एन के जैन ने पशु कल्याण पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि पशु कल्याण को बढ़ावा देने तथा उन पर हो रही क्रूरता को कम करने के लिए जन चेतना की आवश्यकता है। कार्यक्रम में इन्द्राज सिंह ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने पशुओं के प्रति करूणा व दयाभाव रखे तथा जीवन कल्याण में सकारात्मक भूमिका निभाये।

न्यायमूर्ति एन् के जैन ने पशु कल्याण के क्षेत्र में जागरुकता फैलाने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉ रविन्द्र कुमार मलिक को वर्ल्ड पशु कल्याण पुरस्कार-2009 तथा डॉ एस के गांगीयान को वर्ल्ड लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया।

Govt asked principals not to take action against doctors, notes panel

VeerSain

THE STATE government seems to have misled the State Human Rights Commission on the strike by resident doctors of the Sawai Man Singh Hospital.

Communication between the state government, the hospital and medical college administration and the rights commission suggests this.

This issue assumes significance as resident doctors at the SMS Hospital have been boycotting work for a week.

Just three months after their previous agitation, during which the Emergency ward of the hospital was locked and the patients faced inconvenience, the resident doctors have again been on strike since September 11.

This time they are pressurising the state government to increase their pay in accordance with Sixth Pay Commission recommendations.

On September 9, while disposing of the case of resident doctors' strike in May-June commission chairperson Justice NK Jain and member Pukhraj Sirvi took note of the discrepancies in the state government's response to the commission and a unjustifiably favourable attitude towards the doctors.

In the letter dated June 17, addressed to the rights commission, the state government's Principal Secretary (Medical Education) wrote that he had asked the hospital administration to take steps to prevent recurrence of strikes by medicos, which created disorder in hospitals.

In contrast, another letter from the medical education department, dated June 16 addressed to all principals of state medical colleges in Rajasthan stated that no action should be taken against protesting doctors for not resuming their duties from May 22 to June 2 without permission of the government.

This order further read that the period of agitation should be adjusted against pending leaves and off days.

State Human Rights Commission took serious note of this letter in the light of the fact that the government supported the agitators though their strike caused inconvenience to patients especially the victims of Jaipur serial blasts and the Gujjar violence.

doctors'stir

Communication between the state government, the hospital and medical college administration and the rights commission suggests this.

The commission noted that the Jaipur Association of Resident Doctors (JARD), which called the strike, was an unregistered and unapproved outfit.

The agitators were bringing a bad name to their noble profession, the Commission members said.

Commission member Pukhraj Sirvi told *HT Jaipur Live* that the principal of the college had been asked to take action against residents who disrupted emergency services at the SMS Hospital and misbehaved with patients.

"Also, the hospital and medical college administration has been instructed to ensure that no such incident recurs," Sirvi said.

सीमा सन्देश

जयपुर ■ शुक्रवार ■ 30 जनवरी 2009

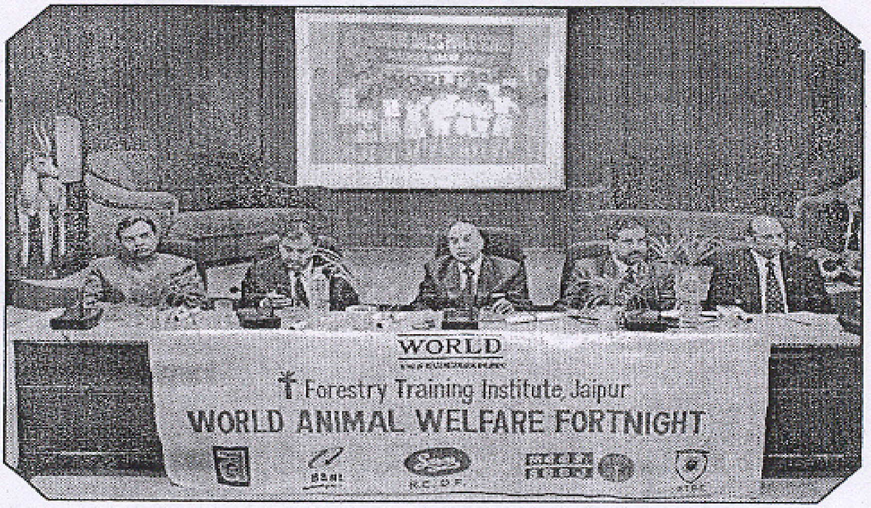

पशु कल्याण के लिए जन चेतना जरूरी : न्यायमूर्ति एन.के.जैन

जयपुर, 29 जनवरी। प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत अग्रणी संगठन ''विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डवलपमेंट'' (वर्ल्ड), वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, सरस राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एस.बी.बी.जे., भारत संचार निगम लि., के.एस.मोटर्स तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़ा 2009 का समापन एवं सम्मान समारोह का आयोजन वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया।

''वर्ल्ड'' संगठन के निदेशक मनीष सक्सेना ने बताया कि इस अवसर पर पखवाड़े में आयोजित अन्तर्विद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता रोहित असोलिया (विद्याश्रम), भाव्या गजवत (सेंट पॉल्स), आदित्य शर्मा (सेंट ऐडमण्डस), हिमांषी सिंह (एस.वी.पब्लिक स्कूल), रिषभ बंसल (एम.पी.एल.), रिंकू चौधरी (गॉजियन स्कूल), रमाना शर्मा (स्प्रिंग डेलस) को तथा अन्तर्विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानसी खूटेटा (टी.पी.एस.) व द्वितीय स्थान गौरव शर्मा (एम.पी.एस.) तथा तृतीय स्थान लनीषा जयसवाल (एस.वी.पब्लिक स्कूल) तथा अन्तर्विद्यालयी कवितापाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विशेष व्यास (एम.पी.एस.) व द्वितीय स्थान श्रुति गुप्ता (टी.पी.एस.) को कार्यक्रम के अतिथि न्यायमूर्ति एन.के.जैन, अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग, ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति एन.के.जैन ने पशु कल्याण पोस्टर का विमोचन करते हुए कहा कि पशु कल्याण को बढ़ावा देने तथा उन पर हो रही क्रूरता को कम करने के लिए जन-चेतना की आवश्यकता है, समाज में विशेषकर विद्यार्थियों में जागरूकता पैदा कर पशु कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

कार्यक्रम में इन्द्राज सिंह ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने पशुओं के प्रति करूणा व दयाभाव रखे तथा जीव कल्याण में सकारात्मक भूमिका निभाये। उन्होंने कहा कि पशु-पक्षी बेजुबान जरूर है लेकिन बेजान नहीं।

सरकार से की मदद की गुहार

गुर्दे ने हिलाया गरीबों का 'जिगर'

शैलेन्द्र अग्रवाल

जयपुर, 22 फरवरी। 'जिगर' वाला ही गुर्दे की बीमारी से लड़ सकता है। गुर्दा बदलवाने वाले गरीब (बीपीएल) मरीज को हर पखवाड़े दवा के लिए गुलाबी नगरी आना पड़ता है तो इलाज कराने के बाद लखपति से नीचे वालों के कर्ज का रोग पीछे पड़ जाता है। गुर्दा प्रत्यारोपित करवाने वाले ऐसे दर्जनभर लोगों ने राज्य मानवाधिकार आयोग को पीड़ा जताकर सरकार से राहत दिलवाने की गुहार की है।

गुर्दे का इलाज करवाने के बाद वे खुद तो मुश्किल में घिर गए हैं, लेकिन दूसरों की राह आसान बनाने के लिए इन्होंने संगठित होकर संघर्ष की मुहिम छेड़ दी है। मानवाधिकार आयोग में आए परिवाद में राज्य में गुर्दा रोगियों की संख्या करीब चार हजार होने का दावा किया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने परिवाद में उठाए मुद्दों पर प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से जवाब और वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी है। साथ ही, इस संवेदनशील मुद्दे के समाधान पर चर्चा के लिए चिकित्सा मंत्री को भी पत्र लिखा है।

उपचार है महंगा

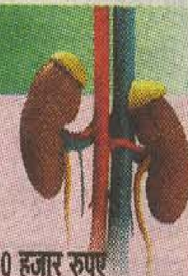

ऑपरेशन के समय	50 हजार रुपए
ऑपरेशन के पहले साल	13 हजार रुपए प्रतिमाह
दूसरे साल	11500 रुपए प्रतिमाह
तीसरे साल	10 हजार रुपए प्रतिमाह
बाद में जीवनभर	पांच हजार रुपए प्रतिमाह

ये उठाए मुद्दे

यह परिवाद राजस्थान किडनी केयर व किडनी पेशेन्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकम चन्द लखेरा व विभिन्न जिलों के करीब एक दर्जन गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वाले लोगों की ओर से आया है। इलाज खर्चीला होने के कारण रोगी और उसके परिजनों का अवसाद का शिकार होना आम है, कई बार नौबत आत्महत्या तक पहुंच जाती है। दूसरी ओर कई दूसरे राज्यों में गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वालों को सरकार विभिन्न प्रकार से मदद दे रही है।

"केडेबर ट्रांसप्लांट के लिए प्रस्ताव भिजवा रखा है। ऑपरेशन के बाद भी जीवनभर महंगी दवाइयां चलती हैं।

- प्रो. एल.सी. शर्मा, विभागाध्यक्ष, नेफ्रोलॉजी (एसएमएस अस्पताल)

परिवादियों की मांग

- गुर्दा प्रत्यारोपण करवाने वालों को जांच सुविधा, दवाइयां मुफ्त मिलें
- चिकित्सकीय परामर्श के लिए आने वालों को रेल व बस में प्राथमिकता से आरक्षण मिले
- इन रोगियों की पूर्णतः सही जांच व रिपोर्ट जल्दी दिलाने के लिए जयपुर के एसएमएस अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन लगें
- संक्रमण से बचाने के लिए अलग ओपीडी की व्यवस्था
- असली दवाई सुनिश्चित कराने के लिए विशेष केन्द्र स्थापित हो
- केडेबर ट्रांसप्लांट व्यवस्था के लिए कानूनी प्रावधान किए जाएं, जिससे दिमागी मौत (ब्रेन डेथ) वालों के अंग निकालें जा सकें।
- देहदान के प्रति जागरूकता के लिए ऐसा करने वालों की जयन्ती मनाई जाएं

स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता जरूरी

शुरुआत में पता चल

ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव

कैंसर उपचार की सुविधाओं में 'रोग' की खोजबीन

मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से जवाब मांगा

जयपुर,13 जुलाई (का.सं.)

राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रदेश में कैंसर रोग उपचार के लिए आवश्यक सुविधाओं की सुध ली है। सोर्स की अनुपलब्धता सहित इस रोग के उपचार की व्यवस्थाओं के मामले में प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से 18 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। आयोग ने राजस्थान पत्रिका में गुरुवार को 'समय से 'सोर्स' मिलना संभव नहीं' शीर्षक से प्रकाशित समाचार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया है। पत्रिका ने कैंसर रोगियों के उपचार से सम्बन्धित समस्या को लेकर बुधवार को 'सोर्स खत्म, कैंसर मरीजों पर संकट' शीर्षक से भी समाचार प्रकाशित किया था। आयोग ने राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव से कैंसर पीड़ितों को बेहतर सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में नौ बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।

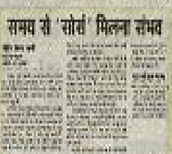

12 जुलाई के अंक में प्रकाशित खबर।

आयोग ने पूछा है...

- जिलों में कैंसर की प्राथमिक जांच की सुविधा है या नहीं, नहीं है तो क्या योजना है?
- पेपस्मीयर, एक्सरे, सोनोग्राफी व बायोप्सी की सुविधाएं कहां पर हैं?
- कैंसर गांठ नष्ट करने के लिए कोबाल्ट-60 मशीनें कहां-कहां हैं, इनके लिए 'सोर्स' की कमी तो नहीं है?
- ब्रेकी थैरेपी मशीनें चालू हैं या नहीं, बंद हैं तो उसका क्या कारण है?
- लिनियर एसीलेटर मशीन कहां-कहां है?
- सवाईमानसिंह अस्पताल में कैंसर जांच के लिए क्या व्यवस्था है? वहां इसके लिए अलग से विभाग है या नहीं?
- कैंसर सम्बन्धी मशीनें भविष्य में बंद न रहें, इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है?
- कैंसर रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एवं प्रशिक्षित स्टाफ के कितने पद हैं और वे कहां- कहां है?
- प्रदेश में कितनी संस्थाएं कैंसर रोगियों की देखभाल कर रही हैं?

कानून की पालना सही ढंग से हो-जस्टिस जैन

जोधपुर, 8 सितम्बर(निसं)। जस्टिस एन.के. जैन ने शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जबरदस्त लताड़ पिलाई। जस्टिस जैन ने कहा कि देश में बने कानून परिपूर्ण है। उनमें सुधार की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसकी पालना होना बहुत जरूरी है। आज कानून की पालना सही ढंग से नहीं हो रही है। पुलिस भी राजनैतिक दबाव के चलते कानून की पालना ढंग से नहीं कर रही है। जस्टिस जैन आज पावटा स्थित होटल मेपल अभय में आयोजित कानून और उसकी पालना के संबंध में विषय विशेषज्ञों को जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि देश में बने कानून परिपूर्ण है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पा रही है। सरकार विधेयक बनाती है और बाद में खुद भूल जाती है। इस कारण से कानून की पालना नहीं हो रही है। कानून में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी पालना की निहायत ही जरूरत है।

जस्टिस जैन ने कहा कि पुलिस के अधिकारी भी कानून की पालना सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस भी कानून की पालना हनीं कर पा रही है। आज हुई आयोजित इस कार्यशाला में पुलिस का कोई भी बड़ा अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं था न ही प्रशासनिक महकमे से जुड़ा कोई अन्य बड़ा अधिकारी नजर आया। इस कार्यशाला में शहर पुलिस अधीक्षक हवासिंह घुमरिया, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार नार्जरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सवाईसिंह गोदारा और पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी यहां नजर नहीं आए। अलबत्ता छुटकर अधिकारी ही दिखे। सुबह दस बजे शुरू हुई इस कार्यशाला में टीयूसीएल के वाइस प्रेसिडेंट आर.के. सक्सेना, राजस्थान हाईकोर्ट अधिवक्ता महेश बोड़ा, विश्वविद्यालय के लॉ फेकल्टी के डीन एन.के. भंडारी आदि ने भी कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए और कानून के बारे में विचार-विमर्श किया।

सामाजिक न्याय मंच के प्रदेशाध्यक्ष देवीसिंह भाटी के भाजपा में जाने की चर्चा यदि सही साबित होती तो इसका मतलब यह होगा कि मंच का दूसरे दल में विलय हो गया है। उन्होंने कहा कि मैंच मंच के न विलय के पक्ष हूं नहीं उसके विरोध में। करणी सेना के संरक्षक होने के नाते हमारी गतिविधियां चलती रहेगी। कालवी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि पहले कोई मिल बैठकर सामूहिक निर्णय किया जाता और उसके बाद कोई फैसला किया जाता तो उचित था। कालवी ने बताया कि उनको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन यह भी साफ है कि मंच के गठन के दौरान प्रदेश स्तरीय कमेटी के जो सर्वेसर्वा 11 सदस्य चुने गए उनमें से भाटी के साथ एक-दो सदस्य ही जाएंगे, जबकि अन्य सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं है।

भाटी के बिना आंदोलन जारी रहेगा: कालवी का कहना है कि मंच के अध्यक्ष देवीसिंह भाटी के जाने के बाद आरक्षण आंदोलन कमजोर पड़ने का सवाल नहीं उठता। करणी सेना राजपूतों को आरक्षण दिलाने के लिए संघर्ष कर रही है और आगे भी जारी रखेगी। राज्य सरकार को सभी जातियों के साथ समान व्यवहार करते हुए यूपी की तर्ज पर राजनाथसिंह फार्मूला लागू करना चाहिए। उन्होंने बताया कि करणी सेना सक्रियता से कार्य करेगी और 23 सितम्बर को संगठन का एक वर्ष पूरा होगा। इस मौके पर कार्यकर्ता एकत्रित होकर गतिविधियों में तेजी लाने का संकल्प लेंगे।

युवक अचेत

कोटा, 8 सितम्बर (निसं)। बूंदी जिले के केशोरायपाटन थानाक्षेत्र में शनिवार को सुबह खेत पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय एक युवक अचेत हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रामप्रसाद पुत्र सीताराम (22) निवासी देहीत जो अपने खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय अचेत

एसएमएस अस्पताल

जुलाई तक मिल जाएगा 'सोर्स'

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड ने राज्य मानवाधिकार आयोग को बताया

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 1 मई

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड जुलाई तक सवाई मानसिंह अस्पताल को कोबाल्ट-60 (सोर्स) उपलब्ध करा देगा, इससे लम्बे समय से बंद सवाई मानसिंह अस्पताल की एक कैंसर थैरेपी मशीन जल्द चालू हो सकेगी। अजमेर के जे.एल.एन. अस्पताल को भी शीघ्र 144 आरआरएम कोबाल्ट-60 मिल जाएगा।

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड की ओर से अनिल कोहली ने हाल ही राज्य मानवाधिकार आयोग को यह जानकारी दी। आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने 17 मार्च 08 को इस बारे में बोर्ड से जवाब मांगा था। इसके प्रत्युत्तर में कोहली ने आयोग को बताया कि विदेश से सोर्स कम मिल पाने के कारण देशभर में आपूर्ति प्रभावित रही, पिछली खेप आने पर चार जनवरी 08 को जयपुर के भगवान महावीर कैंसर अस्पताल को 160 आरआरएम कोबाल्ट-60 उपलब्ध करा दिया।

तथ्यों के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल ने सोर्स के लिए 11 जुलाई 07 को 26 लाख 30 हजार रुपए का भुगतान कर दिया था। सोर्स के अभाव में एक कैंसर थैरेपी मशीन बंद होने से अस्पताल की दूसरी चालू मशीन पर काम का भार बढ़ गया, कुछ मरीजों को एम्स भी भेजा गया।

पत्रिका की खबर पर प्रसंज्ञान

राजस्थान पत्रिका ने अक्टूबर 07 में सोर्स के अभाव में 6 माह से एसएमएस अस्पताल की एक कैंसर थैरेपी मशीन बंद होने के बारे में 'कब तक सोर्स का इंतजार?' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था, इस पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर अस्पताल प्रशासन, राज्य सरकार तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड से जवाब मांगा।

आयोग ने जताई चिंता

राज्य मानवाधिकार आयोग ने कहा कि उचित व समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना राज्य का पहला कर्त्तव्य है, लेकिन पूरे राज्य से जयपुर पहुंचने वाले कैंसर रोगियों को समय पर उपचार नहीं मिलना उनके मानवाधिकारों के हनन को दर्शाता है। राज्य सरकार से कैंसर रोगियों को समय पर उपचार की व्यवस्था करने की हिदायत देकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव से पूछा है कि रोगियों को भगवान महावीर कैंसर अस्पताल भेजे जाने के बारे में क्या निर्णय किया है तथा एम्स में कितने मरीज भेजे, आयोग ने इस बारे में 30 मई तक जानकारी मांगी है।

दूसरी मशीन के लिए सोर्स 2013 तक

सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन ने आयोग को बताया कि अस्पताल में स्थित कैंसर थैरेपी की दूसरी मशीन के लिए 2013 तक सोर्स उपलब्ध है। देश के 34 अस्पताल अभी सोर्स की प्रतीक्षा सूची में शामिल हैं।

जिला स्तर पर कैसे होगी कैंसर जांच?

मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख चिकित्सा सचिव से मांगा जवाब

जयपुर, 19 मई (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग ने प्रमुख चिकित्सा सचिव से जिला स्तर पर कैंसर जांच केन्द्रों की स्थापना के आदेश की पालना के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही चिकित्सा मंत्री से कैंसर रोगियों की सहूलियत के लिए समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को दिशा-निर्देश देने की सिफारिश की है। आयोग ने कैंसर जांच व उपचार के बारे में अब तक दिए आदेशों की जानकारी भी चिकित्सा मंत्री को भिजवाई है।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने कैंसर जांच सुविधाओं की कमी को गम्भीरता से लिया है। आयोग ने तीन मौके मिलने के बावजूद कैंसर जांच सम्बन्धी खराब मशीन के बारे में सवाई मानसिंह अस्पताल अधीक्षक का जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा सचिव से पूछा कि जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां कैंसर जांच कैसे की जा रही है और एक साल में कितने कैंसर रोगियों का पता लगाया गया। साथ ही, यह भी बताने को कहा कि सालभर में कितने कैंसर रोगियों को जिला मुख्यालयों से उपचार के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल रैफर किया गया।

नहीं दी जानकारी

आयोग ने इस बात को भी गम्भीरता से लिया कि सितम्बर 08 में कैंसर जांच की सुविधाओं के विस्तार का आदेश दिया गया लेकिन मार्च 09 तक सरकार की ओर से इस पर कार्रवाई के बारे में आयोग को अवगत नहीं कराया गया।

यह था आदेश

सितम्बर 08 के आदेश में कहा गया था कि मेडिकल कॉलेज रहित जिलों में कैंसर की प्रारम्भिक स्तर पर जांच की व्यवस्था की जाए। प्रारम्भिक स्तर पर जांच से न केवल रोगी का इलाज सुनिश्चित होगा, बल्कि इलाज का खर्च भी कम होगा।

पशुओं से प्रेम करो

संदेश के साथ सम्पन्न हुआ पशु कल्याण पखवाड़ा

जयपुर, 28 जनवरी (कासं)। प्रदेश में पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संगठन 'विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डवलपमेंट' (वर्ल्ड), वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, सरस-राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि. राजस्थान पर्यटन विकास निगम, एस.बी.बी.जे., भारत संचार निगम लि., के.एस. मोटर्स तथा पशुपालन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'वर्ल्ड पशु कल्याण पखवाड़ा-2009' का समापन एवं सम्मान समारोह वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित हुआ।

'वर्ल्ड' के निदेशक मनीष सक्सेना ने बताया कि इस अवसर पर पखवाड़े में आयोजित अन्तरविद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता रोहित असोलिया, भाव्या राजवत, आदित्य शर्मा, हिमांषी सिंह, रिषभ बंसल, रिंकू चौधरी, रमाना शर्मा को तथा अन्तरविद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मानसी खूंटिटा व द्वितीय स्थान गौरव शर्मा तथा तृतीय स्थान लनीषा जयसवाल तथा कवितापाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विशेष व्यास व द्वितीय स्थान श्रुति गुप्ता आने पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने पुरस्कृत किया। जैन ने 'पशु-कल्याण पोस्टर' का विमोचन करते हुए कहा कि पशु कल्याण को बढ़ावा देने तथा उन पर हो रही क्रूरता को कम करने के लिए जन-चेतना की आवश्यकता है। कार्यक्रम में इन्द्राज सिंह ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे पशुओं के प्रति करूणा व दया भाव रखें तथा जीव कल्याण में सकारात्मक भूमिका निभाएं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कटारा ने संगठन एवं पशुपालन विभाग द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन फ्री स्काई' की सफलता पर चिकित्सकों तथा स्वयं सेवकों की टीम को बधई दी, साथ ही विभाग द्वारा पशु कल्याण के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों तथा भविष्य की रणनीति के बारे में बताया कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वन संरक्षक इन्द्राज सिंह ने विद्यार्थियों को पर्यावरण, वन व जीव सुरक्षा में सकारात्मक भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कहा कि विद्यार्थी अभी से अपने जीवन लक्ष्यों में पर्यावरण एवं जीव संरक्षण को स्थान दें। न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने पशु कल्याण के क्षेत्र में जागरुकता फैलाने एवं उत्कृष्ट कार्य करने के लिए डॉ. रविन्द्र कुमार मलिका पशु चिकित्सक जयपुर नगर निगम को 'वर्ल्ड पशु कल्याण पुरस्कार-2009' तथा डॉ. एस.के. नागीयान सहायक निदेशक पशुपालन विभाग को 'वर्ल्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में डॉ. राजेश वर्मा तथा डॉ. जे.एस. मिश्रा ने पशु कल्याण पर अपने विचार रखे।

स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता जरूरी

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 14 दिसंबर। महिलाएं अब भी स्तन कैंसर को लेकर भयभीत रहती हैं। इस रोग के हो जाने पर जांच की बजाय वे इन्हीं छुपाती हैं। स्तन कैंसर के इलाज के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। ये विचार रविवार को वक्ताओं ने कोशिश संस्था की ओर से आयोजित सेमिनार में प्रकट किए।

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सेमिनार के मुख्य अतिथि एन.के. जैन ने कहा कि कैंसर जैसी बीमारियों के लिए शारीरिक के साथ भावनात्मक और सामाजिक कारण जिम्मेदार है। कैंसर के इलाज में आज प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि मानव अधिकारों की रक्षा करते हुए गरीबों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराए। समाज के सभी वर्गों को सेवा भावना से काम करना चाहिए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर पुष्पलता श्रीवास्तव ने कहा कि कैंसर रोगी भावनात्मक संबल की जरूरत है। कोशिश

शुरुआत में पता चल जाए तो इलाज संभव

संस्था की तरह गरीब मरीजों के इलाज के लिए समाज के अन्य संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए। इस अवसर पर एसएमएस के रेडियोलोजी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. पी.एल. नवलखा ने कहा कि यदि शुरुआत में ही स्तन कैंसर का पता चल जाए तो 95 प्रतिशत तक इसका पूरा इलाज संभव है। अब शोध के जरिए इलाज की नई पद्धति आ रही है। इस अवसर पर कोशिश संस्था की अध्यक्ष शशि कपूर ने कहा कि स्तन कैंसर के बारे में महिलाओं को तथ्यात्मक जानकारी देकर भ्रांतियों का दूर करना चाहिए। इस रोग को छुपाने की प्रवृति संभ्रांत महिलाओं में ज्यादा देखी गई है। स्तन कैंसर के होने पर हताश न हों, चिकित्सक को दिखाकर अपना इलाज करवाएं। कोशिश संस्था की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। सेमिनार की वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डॉ. डी.पी. अग्रवाल, एसएमएस के रेडियोलोजी के विभागाध्यक्ष डॉ. डी.पी. सिंह ने भी संबोधित किया। अंत में संस्था की सचिव कमल पनगड़िया ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया।

ब्रेस्ट कैंसर का इलाज संभव

नसं.जयपुर. कैंसर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाली संस्थ
कोशिश का 11वां स्थापना दिवस समारोह रविवार को जेएम
सभागार में मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान मानवाधिक
आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश एन.के.जैन थे। जैन ने क
कि ब्रेस्ट कैंसर का इलाज आधुनिक तकनीक से संभव
समारोह में आयकर आयुक्त पुष्पलता जैन, संस्था अध्यक्ष श
कपूर, सचिव कमल पानगड़िया, डॉ.डी.पी.सि
डॉ.डी.पी.अग्रवाल, डॉ.पी.एल. नवलखा आदि उपस्थित
इस अवसर पर 'अनुभव एवं प्रयास' नामक पुस्तक
विमोचन भी किया गया, तथा पिछले माह में हुई पो
प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दे
पुरस्कृत किया।

रोडवेज बसों पर तंबाकू के विज्ञापन क्यों?

नसं. जयपुर. राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से पूछा है कि वह रोडवेज की बसों पर तंबाकू उत्पादों का प्रचार क्यों कर रहा है? आयोग अध्यक्ष न्यायाधीश एन.के.जैन ने कैंसर सोसायटी व अन्य समाजसेवी संस्थाओं के परिवाद पर निगम को 15 दिन में बसों पर विज्ञापन की नियमावली पेश करने को कहा है।

कैंसर की वास्तविकता को पहचाना

कैंसर जागरूकता दिवस

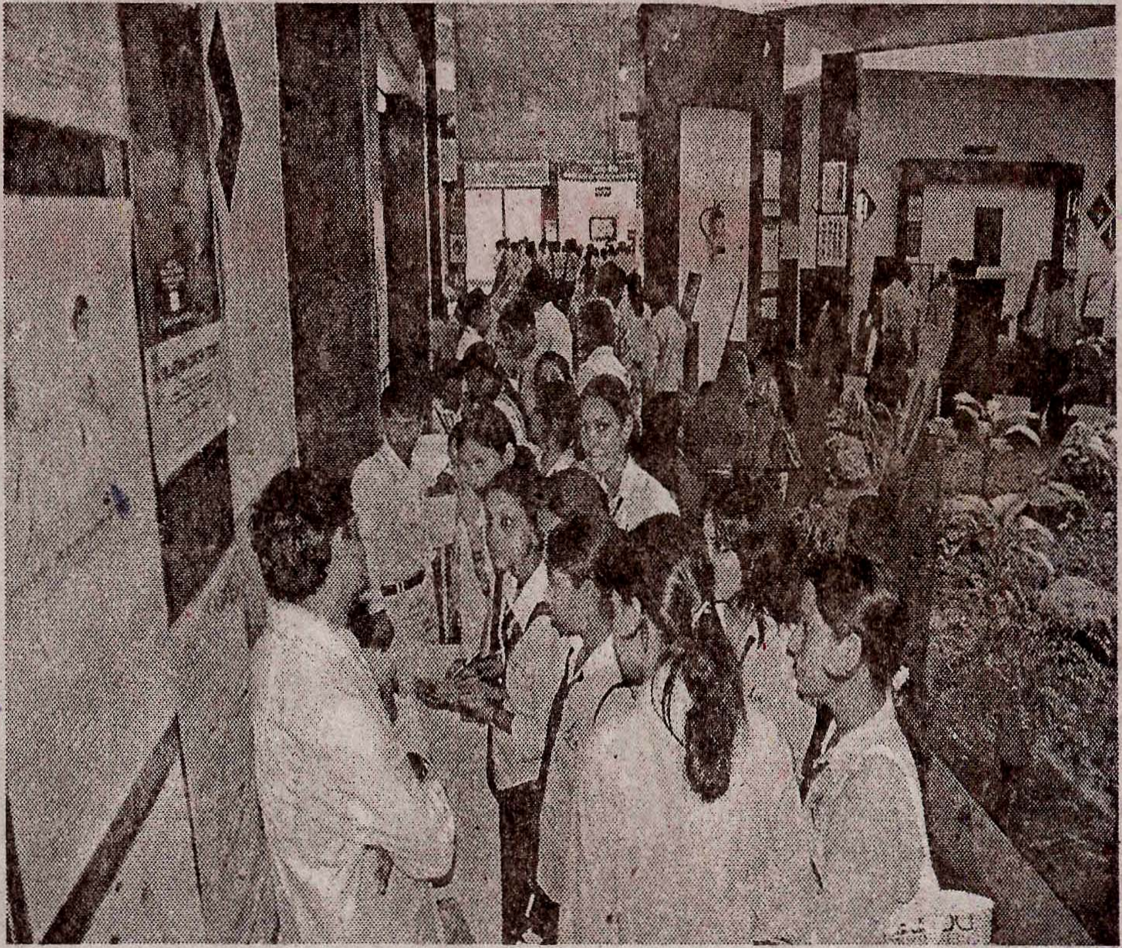

जयपुर, 7 नवम्बर (कासं)। भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय में 'राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस' के अवसर पर शनिवार को भारतीय कैंसर सोसायटी, राजस्थान कैंसर सोसायटी व कैंसर केयर के सहयोग से चिकित्सालय परिसर में कैंसर जागरूकता प्रदर्शनी विभिन्न पोस्टरों के माध्यम से कैंसर से बचाव एवं जानकारी संबंधी वक्तव्यों, स्लोगनों एवं कैंसर के दुष्प्रभाव के वास्तविक चित्रों द्वारा आयोजित की गई। प्रदर्शनी का उद्‍घाटन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नगेन्द्रकुमार जैन ने किया। इस अवसर पर नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में आए व्यक्तियों की कैंसर विशेषज्ञों द्वारा जांच कर नि:शुल्क परामर्श दिया गया और एनीमेशनों के माध्यम से लोगों को रोग की जानकारी देते हुए इससे बचाव के उपाय भी बनाए। डॉ. ललितमोहन शर्मा ने बताया कि कैंसर लाइलाज नहीं है। इसका उपचार तभी संभव है जब इसका प्रारम्भिक अवस्था में निदान हो जाए। प्रदर्शनी में विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में सामान्य जन एवं रोगियों ने कैंसर के विषय में जानकारी प्राप्त की। जस्टिस जैन ने प्रदर्शनी के संदेशों एवं एनिमेशन आदि में गहरी रुचि दिखाई तथा जनमानस को तंबाकू जनित रोगों से सावधान रहने तथा समय से जांच कराने की सलाह दी।

जनजागृति कार्यक्रम: महात्मा ज्योति राव फूले विवि की ओर से अंबेडकर सर्किल पर जन जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विवि के चांसलर निर्मल पंवार ने कहा कि बीपीएल परिवार के कैंसर से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए विवि द्वारा आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। यदि बीपीएल परिवार के किसी अभिभावक की कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके बच्चों को विवि में नौकरी दी जाएगी। जन-जागृति कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने कैंसर एक ऐसा अंधेरा, नहीं होने दे जीवन में सवेरा, छोटी से छोटी दर्दरहित गांठ को भी नजरअंदाज ना करें, कैंसर का निदान सकारात्मक सोच और उचित देखभाल, गांव शहर का यही अभियान कैंसर का जल्द हो निदान, जनता को जगाना है कैंसर को भगाना है, धूम्रपान कैंसर का कारण है जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां और फ्लैक्स लेकर आम जनता में कैंसर के कारणों और उसके बचाव के बारे में जागृति संदेश प्रसारित किया।

Directions for Pollution Hazards

1. परिवाद संख्या– 08/17/1667 में गुर्जर आन्दोलन में मृत व्यक्तियों के शवों का पोस्टमार्टम नहीं कर उनके परिजनों को नहीं सौंपने और पोस्टमार्टम में देरी के कारण डेड–बॉडी सडने से वातावरण प्रदूषित होने और संक्रमणता फैलने, मृतक के परिवारजन दुखी रहने, वैमन्स्यता बढने और ऐसे आन्दोलनों के कारण रेल,बस, माल परिवहन का आवागमन रूकने से आम आदमी को होने वाली परेशानियों के मद्देनजर मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग/ डी0आर0एम0 रेल्वे/ प्रबन्ध निदेशक रा0रा0पथ परिवहन निगम/ कर्नल किरोडी सिंह बैंसला को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किए गये।
2. परिवाद संख्या– 08/प17/1442 में आयुक्त, जयपुर नगर निगम ने कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कर आयोग को सूचित किया।
3. परिवाद संख्या– 08/17/1973 में जयपुर विकास प्राधिकरण ने झोटवाडा क्षेत्र में चल रहे मूर्तियों के कारखाने एवं पत्थर काटने की मशीनों को हटाकर सूचित किया।

4. परिवाद संख्या– 06/19/2112 में आयोग के निर्देशानुसार अति0 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में औद्योगिक ईकाईयों को ग्रेनाइट की स्लरी निर्धारित स्थान पर ही डालने का निर्णय लेकर आयोग को सूचित किया।

5. परिवाद संख्या– 09/17/102 में जिला कलेक्टर को आवासीय क्षेत्र में फैक्ट्री से हो रहे ध्वनि प्रदूषण व पर्यावरण प्रदूषण की वस्तुस्थिति देखकर कानून सम्मत कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गये।

6. मैला ढोने वालों को रोजगार और शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम के बावजूद यह प्रथा प्रचलित है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये क्या प्रभावी कार्यवाही की गई है? तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करें।

7. आयोग ने ग्राम सायपुरा (जयपुर) के निवासियों के परिवाद संख्या 04/17/2016 में दिनांक 24.04.2006 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर एवं जयपुर नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिये कि ग्रामवासियों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित कर चालू करने के बाद ही कारकस प्लांट चालू किया जाये। अन्यथा दोनों विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में की गई कार्यवाही से आयोग को भी सूचित कराने हेतु कहा गया।

8. परिवाद संख्या 07/17/283 में मोबाइल टावर, इलेक्ट्रिक टावर, इलेक्ट्रिक पैनल व जनरेटर लगाकर ध्वनि प्रदूषण के मामले में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.), हच कम्पनी से जवाब मांगा गया कि उनके द्वारा किन मानदण्डों के आधार पर एवं किन नियमों के अधीन रिहायशी मकानों/फ्लैटों की छत पर मोबाइल कम्पनी के टावर लगाये जा रहे हैं।

9. परिवाद संख्या— 04/26/241 में डी.एल.एफ. (अम्बुजा) सीमेन्ट फैक्ट्री द्वारा हवा में प्रदूषण फैलाने के मामले में आयोग द्वारा दिनांक 6 अप्रेल 2007 को कराये गये निरीक्षण के उपरान्त सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, को हिदायत दी गई कि वे आइंदा भी अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक यूनिट की मोनिटरिंग कराते रहें।

10. परिवाद संख्या— 07/17/283 में हच मोबाईल कम्पनी द्वारा बिना परमिशन के टॉवर लगाने व जेनरेटर द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने पर हच मोबाईल कम्पनी व नगर निगम से जवाब मांगा गया। आयोग के आदेश पर कम्पनी द्वारा जेनरेटर को हटा दिया गया। नगर निगम ने नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया।

11. परिवाद संख्या— 07/17/1487 में शहर में सफाई व्यवस्था के सम्बन्ध में आयोग द्वारा लिखा गया कि कल्याणकारी राज्य में नगर पालिकाओं एवं सम्बन्धित विभागों व नगर निगमों का दायित्व बनता है कि वह शहरों की सफाई व्यवस्था बनाये रखे, बारिश से पहले नाले का मुआयना कर वांछित कार्यवाही के साथ नालियो आदि से गंदगी हटाये, जिस से बारिश के समय पानी अवरुद्ध न हो व दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलें।

12. परिवाद संख्या— 06/17/1591 में गुर्जर की थडी, जयपुर के पास स्थित नाले के किनारे कचरा डालने की शिकायत थी । जवाब में नगर निगम ने बताया कि उक्त स्थान से कचरा हटा लिया गया है। इस पर आयोग ने नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त स्थान की समय—समय पर मोनिटरिंग करने व दोबारा कचरा न डालने के बारे में लिखा गया।

13. परिवाद सं. 07/17/620 में मैरिज हॉल मे आयोजित कार्यक्रमों के दौरान ध्वनि प्रसारक यंत्रों से तेज आवाज होने की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को लिखा गया कि वे *पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण रोकथाम नियम 2000 व माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.5.2005* की पालना में समय—समय पर उक्त स्थानों की मोनिटरिंग करते रहें।

14. परिवाद संख्या— 07/17/2694 में आयोग ने रोडवेज बसों मे व्याप्त गंदगी और धूम्रपान के बारे में प्रसंज्ञान लिया, जिस पर रा.रा.प.प.नि. ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोषी बस चालक को बस में धूम्रपान करने पर चेतावनी दी व बसों में गंदगी न फैले, इसके समुचित इंतजाम से आयोग को आश्वस्त किया।

15. परिवाद संख्याः 07/17/1522 में कॉलोनी में तेजाब व प्लास्टिक फैक्ट्री लगा कर प्रदूषण फैलाने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मांगने के दौरान सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण मण्डल ने प्रदूषक उद्योगों को बन्द करने के निर्देश दिए तथा *अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0* एवं *अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग* को उक्त उद्योगों के विद्युत एवं जल सम्बन्ध विच्छेद करने के निर्देश भी दिए गये।

16 *परिवाद संख्या– 06/17/563*: जयपुर नगर निगम (विवाह स्थल) उपविधियां 2005 व माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में विवाह स्थलों को ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया।

17 *परिवाद संख्या– 06/17/2060* : जयपुर नगर निगम व सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अपेक्षा की गई कि यदि भविष्य में बन्द ईकाई शुरू होने पर कोई प्रदूषण होता है, तो वे विधिनुसार कार्यवाही अमल में लाये।

Role Of Media Gives Awareness Of Pollution Hazards

प्रदूषण नियंत्रण के 'कागजी घोड़े'

राजधानी के रिहायशी क्षेत्र में मूर्ति निर्माण इकाइयों से प्रदूषण का मामला

शैलेन्द्र अग्रवाल
जयपुर, 9 जुलाई

सरकारी मशीनरी प्रदूषण नियंत्रण के 'कागजी घोड़े' किस प्रकार दौड़ा रही है, इसका अंदाजा यहां रिहायशी इलाके में चल रही मूर्ति निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन व जयपुर नगर निगम के बीच रेंग रही फाईल से लगाया जा सकता है।

राज्य मानवाधिकार में यह परिवाद 2006 में आया था, जिस पर उसी साल राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से रिपोर्ट मांगी गई। वहां से यह जवाब तो आया कि प्रदूषण से उत्पन्न समस्या के निराकरण के लिए इन मूर्ति निर्माण इकाइयों को आवासीय इलाकों से हटाया जाए, लेकिन खुद को इस मामले से अलग करते हुए कार्रवाई रूपी 'गेंद' जयपुर कलक्टर व जयपुर नगर निगम के पाले में डाल दी। जिला कलक्टर ने अप्रेल 07 में कार्रवाई के लिए जयपुर नगर निगम को पत्र लिख दिया।

नगर निगम ने जून 08 में आयोग को सूचना दे दी कि उन्होंने इन मूर्ति निर्माण इकाइयों को कोई एनओसी या अनुज्ञा पत्र जारी नहीं की है, इसके साथ ही कह दिया कि इन इकाईयों से आवागमन में उत्पन्न हो रही है। लेकिन निगम ने कार्रवाई से बचते हुए इसकी जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन व यातायत विभाग के माथे मढ़ दी।

आयोग भी भौचक रह गया

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन और जयपुर नगर निगम के रवैये के बाद मानवाधिकार आयोग भी समझ नहीं पाया कि आखिर ऐसे हालात में अतिक्रमण, ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण तथा आवगमन में बाधा के सम्बन्ध में कार्रवाई जिम्मेदारी किसकी है? राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि पर्यावरण सम्बन्धी उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों की पालना जरूरी है। लेकिन इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिला प्रशासन व यातायत विभाग को पक्ष रखने का मौका दिया जाना आवश्यक है। इन तीनों विभागों को 11 अगस्त को आयोग कार्यालय में बुलाया है।

कहां का है मामला

जयपुर के भिण्डों का रास्ता निवासी रामलाल, राजेश कुमार व अन्य ने परिवाद के जरिए आयोग से उनके क्षेत्र में मूर्ति निर्माण इकाईयों के कारण उत्पन्न ध्वनि व वायु प्रदूषण से निजात की गुहार की थी।

एकदम कार्रवाई संभव नहीं

जिला प्रशासन का कहना है कि मूर्ति निर्माण करने वाली इन इकाईयों की तादाद काफी है, इसलिए एकदम तो कार्रवाई नहीं कर सकते। वैसे इन इकाईयों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही है।

पर्यावरण कानूनों की समीक्षा पर सेमिनार

झालाना डूंगरी स्थित केंद्रीय भू-जल बोर्ड बोर्ड के सभागार में पर्यावरण एवं इससे संबंधित कानूनों की समीक्षा के लिए 'चैलेंजेज ऑफ एनवायरमेंट लॉ एंड कम्पलाइंस' विषयक सेमिनार आयोजित की गई। विंग ऑफ रिसर्च इन लोकल डवलपमेंट (वर्ल्ड) और पर्यावरण एव वन मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस सेमिनार की अध्यक्षता न्यायाधीश राजेंद्र सक्सेना ने की और मुख्य

अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश एन.के. जैन थे। न्यायाधीश जैन ने प्रतिभागियों से पर्यावरणीय कानूनों की

Secretariat toilets to be cleaned

P J Joychen | TNN

Jaipur: Days after the state human rights commission issued notices to the state government for the stinking toilets in the secretariat, which houses the commission's office as well, the personnel department has assured the commission that all the toilets will be properly cleaned and maintained in future.

"Most of the toilets in the secretariat were not maintained properly. They used to really stink and working in offices that were close to these toilets became really difficult. Many of the officials had complained regarding this but no corrective steps were taken. It was after this that the commission took up the case," sources said.

> State human rights commission issued notices to the state government for the stinking toilets in the secretariat, which houses the commission's office

Earlier, the commission, taking suo motu cognizance of the matter, had issued notices to the state government.

After the issuance of the notices, the secretary, personnel, in his reply to the commission on August 18, enumerated the various steps taken for keeping the toilets clean. The secretary also said that the contractor who had been entrusted with the task of cleaning the secretariat has also been directed to take special care for maintenance of toilets in the SSO building where the commission's office is located.

Besides, he said the contractors have been asked to depute an employee from 10 am to 5 pm for periodical cleaning work and upkeep of the toilets. Exhaust fans have also been installed to contain the foul smell in the toilets. Aluminium fabrications have been installed to partition the toilets, the report said.

The commission asked the personnel department to monitor the new system for a month and take appropriate steps for proper maintenance of the system. The commission asked the secretary to report to the commission again on September 22.

Nearly two years ago, the human rights commission had ordered construction of public toilets in various parts of the city to prevent people from urinating in public places. The Jaipur Municipal Corporation had constructed about 100 toilets at various congested areas such as railways stations, bus stand, public gardens and near the secretariat.

But the absence of cleanliness and proper maintenance are forcing people to urinate in public places.

सफाई में सुस्ती क्यों?

जयपुर, 22 अक्टूबर (का.सं.)

राज्य मानवाधिकार आयोग ने जयपुर नगर निगम से दीपावली नजदीक होने के बावजूद सफाई कार्य में सुस्ती पर जवाब देने को कहा है। आयोग ने नगर निगम से कहा है कि सफाई कार्य में चुनाव आचार संहिता भी आड़े नहीं आती। एक ओर सरकार सफाई रखने का प्रचार कर रही है, वहीं निगम की सफाई व्यवस्था में सुस्त है। आयोग ने सफाई में ढिलाई के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए निगम से यह बताने को भी कहा है कि उसके बार-बार कहने के बावजूद वह आखिर स्थिति में सुधार क्यों नहीं ला पा रहा है?

मोबाइल टावर नीति बने

मानवाधिकार आयोग का सरकार को सुझाव

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 20 दिसम्बर

राज्य मानवाधिकार आयोग ने मोबाइल टावर लगाने पर क्षेत्रवासियों की बढ़ती आपत्तियों को देखते हुए राज्य सरकार को इस बारे में नीति तय करने का सुझाव दिया है। साथ ही टावर लगाने वालों को सम्बन्धित संस्था की इजाजत बगैर इनको स्थापित नहीं करने की हिदायत दी है।

आयोग का मानना है कि मोबाइल टावरों को लेकर बढ़ती शिकायतें दूर करने के लिए नीति व मापदण्ड तय करना जरूरी है। जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में इस बारे में कार्रवाई के लिए गृह विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही कहा कि गृह विभाग चाहे तो इस बारे में विधि विभाग व अन्य सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श करे।

आयोग को पिछले दिनों जयपुर में नगर निगम की अनुमति बिना टावर स्थापित करने और टावर के लिए चिह्नित मकान की भार सहने की क्षमता का आकलन नहीं करने की अनेक शिकायत मिली। हाल ही जयपुर स्थित नाटाणियों का रास्ता निवासी गिरिराज व अरुण ने भी ऐसी ही शिकायत की थी, जिसको निस्तारित करते हुए आयोग ने यह सुझाव दिया है।

कहां हैं ज्यादा शिकायतें

जयपुर के राजापार्क, जवाहर नगर, चित्रकूट, सी-स्कीम सहित कुछ अन्य इलाके।

शिकायतें किस तरह की

मोबाइल टावर के लिए लगे जनरेटर की ध्वनि से न्यूसेन्स, प्रदूषण के कारण आसपास रहने वाले व पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव।

रात की ठिठुरन के दर्द ने झकझोरा

मानवाधिकार आयोग ने मांगी रैन बसेरों के हालात की जानकारी

जयपुर,17 फरवरी (का.सं.)। खुले आसमां तले या ओवरब्रिज के नीचे ठिठुर कर रात गुजारते गरीब-मजदूर पेशा व्यक्तियों के दर्द ने राज्य मानवाधिकार आयोग को झकझोर दिया है। आयोग ने स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख सचिव से प्रदेश में चल रहे रैन बसेरों के हालात की जानकारी मांगी है।

तंगहाली का शिकार इन व्यक्तियों के हाल को मानवाधिकार आयोग ने सम्मानपूर्वक जीने के अधिकारों का हनन है। जयपुर नगर निगम की ओर से राजधानी में चलाए जा रहे दो स्थाई व 17 अस्थाई रैन बसेरों में औसतन करीब 1100-1200 व्यक्तियों की रात कटती है। आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने नगर निगम की ओर से आयोग को मिली रिपोर्ट में पाया कि जयपुर में ज्यादातर रैन बसेरे जयपुर पूर्व या जयपुर दक्षिण में है। आयोग ने अपने उप सचिव को बांगड स्थाई रैन बसेरा व बजरी मंडी सीकर रोड स्थित अस्थाई रैन बसेरा की व्यवस्थाओं का मुआयना करने का निर्देश देते हुए 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है।

क्या यहां भी रैन-बसेरा चाहिए : मानवाधिकार आयोग ने जयपुर नगर निगम आयुक्त से पूछा है कि क्या वी.के.आई., सीकर रोड जैसे शहर के अन्य स्थानों पर रैन बसेरा की जरूरत है? यदि है तो इस बारे में नगर निगम क्या कर रहा है? आयोग ने इस बारे में 17 मार्च तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

मानवाधिकार आयोग टीम ने देखे रैन-बसेरे

मैले बिस्तर में कटती रात

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 22 फरवरी

'गंदगी से लबरेज बिस्तर और हलक से न उतरने लायक गंदा पानी। गार्ड भी इंसानों के बजाए बिस्तरों की सुरक्षा के लिए।' राज्य मानवाधिकार आयोग की टीम शुक्रवार को राजधानी स्थित बांगड़ स्थाई रैन बसेरा और बजरी मंडी सीकर रोड अस्थाई रैन बसेरा के यह हाल देख हतप्रभ रह गई।

आयोग टीम को इन रैन बसेरों में रजाई-गद्दों की व्यवस्था भी यहां सोने आने वालों की औसत संख्या से कम मिली, जिस कारण यहां कई बार एक बिस्तर में दो-दो जनों को सुलाना मजबूरी है। बांगड़ रैन बसेरा में महिलाएं भी रात काटने आती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं मिला। उधर, बजरी मंडी सीकर रोड स्थित रैन बसेरे में खुला मैदान ही शौचालय के काम आ रहा है।

पानी की टंकियों का आलम तो ऐसा कि उनको ढकने की फिक्र ही नहीं। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन के आदेश पर आयोग सचिव आर.के. मीणा के नेतृत्व में रैन बसेरों का हाल देखने पहुंची टीम को पहरे पर लगे कर्मचारियों ने बताया कि यहां जयपुर नगर निगम की ओर से कोई देखने नहीं आता, सिर्फ ठेकेदार ही देखभाल करता है।

बांगड़ रैन बसेरा

औसतन रोजाना 200 आदमी आते हैं, जबकि यहां 150 रजाई और 150 गद्दे की व्यवस्था है। यहां रोजाना औसतन 12 से 15 महिलाएं भी आती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अलग से महिला गार्ड नहीं।

बजरी मंडी सीकर रोड रैन बसेरा

12 दिसम्बर 08 को चालू इस रैन बसेरे में औसतन रोजाना 30-32 जने आते हैं, उनके लिए 50 रजाई व 30 गद्दों की व्यवस्था है।

'जोन आयुक्त की देखरेख की जिम्मेदारी है, दस दिन पहले बांगड़ रैन बसेरा देखने स्वयं गई। सर्दी बढ़ने पर बिस्तर बढ़ा दिए थे, लेकिन बिस्तर गंदे होने पर उनको बदलने का प्रावधान नहीं है। गार्ड की व्यवस्था सोने वाले लोगों के बजाए गद्दे-रजाई को चोरी से बचाने के लिए है।'

- श्रुति भारद्वाज, *आयुक्त, जयपुर नगर निगम*

'Protect human rights'

HT Correspondent

STATE HUMAN Rights Commission chairman Justice NK Jain on Wednesday said, "We should protect human rights. It is somebody's right and somebody's duty thus both should be equally followed.

He was addressing a programme organised on 60th anniversary of International Human Rights Day in the city.

He said the commission through many books has tried to provide various legal information for protecting human rights, especially Dalits.

Justice Jain said to create awareness among common man about human rights, teachers along with students have important role. HTC

अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निबाहें

केवल अधिकार मांगने से काम नहीं चल सकता। इसके लिए कर्तव्य पूरा करना भी जरूरी है। कर्तव्य और अधिकर एक दूसरे के पूरक हैं। सिटी भास्कर ने ह्यूमन राइट्स डे पर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर जाना कि वे किस तरह से इसका निर्वहन कर रहे हैं?

सिटी रिपोर्टर

अपने अधिकारों को जानने और पाने के हर कोई संघर्ष करता है। कई दफा वह उनको पा लेता और जब वह उनको पाने में असफल रहता है, तब इसका मतलब दूसरों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

कर्मचारियों ने बचाई कम्पनी

एक कम्पनी डायरेक्टर राकेश कहते हैं, हमारी कम्पनी पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कम्पनी को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। मेरा कर्तव्य था कि मैं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करूं और साथ ही कम्पनी को भी क्राइसिस से बाहर निकालूं। फिर मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूं और मेरे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो इस क्राइसिस से बाहर निकला जा सकता है। ऐसा हुआ भी जब मैंने अपने कर्मचारियों के पर्क्स में कुछ कमी करने की बात कही। उन्होंने इसे कम्पनी के हित में कर्तव्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही हमने कुछ खर्चों में अंकुश लगा लिया और हम क्राइसिस से बाहर आ गए।

मैं कर्तव्य निभाता रहा

टीचर क्लास में सभी को शिद्दत से पढ़ाता है, मगर मैरिट में कुछ ही स्टूडेंट्स ही आते हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट राजीव कहा कॉलेज पूरा होने के बाद सबको दो घंटे स्पेशल क्लास के लिए रुकना होगा। आधी से ज्यादा क्लास ने इसपर ध्यान नहीं दिया। कुछ बच्चे कहने लगे सर आप अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्पेशल क्लास में मुझ सहित केवल पांच लोग ही थे। हमारी सोच थी कि सर हमारे हित में सोच रहे हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका कहना मानें। हमने माना और हमारे मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा आए क्योंकि जो टिप्स सर वहां हमें दिए वह दूसरों को नहीं मिल सके।

प्रीमियम खुद ही भर दिया

यंग बिजनसमैन अंकुर कहते हैं, मैंने एक प्राइवेट कम्पनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। मुझे पॉलिसी देने वाले एडवाइजर ने मुझे अश्योर किया कि वह मेरी पॉलिसी की टेककेयर करेंगे। मुझे हालांकि उस बात पर उतना विश्वास नहीं था कि क्योंकि मैंने ऐसे कई किस्से सुने थे कि पॉलिसी बेचने के बाद एडवाइजर क्लाइंट की कोई सुध नहीं लेता है। मैं अक्सर बिजनस के कामों में इतना बिजी हो जाता हूं कि इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं रहता। एक बार मेरी पॉलिसी की ड्यू डेट निकल गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने बिना कोई सवाल पूछे उस एडवाइजर को बुरी तरह से लताड़ लगाई। मेरे फोन रखने के बाद उसका फोन आया कि आपका प्रीमियम तो मैं पहले ही भर आया था क्योंकि मुझे अपना

Human Rights come with a sense of duty, says Justice Jain

HT Correspondent

PROTECTION OF Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to *HT Jaipur Live*, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual. Anybody, whose rights are being violated, will be given an opportunity and appropriate guidelines are issued.

"It is unfortunate that 61 years after Independence people have not understood the human rights. Poverty, unemployment, illiteracy, social evils and superstitions are still prevalent. In such a scenario, some people are misusing the freedom and we have to struggle for the human rights of all," he said.

ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरुकता का संदेश दिया

एंटरटेनमेंट और फन के साथ सोशल वेलफेयर के लिए भी जागरूक है माय एफएम

सिटी रिपोर्टर

इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे पर सोमवार को 94.3 माय एफएम, सेव द चिल्ड्रन, यूरोपियन कमीशन, दैनिक भास्कर और वर्ल्ड विजन की ओर से रैली आयोजित की गई। रैली को सेव द चिल्ड्रन के जोनल डायरेक्टर रंजन पटनायक ने हरी झंडी दिखाकर दैनिक भास्कर ऑफिस से रवाना किया। इसमें माय एफएम की टीम, विद्याश्रम स्कूल के स्टूडेंट और सैकड़ों वॉलेंटियर्स ने भाग लिया। रैली जयपुर डेयरी, गांधी नगर रेलवे स्टेशन, बजाज नगर पुलिस स्टेशन, राजस्थान बैंक और राजस्थान स्कूल होती हुई सुबह 9:00 बजे विद्याश्रम स्कूल पहुंची। यहां माय एफएम की टीम ने अतिथियों, आयोजकों और रैली में शामिल सभी व्यक्तियों का स्वागत किया। राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष एन.के. जैन और विद्याश्रम स्कूल के प्रिंसीपल उपेन्द्र कौशिक ने रैली को संबोधित किया। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की जानकारी दी, साथ ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी अवेयर रहने का मैसेज दिया।

■ आरएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनके जैन रैली को संबोधित करते हुए।

■ रैली में शामिल बच्चे और वॉलेंटियर्स।

इस अवसर पर प्रयास संस्थान ने शॉर्ट प्ले का मंचन किया। सेव द चिल्ड्रन विलेज प्रोजेक्ट के बच्चों ने पपेट शो से ह्यूमन राइट्स के प्रति जागरुक रहने का मैसेज दिया। रैली में शामिल स्टूडेंट्स को माय एफएम और सेव द चिल्ड्रन की ओर से गिफ्ट दिए गए। वर्ल्ड विजन और आईटीसी सनफीस्ट की ओर से रिफ्रैशमेंट दिया गया। इस अवसर पर माय एफएम के रीजनल हैड रजनीश थपलियाल, सेव द चिल्ड्रन के साउथ एशिया हैड मुकेश लथ, जोनल डायरेक्टर रंजन पटनायक, वर्ल्ड विजन के प्रोजेक्ट मैनेजर अनिल जोसफ, सेव द चिल्ड्रन यूनाइटेड किंगडम के लियोनी और गैबी भी थे। रैली के सफल आयोजन में अन्य प्रमुख सहयोगी प्रिया परिवार, वर्ल्ड विजन, श्री अभेश्वर ग्रुप ऑफ कम्पनीज रहे। 94.3 माय एफएम के आरजे और मस्ती की पाठशाला फेम सिड ने रैली का संचालन किया।

हर मानव को जन्मजात कुछ अधिकार मिले हैं। ह

हमें हक है

कुछ दिनों पहले की बात है, जब 'संडे ऑब्जर्वर' ने खुलासा किया कि दिल्ली में बच्चों के साथ किस कदर अमानवीय व्यवहार हो रहा है। यहां ये बच्चे लगातार उन्नीस घंटे तक काम कर रहे थे। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं था। दुनिया के एक मशहूर ब्रैण्ड के लिए बच्चे कपड़े तैयार करते और टैग सिला करते थे।

कोई बच्चा कड़ी मेहनत से जी चुराता, तो मालिक रबड़ की पाइपों से बेरहमी से पिटाई करता। छोटे-छोटे सीलन भरे बदबूदार माहौल में काम करते हुए ये बच्चे बिल्कुल मशीन बन कर रह गए थे। ना कोई खाने की पूछने वाला, ना कोई स्वास्थ्य की खैर खबर लेने वाला। दिल को दहलाने वाली दास्तां को सुनकर 29 अक्टूबर को दिल्ली के शाहपुर जट इलाके से चौदह बच्चे मुक्त कराए गए।

यह तो सिर्फ एक बानगी भर है। हम लगभग हर रोज अखबारों में ऐसे कई मामले पढ़ते हैं, जिनमें गरीबों, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उनके हक से महरूम किया जाता है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को उनके हक क्यों नहीं मिल रहे? हम लोग क्यों भूल रहे हैं कि हर मानव को गरिमा से जीने का हक है और यह हक हमें जन्मजात मिला है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर मानवाधिकार क्या हैं और कैसे एक आम आदमी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकता है। अधिकारों का दायरा वैसे तो बड़ा है। पेश हैं कुछ खास हक–

बुजुर्गों के हक

ऐसे बुजुर्ग जो अपनी कमाई या संपत्ति से अपना खर्च नहीं चला पाते। उनको अपने बच्चों (बेटा या बेटी) से गुजर–बसर का खर्चा लेने का पूरा हक बनता है।

महिलाओं के हक

- ❖ पुरुषों और स्त्रियों का समान कार्य के लिए समान वेतन।
- ❖ स्त्रियों के साथ मारपीट, भावनात्मक व आर्थिक प्रताड़ना, गाली देना या ताने मारना अपराध।
- ❖ महिला पुलिस ही ले सकती है स्त्री की तलाशी।
- ❖ पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानूनी अपराध।
- ❖ गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सुविधाएं।
- ❖ दहेज लेना या देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है।

बच्चों के हक

- ❖ जन्म के साथ ही राष्ट्रीयता।
- ❖ स्वस्थ पोषण, मकान सुविधा, शिक्षा।
- ❖ शोषण, क्रूरता, उपेक्षा के विरुद्ध सुरक्षा।
- ❖ छोटी उम्र में बच्चे को मां से अलग नहीं किया जा सकता।
- ❖ प्राथमिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।
- ❖ विकलांग बच्चों की विशेष देखरेख।
- ❖ चौदह साल से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते।

Media Exposing The Operations Of State Human Rights Commission

अधिकारों के साथ हम कर्तव्यों पर भी ध्यान दें : जैन

जयपुर, 10 दिसम्बर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत है कि हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, जैसा अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं, तभी मानवाधिकारों का वास्तविक रूप में संरक्षण संभव होगा। जैन गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया ह्यूमर्न राइट्स एसोसिएशन की ओर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सब अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालना नहीं करते। यदि हम अपने कर्तव्यों का ही पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों का संरक्षण स्वत: ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश ने आजादी के बाद के 60 वर्षों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, लेकिन मानवाधिकारों के क्षेत्र में हम आज भी जागरूक नहीं है, आज भी गरीबी, बेरोजगारी, कुप्रथाएं देश में व्याप्त हैं, जिनके चलते मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये समस्याएं सहभागिता से ही दूर हो सकती है।

जैन ने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, इस दिशा में करीब 100 स्कूलों में प्रतिदिन प्रार्थना के समय अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संकल्प दोहराया जाता है। उन्होंने बताया कि आयोग ने विविध कानूनी विषयों और मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित बड़ी संख्या में किताबें प्रकाशित करवाकर आमजन में नि:शुल्क बंटवाई है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

इससे पहले कार्यशाला में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.यू.दुआ ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं और इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन असामाजिक तत्व कई बार इस कार्य में बाधा बनते हैं।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी सचेत किया गया है।

मानवाधिकार संरक्षण की शुरुआत परिवार से करें: महापौर

जयपुर, 10 दिसम्बर। महापौर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण की शुरुआत हमें सबसे पहले परिवार से करनी चाहिए, हमनें परिवार में सबके अधिकारों को संरक्षण कर लिया और सब अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे तो मानवाधिकारों का हनन स्वतः ही बंद हो जाएगा। श्रीमती खंडेलवाल, गुरुवार को सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल बीएड कॉलेज में मानवाधिकार संरक्षण पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भाग-दौड़ की जिंदगी में हमारी संवेदनाएं पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन दब जरूर गई हैं, इन संवेदनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। संवेदनाओं के जागृत होने पर मानवाधिकारों का संरक्षण संभव है। महापौर ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण में महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी है, क्योंकि एक मां के रूप में मानवाधिकारों के संरक्षण की पहल महिला ही कर सकती है, वही बच्चों को कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संस्कार दे सकती है, लेकिन पुरुषों को भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्यक्रम में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि पढ़ने-लिखने के बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदली है, जिसके चलते मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हम आज भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं है। हम उच्च शिक्षित और समृद्ध तो हो गए, लेकिन अपने संस्कारों और कर्तव्यों को भूल गए, यही वजह है कि आज मानवाधिकारों के हनन की शिकायतें आती हैं।

जैन ने कहा कि मानवाधिकार आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि आयोग तो यही अपेक्षा करता है कि लोकसेवक अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को सही करने की बात करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने की बात कभी नहीं करते।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने दिखाई रैली को हरी झंडी

जयपुर, 10 दिसम्बर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने गुरुवार को मानवाधिकार संरक्षण दिवस के अवसर पर सुबोध पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित मानवाधिकार संरक्षण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में मानवाधिकार संरक्षण एवं कर्तव्यों संबंधी संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह था।

अधिकार के साथ अब कर्तव्य की बात

कोटा, 24 जुलाई (कासं)। आमजन अब अपने अधिकारों के प्रति काफी सजग हो गए हैं, लेकिन उन्हें अब भी कर्तव्य का बोध नहीं है। मानवाधिकार आयोग अब अधिकारों के प्रति जागरुकता लाने के साथ लोगों में कर्तव्यबोध जागृत करने का प्रयास कर रहा है। इसकी शुरुआत विद्यार्थियों से की गई है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

निजी यात्रा पर कोटा पहुंचे जैन ने सर्किट हाउस में बताया कि आयोग ने कर्तव्यों संबंधी कई पुस्तकों व पेम्फलेट्स का प्रकाशन करवाया है। इन्हें स्कूल व कॉलेजों में वितरित किया जा रहा है। शिक्षकों को भी विद्यार्थियों को कर्तव्यों के प्रति सचेत व जागरूक बनाने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को यह समझाया जा रहा है कि कर्तव्यों का सही तरह से पालन कर वे दूसरों के अधिकारों के हनन करने से बचते हैं।

13 हजार शिकायतें, 12 हजार का निस्तारण

जैन ने बताया कि आयोग के समक्ष पिछले तीन वर्ष में 13 हजार से अधिक शिकायतें आईं। इनमें से 12 हजार का निस्तारण किया जा चुका है। आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 100 प्रकरणों का निस्तारण किया।

आयोग बाधक नहीं

जैन ने कहा कि अधिकांश मामलों में सरकार व नौकरशाह आयोग को बाधा के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनकी यह धारणा गलत है। आयोग सरकारी तंत्र को लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बेहतर प्रशासन की ओर ले जाने में मदद करता है।

अधिकारियों को निर्देश

जैन ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. धर्मसिंह मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश भार्गव, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक बी.एल. बैरवा के साथ बैठक कर अधिकार व कर्तव्यों के प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैरवा ने उन्हें कुछ समस्याओं की जानकारी भी दी।

समाचार जगत >> जयपुर >> 10 दिसम्बर, 2007

अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य भी निभाएं

अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। जहां तक मानवाधिकार संरक्षण की बात है, यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, परन्तु इसे मनाने के लिए लोगों में अभी-भी उतनी जागरूकता पैदा नहीं हुई हैं। इस कार्यक्रम में सिर्फ संभ्रांत वर्ग का ही जुडना काफी नहीं बल्कि हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव ढाणी की आम जनता तक को इससे जोडना होगा जिससे आगे चलकर वह दूसरों को भी मानव अधिकारों के प्रति सचेत कर सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 (एक्ट नं. 10 ऑफ 19994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1999 में आयोग का गठन हुआ तथा मार्च 2000 में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हुई और फिर दिनांक 6.7.2005 को पुर्नगठन हुआ। 16 जुलाई 2005 से राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होने के नाते मेरी यही कोशिश रही है कि हर मामले में सोच समझकर निर्णय लिया जाए, जिससे पीडित के अधिकारों का हनन रोका जा सके। जागरूकता सिर्फ मानव अधिकार क्या है, यह समझने से नहीं आएगी। उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को भी समझना होगा। हर वर्ग खासतौर पर पीडित, दलित उत्पीडित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि जिससे यदि सडक पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रूक कर उसकी मदद करें ना कि सीधे आगे चले जाएं और बहाना बनाएं कि कानूनी प्रक्रिया का झंझट है व समय नहीं है। यदि मानवता के लिए ही किसी के पास समय नहीं है तो फिर क्या खुद मानव बने रहने का उन्हें अधिकार होना चाहिए, यह तो आपको स्वयं को ही तय करना है। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों में आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानव अधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति खास के दायरे में नहीं सिमटा हुआ है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मंगाकर व सुनकर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज आजादी के 60 सालों बाद भी हमें मानवाधिकारों की बात लोगों को अब समझानी पड रही है, जबकि देश पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है परन्तु आज भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा के साथ सामाजिक कुरीतियां, अन्धविश्वास प्रचलित हैं। यह एक जटिल समस्या है इसके अलावा कुल लोगों के द्वारा स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने के कारण हमें आज भी मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करना पड रहा है। यह आयोग जागरूकता बढाने के लिए सरकारी विभागों, कॉलेज, विश्वविद्यालयों के अध्यापकों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से आमनागरिकों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों की जानकारी देने का भरपुर प्रयास कर रहा है कुछ निस्वार्थ व सेवाभावी संस्थाएं भी इस जागरूकता कार्यक्रम में सहयोग दे रहा है। जिसके फलस्वरूप एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा व अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर मानव अधिकारों के संरक्षण के साथ उनके हनन को रोकने में भी मदद मिल रही हैं। यह सहयोग जितना अधिक मिलेगा, प्रदेश की जनता के मानव अधिकारों के लिएउतना ही अच्छा होगा। प्रायः यह भी देखने में आता है कि बडी बडी बातों की चर्चा तो हर कोई करता है परन्तु छोटी छोटी बातें, जो जीवन में महत्वपूर्ण होती है, उनको नजरअंदाज करते हुए आज इंसान हर कार्य को दूसरों से ही अपेक्षा करता है यह स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। आयोग ने मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व अधिकारों के संरक्षण के लिए लोक सेवकों एवं जनसाधारण में संवेदनशीलता से काम करने को बढावा दिया है। आयोग द्वारा दिनांक 6.7.2005 से 30.11.2007 तक 10110 प्राप्त परिवादों में से 9418 परिवादों का निस्तारण कर दिया गया है तथा 1046 परिवाद दिनांक 30.11.2007 को विचाराधीन हैं। मेरा यह भी मानना है कि केवल कानून बनने या उपदेश देने से मानवाधिकारों का संरक्षण नहीं होगा, इसके लिए बने हुए कानून को अमल में लाना व स्वयं को कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना होगा व पारस्परिक हित की बात सोचनी होगी। मानव अधिकार जो सबके लिए है, कागजी ना होकर सभी को मिलकर क्रियान्वित करना होगा। हां, आयोग मदद जरूर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग सिर्फ सामान्य जनता को ही नहीं बल्कि अवेयरनेस व लीगल लिट्रेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात करने वाले लोक सेवकों को भी समझाते हैं। अब जब राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत भी बढ गया है, उसी के साथ लोगों में अपने अधिकारों के प्रति सजगता भी बढी हैं। ऐसे में कर्तव्यों के प्रति भी हमें ज्यादा ध्यान देना होगा। अन्त में विश्व मानवाधिकार दिवस पर मेरी लोगों से यही अपेक्षा है कि मानव अधिकारों का संरक्षण करें, यह किसी का अधिकार तो किसी का कर्तव्य हैं, दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। इसी से मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता जागृत होगी तथा आयोग अपने उद्देश्यों के प्रति अधिक सफलत हो पाएगा और हमारा देश फिर पहले जैसे सोने की चिडिया कहलाएगा।

-एन के जैन

Human Rights and duties

Protection of Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to HT Jaipur Live, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual. P3

अधिकारों के साथ कर्तव्य भी निभाएं

जागरूकता मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा।

मानवाधिकार संरक्षण तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्य निर्वहन के लिए भी जागरूक हो। हर वर्ष दस दिसंबर को 'विश्व मानवाधिकार दिवस' तो पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन इसकी जागरूकता के लिए हर युवा से लेकर स्कूली छात्रों एवं गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा। जिससे आगे चलकर वह अन्य लोगों को भी मानवाधिकारों के प्रति सचेत रख सकें। इसी प्रयास को अंजाम देने के लिए 'दा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993' (एक्ट नं. 10 ऑफ 1994) की धारा 21 (1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य में 18 जनवरी 1998 में आयोग का गठन हुआ।

विश्व मानवाधिकार दिवस

जागरूकता सिर्फ मानवाधिकार क्या है, यह समझने से ही नहीं आएगी, उसके लिए हमें मानव के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता को समझना होगा। समर्थ लोग अपने अधिकार व मानवाधिकारों के हनन को रोकने में सक्षम हैं, परंतु हर वर्ग खासतौर पर मीडिया, दलित, उत्पीड़ित, कमजोर वर्ग, बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण की बात भी ध्यान में रखनी होगी और हमें अत्यधिक जागरूकता के साथ-साथ संवेदनशील भी बनना होगा, ताकि यदि सड़क पर भी किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो, तो हम वहीं रुककर उसकी मदद करें न कि सीधे आगे चले जाएं। जहां तक मानवाधिकार आयोग की बात है, शिकायतों के अलावा अखबारों के आने वाले मामलों पर भी आयोग प्रसंज्ञान लेता है। साथ ही यह सभी मानवहित के लिए कार्यरत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नागरिकों के कर्तव्यों व अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों को सकारात्मक सोच देने का प्रयास भी कर रहा है। मानवाधिकार आयोग किसी पुलिस, कोर्ट या व्यक्ति विशेष के दायरे में सिमटा हुआ नहीं है, यहां जिस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, उसके मामले में वस्तुस्थिति मांगकर व सुनकर दिशा-निर्देश दिए जाते हैं। जिन आदेशों की पालना नहीं हुई उनके बारे में सरकार को विधानसभा में कारण बताने होते हैं।

– न्यायमूर्ति एन.के. जैन

मानव अधिकार दिवस विशेष

25 सिफारिशों पर जवाब का इंतजार

कार्यालय संवाददाता
जयपुर, 9 दिसम्बर

राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर से राज्य सरकार को की गई 150 में से दो दर्जन से अधिक सिफारिशों पर सरकार के जवाब का इंतजार है। आयोग अध्यक्ष एन.के. जैन ने मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के लिए दलित, बच्चों व महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता जाहिर की है। साथ ही नई सरकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने का आह्वान किया है। जैन ने मानव अधिकार दिवस की पूर्व संध्या पर 'राजस्थान पत्रिका' से विशेष बातचीत में नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर बेबाक टिप्पणी की।

उनका कहना था कि वित्त विभाग और गृह विभाग (आयोग का नोडल विभाग) आयोग के साथ भी मातहत जैसा बर्ताव करते हैं। आयोग ने मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए अपने स्तर पर एक दर्जन से अधिक लघु पुस्तिकाएं तैयार की है, जो शिक्षण संस्थानों व एनजीओ के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है।

आंकड़ों में मानवाधिकार आयोग

(जुलाई 05 से नवम्बर 08 अंत तक)
परिवाद आए- 14000
निस्तारित हुए- 12900
सिफारिश की- 150
पूरी हुई- करीब 125

जैन से बातचीत के अंश

- **क्या आयोग को सरकार से सहयोग मिल रहा है?**
सरकारी मशीनरी की धारणा है कि आयोग उन पर थोप दिया है, जबकि वास्तव में आयोग सुशासन में मदद करता है। आयोग ने समय-समय पर वार्षिक ब्यौरा विधानसभा सदन में रखा, लेकिन उन रिपोर्टों का क्या हुआ उसकी सूचना सरकार से नहीं मिली है। उम्मीद है, नई सरकार इस ओर ध्यान देगी।

- **प्रदेश में मानवाधिकार आयोग की क्या स्थिति है?**
देश में सभी जगह आयोग तो बन गए हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। वित्त विभाग आयोग को बजट आवंटन में भी कंजूसी दिखाता है, मानवाधिकार आयोग का नोडल विभाग गृह भी मातहत की तरह व्यवहार करता है। ढाई साल के कार्यकाल में ऊपर तक से सहयोग का भरोसा मिला, लेकिन नौकरशाही की मनमानी नहीं रुकी। आयोग में स्टाफ यह लगता है, जो सरप्लस हो या काम करने की स्थिति में नहीं हो। आयोग ने कई विभागों में ढांचागत सुविधा बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन उनमें तो क्या आयोग कर्मचारियों तक के सेवानियम- वरिष्ठता सम्बन्धित प्रकरण भी सरकार के पास अटके हुए हैं।

- **मानव हित में नई सरकार की प्राथमिकता क्या हो?**
राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक है। ढांचागत सुविधाओं की कमी दूर हो। यातायात समस्या काफी अधिक है, लेकिन यातायात पुलिस चालान का कोटा पूरा करने में लगी रहती है। हादसों के मामलों में मुआवजा समय पर नहीं मिलता, इससे पीड़ित को उचित लाभ नहीं मिलता और फर्जी लोग मुआवजे के लिए आ जाते हैं।

- **आंदोलनों से कैसे निपटा जाए?**
आयोग ने गुर्जर आंदोलन और सवाई मानसिंह अस्पताल में रेजीडेन्ट डॉक्टर्स हड़ताल प्रकरणों में सभी पक्षों से मिलकर समाधान निकालने का आग्रह किया था। आंदोलनकारी, प्रशासन व आम नागरिक सभी मिलकर चलेंगे, तभी देश का हित हो सकता है।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम आज

जयपुर, 9 दिसम्बर (का.सं.)। राज्य मानवाधिकार आयोग के बैनर तले बुधवार को प्रातः साढ़े नौ बजे मानसरोवर स्थित टैगोर एनआरआई इन्टरनेशनल स्कूल में मानव अधिकार दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। मानव अधिकार दिवस की साठवीं जयन्ती पर होने वाले इस कार्यक्रम में करीब डेढ़ दर्जन स्कूलों के करीब पांच हजार छात्र-छात्राओं को संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा तैयार शपथ दिलाई जाएगी। शिक्षा विभाग से सभी स्कूलों में मानव अधिकारों के बारे में 'जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराने को कहा गया है।

मानवाधिकार की अलख

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर शहर के कई संस्थानों, संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों में समारोहों और व्याख्यानों का आयोजन किया गया।

ली शपथ

सुबोध पब्लिक स्कूल के अंतर्गत संचालित ह्यूमन राइट्स क्लब की तरफ से मानवाधिकार दिवस पर क्लब सदस्यों को विश्व में सभी प्राणियों के प्रति सम्मान रखने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के दौरान पोस्टर प्रतियोगिता के साथ ही कविता पाठ और लघु नाटिका का आयोजन भी किया गया।

कार्यशाला

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय व दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से आयोजित समन्वयकों की कार्यशाला का सोमवार को राज्य मानवाधिकार अध्यक्ष एनके जैन ने उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक सुषमा सिंघवी की मानवाधिकार पर लिखी पुस्तिका महिला एवं मानवाधिकार का भी विमोचन किया गया। कार्यशाला में स्ट्राइड के निदेशक प्रो. एम के घड़ोलिया ने विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। कार्यशाला में करीब 50 समन्वयकों ने भाग लिया।

परिचर्चा

मानवाधिकार संस्थान सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर राइट्स की तरफ से सोमवार को राइट टू लाइफ परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में प्रो. मानचंद खंडेला ने मुख्य वक्ता थे। परिचर्चा के दौरान डॉ. नीलिमा अग्रवाल, वरिष्ठ नागरिक पीएल नकड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता पीएन मैंदोला भी उपस्थित थे।

विशेष सत्रों आयोजन

हैल्थ एंड सोशल डवलपमेंट रिसर्च सेंटर व सहयोगी संस्थाएं सक्षम, सजग व नवाचार की तरफ से आयोजित महिला एवं बालिका हिंसा उन्मूलन पखवाड़े में सोमवार को सत्य सांई महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व महिला प्रकोष्ठ में सम्मेलन के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सक्षम संस्था के रमेश पालीवाल ने विशेष सत्र का भी आयोजन किया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या व महिला हिंसा के ऊपर चर्चा की।

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर हुए कई कार्यक्रम

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए।

संगोष्ठी

आकाशदीप गर्ल्स लॉ कॉलेज में सोमवार को मानव अधिकारों पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य उद्बोधक के रूप में पूर्व निदेशक जनसंपर्क विभाग डॉ. अमरसिंह राठौड़, राजस्थान विधि महाविद्यालय के प्रवक्ता डॉ. बीडी रावत, संस्था निदेशक एलसी भारतीय शामिल हुए। इस मौके पर प्राचार्य डॉ. बबीता चुग, डॉ. संध्या शर्मा, छात्राओं में मनप्रीत सिंह, लता शर्मा आदि ने भी मानवाधिकारों के बारे में विस्तार से बताया।

वार्ता

विश्व मानवाधिकार दिवस पर सेन्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल वेलफेयर की तरफ से बेघरों के अधिकारों पर वार्ता की गई। इस बैठक के दौरान संस्था सचिव सरोज खान, गजेन्द्र, कैलाशचंद योगी, सईद अहमद खान, पूनम खन, बेबी नाज व निशा ने भी मानव अधिकारों पर विचार व्यक्त किए।

कन्या भ्रूण हत्या

जमाअते इस्लामी हिन्द जयपुर इकाई की ओर से आज मुस्लिम मुसाफिर खाने में 'मानव गरिमा कॉन्फ्रेन्स' का आयोजन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में सभी धर्मों के महिला-पुरूषों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जमाअत के प्रदेशाध्यक्ष सलीम इन्जीनियर ने कहा कि केवल शिक्षा से ही मानवाधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि आज पढ़े-लिखे लोग ही कन्या भ्रूण हत्या और घिनौने कृत्य करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम मानव गरिमा का पक्षधर है। इस अवसर पर डायमंड इण्डिया के सम्पादक भंवर मेघवंशी, महावीर विकलांग समिति के अध्यक्ष डी. आर. मेहता, वकार अहमद, पत्रकार नारायण बारेठ आदि ने भी विचार व्यक्त किए।

कांग्रेस ने मनाया मानवाधिकार दिवस

जयपुर (कासं)। जयपुर शहर कांग्रेस मानवाधिकार विभाग की ओर से एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। रैली का विधायक बृजकिशोर शर्मा, पूर्व विधायक उदयसिंह राठौड़, महेश जोशी, मीडिया प्रकोष्ठ के दिनेश शर्मा ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। विशाल रैली संजय सर्किल चांदपोल बाजार से रवाना होकर छोटी, चौपड़, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार होते हुए छोटी चौपड़ पर सभा में परिवर्तित हो गई। जहां पर सभा को सम्बोधित करते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल रसीद खान ने बताया कि संविधान में व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा, में यातनापूर्ण और अपमानजन व्यवहार नहीं होने सम्बन्धी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार, 'स्त्री-पुरूष वृद्ध लोगों को सम्मान प्राप्त करने के अधिकार शामिल है। हनफ, विजय शंकर तिवाड़ी, कुलदीप नामा, दौलत त्रिकालानी, रेणुका लालवानी, शहजाद कुरेशी, मुस्तफा कमाल, युगल किशोर, संजय शर्मा, नरेन्द्र जेठवानी, सुभाष जी एडवोकेट, राकेश शर्मा, चेतन अग्रवाल, ताज मोहम्मद, दिलीप अग्रवाल, भारतेन्द्र शर्मा, चिरंजीव सिंह सहित रैली में भाग लेने के लिए अनेक लोगों का हुजूम था। रैली में लोगों के हाथों में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु अनेक पोस्टर, बेनर, झण्डे आदि थे व नारे लगाते हुए बढ़े चले जा रहे थे।

विशाल रैली का आयोजन

छात्राओं का अल्पसंख्यक आयोग का भ्रमण: एम्बेसी कॉलेज फार गर्ल्स की स्वयंसेवक छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के विशिष शिविर के समापन समारोह पर मानवाधिकार दिवस पर स्वयंसेवक छात्राओं ने अल्पसंख्यक आयोग का भ्रमण किया जिसमें आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए मानवाधिकार दिवस के संदर्भ में अल्पसंख्यकों को अधिकारों, वास्तविक परिस्थितियों और उनके प्रति लागू विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी महात्मा ज्योति राव फूले महिला विधि महाविद्यालय की छात्राओं ने भ्रमण किया। संस्था के निदेशक निर्मल पंवार ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में मानव के मूलभूत अधिकारों और मानवाधिकारों के प्रति जागृति और इनसे वंचित रहने वालों के प्रति सहानुभूमि और सहयोगात्मक आचरण अपनाने की प्रेरणा देना है।

सदैव सीखनें का भाव रखें : जैन

जयपुर, (का.सं.)। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र, एवं दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, कोटा की ओर से आयोजित समन्वयकों की कार्यशाला सोमवार को सम्पन्न हुई।

कार्यशाला का उद्घाटन प्रात: 10 बजे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने किया। अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बोलते हुए न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि आज शिक्षा की आवश्यकता जीवन पर्यन्त है एवं हर व्यक्ति को अपनें जीवन में सदैव कुछ न कुछ सीखने को तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर क्षेत्रीय केन्द्र निदेशक डॉ. सुषम सिंघवी द्वारा मानवाधिकार पर लिखी गई पुस्तिका महिला एवं मानवाधिकार का विमोचन भी किया।

मानवाधिकार दिवस पर सेमीनार

जयपुर। बियानी गर्ल्स कॉलेज विद्याधर नगर में शनिवार को मानवाधिकार दिवस पर सेमीनार का आयोजन किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा मद्रास एवं कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस एनके जैन ने महिलाओं के कानूनी अधिकार, बालकों के अधिकार एवं दलितों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका की कार्य प्रणाली एवं न्याय व्यवस्था के बारे में बताया। इस अवसर पर संस्था निदेशक डॉ. संजय बियानी एवं प्राचार्य डॉ. मीना सोगानी ने अतिथियों का स्वागत किया एवं आभार व्यक्त किया।

आखिर तोड़ी खामोशी... लघु नाटिका का एक दृश्य।

खास है मीडिया की भूमिका

लघु नाटिका से दिए संदेश

जयपुर रिपोर्टर
जयपुर 10 दिसम्बर

मानव अधिकारों से जुड़े गम्भीर सवाल और हर सवाल पर सही जवाब। सोमवार को मोतीडूंगरी रोड स्थित गीता बजाज महिला शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में ऐसा ही नजारा था। अवसर था मानव अधिकार दिवस पर आयोजित प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का। इस मौके पर आशु भाषण व लघु नाटिका प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

इसमें कन्या भ्रूण हत्या, लिंग अनुपात में असंतुलन व दहेज प्रथा जैसी समस्याओं पर लघु नाटिकाओं के माध्यम से एक संदेश दिया गया। लघु नाटिका में गार्गी सदन ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस नाटिका में पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी बात की गई। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में कस्तूरबा सदन की छात्राओं ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आशु भाषण में इंदरा खींची ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के.जैन मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष प्रो.पवन सुराणा ने की। जैन ने कहा कि मानव अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का गरिमामय जीवन व्यतीत करना मुश्किल है।

स्टूडेन्ट्स ने पत्र वाचन, पोस्टर और नाटकों के माध्यम से मानव अधिकारों का महत्व बताया

जयपुर रिपोर्टर
जयपुर 10 दिसम्बर

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर तिलक नगर स्थित एलबीएस महिला टीटी कॉलेज में अंतरमहाविद्यालय प्रतियोगिताएं हुईं। पोस्टर, पत्रवाचन व लघु नाटिका प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं ने मानव अधिकारों के प्रति अपना जज्बा भी दिखाया। पत्र वाचन के लिए प्रतिभागियों को 8 मिनट दिए गए। लघु नाटिका के लिए 20 और पोस्टर प्रतियोगिता के लिए 1.30 मिनट दिए गए।

पोस्टर से दिए संदेश

महिला सशक्तिकरण एवं मानव अधिकार विषयक पोस्टर प्रतियोगिता में 24 प्रतिभागियों ने मानवता का संदेश देने वाले पोस्टर तैयार किए। आईसीजी की छात्रा स्वाति गुप्ता ने पोस्टर में एब्सट्रेक्ट फिगर्स में नारी के बढ़ते कदमों को दर्शाया, तो एलबीएस की मनीषा बड़जात्या ने पोस्टर में दो पार्ट बनाए। एक तरफ सजग नारी और उसके अधिकारों को दर्शाया, तो दूसरी तरफ निरक्षरता के कारण होने वाले नुकसान को। सभी पोस्टरों में रंग संयोजन के साथ ही विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया था।

मानव अधिकार में मीडिया की भूमिका

पत्र वाचन प्रतियोगिता में 'मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने में मीडिया की भूमिका' विषय पर सभी प्रतिभागियों ने रोचक जानकारी दी। एलबीएस कॉलेज की कमलेश गक्खड़ ने कहा कि मानव अधिकार मानव अस्मिता का कवच, विश्व शांति व कल्याण का मंत्र है। मानव अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने में मीडिया की अहम भूमिका है। पत्र वाचन में 11 से अधिक कॉलेजों के 22 स्टूडेन्ट्स ने हिस्सा लिया।

आखिर तोड़ी खामोशी

घरेलू हिंसा और महिला कानून विषय पर आयोजित लघु नाटक प्रतियोगिता में 9 प्रस्तुतियां दी गईं। सभी प्रस्तुतियों के अभिनय में कसावट के साथ ही कहानी भी दर्शकों पर प्रभाव डालने वाली थी। एलबीएस कॉलेज की छात्राओं की ओर से प्रस्तुत खामोशी तोड़ो नाटक की प्रस्तुति पर देर तक तालियां बजती रहीं। कार्यक्रम में राजस्थान यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन मथुरेश्वर पारीक मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम संचालन व्याख्याता नंदिनी ने किया। अंत में कॉलेज प्राचार्या उमा तिवाड़ी ने धन्यवाद देते हुए मानव अधिकारों की महत्ता बताई।

मानवाधिकारों के प्रति बढ़े जागरूकता

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 8 दिसंबर। सड़क पर किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटे और हम सीधे चले जाएं फिर बहाना बनाएं कि कानूनी प्रक्रिया झंझट है या समय नहीं है, इस मानसिकता से हमें उबरना होगा। यह कहना है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एनके जैन का।

अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर शनिवार को एनके जैन ने मानव अधिकारों के प्रति लोगों का ध्यान खींचने के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि मानवाधिकारों के लिए सिर्फ शहरी जनता को जोड़ना काफी नहीं बल्कि गांव-ढाणी की आम जनता को भी इससे जोड़ना होगा जिससे वह आगे आने वाली पीढ़ी को भी अपने अधिकारों के प्रति सचेत कर सकें। इस संबंध में हम [illegible] लिटरेसी प्रोग्राम के तहत जिम्मेदारी निभाने की बात समझाते हैं। इसलिए अधिकारों के साथ सभी को कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान देना होगा। मानवाधिकार दिवस पर बियानी गर्ल्स कॉलेज में शनिवार को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष .एनके जैन ने महिलाओं, बालकों व दलितों के कानूनी अधिकार के बारे में छात्राओं को जानकारी देते हुए न्यायपालिकाओं की कार्यप्रणाली व न्याय व्यवस्था के बारे में बताया। इस मौके पर संस्था के अकादमिक निदेशक डॉ. संजय बियानी व प्राचार्या डॉ. मीना सोगानी ने भी मानव अधिकारों की छात्राओं को जानकारी दी। अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर शनिवार को महावीर पब्लिक स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन मानवाधिकार आयोगाध्यक्ष एनके जैन ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस मौके पर संस्था प्राचार्य उर्मिल वर्मा ने सभी को विद्यालय गतिविधियों से परिचित करवाया। साथ ही, विद्यार्थियों ने चाइल्ड लेबर, गर्ल चाइल्ड प्राब्लम्स, भूखमरी, मजदूर एवं भिखारी आदि समस्याओं को नाटकों और स्लोगनों में प्रस्तुत करते हुए मानवाधिकार के प्रति सजग किया। एनके जैन ने मानवाधिकारों की उपयोगिता समझाते हुए कार्यक्रम की सराहना की, वहीं संस्था सचिव आरके काला ने भी बच्चों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी।

राजस्थान पत्रिका

जयपुर, शनिवार, 13 जून 2009

आयोग को किया परेशान

राज्य मानवाधिकार आयोग को गुर्दा रोगियों की समस्याओं के मामले में भी कैंसर और एड्स रोगियों के प्रकरणों की तरह ही जवाब पढ़ने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। गुर्दा रोगियों के प्रकरण में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हाल ही आयोग को इतना धुंधला जवाब भेजा है, जिसे पढ़ पाना संभव ही नहीं है। आयोग ने गुर्दा रोगियों से सम्बन्धित इस प्रकरण में चिकित्सा शिक्षा विभाग को पक्ष रखने के लिए एक और मौका देते हुए पठनीय जवाब भिजवाने को कहा है।

Human Rights come with a sense of duty, says Justice Jain

HT Correspondent

PROTECTION OF Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to *HT Jaipur Live*, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need tc be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. I is not confined to any police, court or ar individual. Anybody, whose rights are being violated, will be given an opportunity and appropriate guidelines are issued.

"It is unfortunate that 61 years after Independence people have not understood the human rights. Poverty, unemployment, illiteracy, social evils and superstitions are still prevalent. In such a scenario, some people are misusing the freedom and we have to struggle for the human rights of all," he said.

'कर्तव्यों का बोध भी कराते हैं मानवाधिकार'

राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जैन ने कहा, यह संस्कार है

अजमेर, 18 सितंबर (कासं)। अधिकार ही नहीं, मानवाधिकार कर्तव्यों का बोध भी कराता है। यह वे संस्कार है जिससे व्यक्ति समाज में सुरक्षित रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यह कहना है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन का। गुरुवार को अजमेर में उन्होंने नवज्योति से बातचीत की।

उन्होंने बताया कि आयोग को 6 जुलाई 2005 से लेकर अगस्त 2008 तक करीब 15 हजार परिवाद मिले है। इनमें से 14 हजार परिवादों का निस्तारण किया गया है। एक सितंबर 2008 तक आयोग के पास एक हजार परिवाद लंबित है जिन पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है।

अधिकारी वर्ग की धारणा है कि यह आयोग उन पर थोपा गया है, जबकि वास्तव में आयोग सुशासन में उनकी मदद कर रहा है। अधिकारी वर्ग की यह धारणा धीरे धीरे बदल रही है और सभी विभाग अपेक्षित सहयोग दे रहे हैं। जैन ने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर समस्त सूचनाएं अंकित करके शिकायत भेज सकता है।

मानवाधिकार के नाम पर पैसों की वसूली

राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन ने लोग को सचेत किया है कि वे प्रदेश में मान अधिकार के समानान्तर नाम से खु गैर सरकारी संगठनों से सतर्क रहें। आयो के पास कई शिकायतें आई हैं कि य गैर सरकारी संगठन मानवाधिकार के ना पर लोगों से पैसा लेकर शिकायत क रहे हैं। प्रदेश में ऐसी 250 संस्थाओं क चिन्हित किया गया है। इन संस्थाओं के खिलाफ आयोग पुलिस कार्यवाही कर जा रहा है। जैन ने बताया कि प्रदेश कुछ ही संगठन मानवाधिकार के क्षे में जनहित के काम कर रहे हैं। लेकि अधिकांश गैर सरकारी संगठन पैसे लेक आयोग को शिकायत कर रहे हैं।

जागरुकता की जरूरत

बाल उम्र में ही मानवीय संवेदनाओं को समझाकर अधिकारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है। मानवाधिकार को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पेशकश को कई स्कूलों ने माना है लेकिन अभी इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। तभी इसको फलीभूत किया जा सकेगा।

अजमेर रिपोर्टर
अजमेर, 18 सितम्बर

विद्यालयों में मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने के लिए एनजीओ को सरकार के साथ की जरूरत है। दोनों के सहयोग से ही इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

यह कहना है स्टेट ह्यूमन राइटस कमीशन के चेयरमैन एन.के.जैन का। जैन गुरुवार को सोफिया कॉलेज में ह्यूमन राइट्स एजुकेशन इन स्कूल ऑफ़ राजस्थान की स्टेट एडवाइजरी कमेटी की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट ऑफ मदुरै व सोफिया कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम की बैठक में रिटायर्ड चीफ जस्टिस एस.एन.भार्गव ने कहा कि मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभी बहुत कार्य करने की जरूरत है। सभी स्टेट्स में राइट्स के प्रति लोगों की अवेयरनैस नहीं है। भार्गव मणिपुर व असम के मानव अधिकार आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। कार्यक्रम में आर.के. सक्सेना रिटायर्ड आई जी. व कॉमनवैल्थ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ मानवाधिकार किस प्रकार उल्लंघन होता है। इसका उन्हें काफी एक्सपीरियंस है।

वह इसको खत्म करने के लिए बच्चों को ही इसका पाठ पढ़ाने के हक में है। बैठक में पी.एल. निमरोद सेन्टर फॉर दलित राइटस जयपुर, सिस्टर कैरल, पुलिस यातना की रोकथाम कार्यकर्ता का कहना है कि मानव अधिकारों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जा सकता है। ग्रास रूट के लिए नुक्कड़ व पपेट शो बेहतरीन ऑप्शन है। सोफिया की व्याख्याता सिस्टर मैरियेला, लॉरेन्स एंड मेयो के प्राचार्य संजय दत्ता, श्रमजीवी कॉलेज के प्राचार्य अनंत भटनागर, एडवोकेट किशन गुर्जर, आर.पी.जैन, जयपुर की दीपा जैन सोफिया कॉलेज की व्याख्याता संध्या रैना, संगीता सामंत, नलिनी बहुगुणा, ज्योति चंदेल, मीडिया की मधुलिका सिंह, दीपक आदि ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अंत में सोफिया कॉलेज की प्राचार्य सिस्टर सरीना ने आगन्तुकों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की स्टेट कॉर्डिनेटर ने प्रोग्राम की कमान संभाली।

सोफिया कॉलेज में आयोजित बैठक में भाग लेते अतिथि।

THE TIMES OF INDIA, JAIPUR
TUESDAY, AUGUST 5, 2008 3

'Teach duties along with rights'

P J Joychen | TNN

Jaipur: The state government is planning to introduce the recital of pledge in the Fundamental Duties in the educational curriculum in the state. This step follows the recommendations of the State Human Rights Commission.

The chairman of the commission, Justice N K Jain, had written to education minister Kalicharan Saraf on the significance of enlightening the citizens of their duties along with their rights.

The chairman of commission, Justice N K Jain, has written on the necessity to enlighten the citizens about their duties

Jain in his letter noted that this would help to inculcate noble values of humanism and morality. The commission has asked the education department to give directives to the educational institutions to recite the pledge in their daily assembly so that the children would be aware of their duties to the nation along with their rights.

The commission also asked the education department to make arrangements for the propagation of the duties. It also recommended that the education department print the portion of the Fundamental Rights in the text books to enable the children to recite it properly.

Justice Jain said "I have received the letter from the state education minister endorsing the proposal and directing the education department to implement the proposal".

He said "I had also received information that some schools have already taken steps to recite the portion in their daily school Assembly function".

He said it is all the more important that while the citizens were becoming increasingly conscious of their rights they must also be informed of their duties to the nation".

मानवाधिकारों के प्रति हों जागरूक

जयपुर रिपोर्टर
जयपुर, 9 दिसम्बर

शहर के ज्यादातर लोगों को न तो अपने अधिकारों की जानकारी है और न ही प्रशासन की ओर से उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है। मानवाधिकार क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना कहीं न कहीं लाखों लोगों के मानवाधिकारों का हनन होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण मानवाधिकारों की जानकारी न होना है। लेकिन इन अधिकारों के सहारे ही व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा के साथ समाज के प्रति दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से कर सकता है। मानवाधिकार दिवस के मौके पर शहर के विशेषज्ञों ने भी कुछ इसी तरह की बात कहीं और जोर दिया कि लोगों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों को समझना चाहिए।

क्या हैं मानवाधिकार

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है। न्यायालय भी इसकी मान्यता देता है। इसमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने सम्बन्धी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार शामिल है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंगभेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। वर्ष 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की ओर से 10 दिसम्बर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया गया।

आयोग बने सक्षम

"जन्म लेने के बाद से ही हवा, पानी और मकान का प्रमुख अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। सबसे बड़ा अधिकार अभिव्यक्ति को माना गया है। आज मानवाधिकार आयोग के पास यदि मानव अधिकारों के हनन सम्बंधी कोई शिकायतें आती भी हैं, तो आयोग को दण्ड देने का अधिकार नहीं है। आयोग केवल मामले की जांच के बाद रिपोर्ट को सरकार के पास सुझावों सहित प्रेषित कर सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आयोग को सक्षम बनाया जाए। आयोग को हर चीज को लागू करने की पावर होनी चाहिए।

- अशोक मेहता, *पूर्व चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान*

शुद्ध पानी तक नसीब नहीं

"शुरुआती मानवाधिकारों में रोटी, कपड़ा, मकान को माना गया है, लेकिन जयपुर में तो लोगों को शुद्ध पानी तक नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा चुनावों में कई लोगों के पास आइडेंटिटी होने के बावजूद वोट तक नहीं डालने दिया गया। इसे क्या कहेंगे? अब तो यह हालत है कि कोई महिला चेन टूटने की रिपोर्ट दर्ज कराने भी जाए, तो पुलिस वाले रिपोर्ट लिखकर भूल जाते हैं। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट देने के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं होती।

- सुभाष शर्मा, *एडवोकेट*

जानें किसके, क्या हैं अधिकार

मिलकर उठाएं मानवाधिकारों की आवाज

नगर प्रतिनिधि

जयपुर, 9 दिसम्बर। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के भी कुछ अलग अधिकार होते हैं। हम रोजाना अपने चारों ओर इनके साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में देखते-सुनते हैं। इन्हें ये सब अत्याचार क्यों झेलने पड़ते है। अगर हम इसके संबंध में जागरूक होंगे तो उठ सकती है एक आवाज उन्हें बचाने के लिए। यहां पेश है इस संदर्भ में कुछ जानकारी।

ये है मानवाधिकार

मानवाधिकार वे अधिकार है जो हर इंसान को जन्मजात मिले है। प्रत्येक मनुष्य को समानता, स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का हक है। इनमें प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, अभिरक्षा में यातना और अपमानजनक व्यवहार ना होने संबंधी अधिकार हैं। इन अधिकारों का हनन धर्म, लिंग, जाति या भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की। उस समय विश्व की जनता द्वितीय विश्व युद्ध की पीड़ा से त्रस्त होकर शांति की चाह में थी। तभी से हर साल 10 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है।

जाने बुजुर्गों के अधिकार

ऐसे बुजुर्ग जो अपनी कमाई या संपति से अपना खर्च नहीं चला पाते। उनको अपने बच्चों से गुजर-बसर का खर्चा लेने का पूरा हक बनता है।

महिलाओं के अधिकार

-पुरूषों और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन।

-महिला पुलिस ही ले सकती है स्त्री की तलाशी।

- स्त्रियों के साथ मारपीट, भावनात्मक व आर्थिक प्रताड़ना, गाली देना या ताने मारना आदि।

- पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना कानूनी अपराध।

- गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली सुविधाएं।

- दहेज लेना या देना, सहायता करना व मांगना कानूनी अपराध है।

बच्चों के भी है हक

-जन्म के साथ ही राष्ट्रीयता।

-स्वस्थ पोषण, मकान सुविधा, शिक्षा।

-छोटी उम्र में बच्चों को मां से अलग नहीं किया जा सकता।

-प्राथमिक स्तर तक मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा।

-शोषण, क्रूरता, उपेक्षा के विरूद्ध सुरक्षा।

-विकलांग बच्चों की विशेष देखरेख।

-चौदह साल से कम उम्र के बालक को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं कर सकते।

भाषा जिसमें शिकायत करें

हिन्दी, अंग्रेजी या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में शिकायत लिख सकते हैं। शिकायत के लिए कोई फीस नहीं है। शिकायत अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। आयोग जब भी आवश्यक समझे, आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है।

यूं करें शिकायत

एक सादा कागज पर हाथ से लिखकर या ई-मेल या फैक्स से निम्न सूचना अंकित करें-

पीड़ित का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पूरा पता।

जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरूद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।

शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महिना, वर्ष सहित)।

घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते (यदि ज्ञात हो)।

घटना की पुष्टि करने के दस्तावेजी सबूत (यदि हो तो)।

यदि किसी अन्य अधिकारी/ कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो, तो उसका नाम एवं उस पर कोई कार्रवाई हुई, तो उसका विवरण।

पहले भी आयोग में शिकायत की हो, तो विवरण एवं परिणाम।

शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जरूर लगाएं। घटना घटने के एक साल के भीतर ही शिकायत करें। शिकायत आयोग के टेलिफोन नंबर पर भी की जा सकती है।

1993 में हुआ आयोग का गठन

भारत सरकार ने मानवाधिकार की रक्षा और इनके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सितंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मार्च, 2000 में हुआ।

पहल हमें करनी होगी

हम केवल अधिकारों की बात करते हैं। कर्तव्यों के बारे में नहीं सोचते। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वाहन सही करें तो किसी के मानवाधिकारों का हनन ही नहीं होगा। हम जैसा व्यवहार करते है वैसा ही व्यवहार चाहते हैं। इसके लिए पहल तो हमें ही करनी होगी। आजकल लोगों में मानवाधिकारों की वजह से जागरूकता आ रही हैं।

-जस्टिस एन.के. जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग।

सपोर्ट की जरूरत

महिलाएं दिन-प्रतिदिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रहीं हैं। अब वे अत्याचार को सहन नहीं करती और इसके खिलाफ आवाज उठाती हैं। इसी का नतीजा है कि अब महिलाओं संबंधी मामले सामने आने लगे है। लेकिन उनको जितना जागरूक होना चाहिए वे उतनी जागरूक नहीं हुई है। वे आत्मनिर्भर तो बन रहीं है पर अब भी उनको घर और समाज का डर है। उन्हें आवश्यकता है अपनों के साथ की जिससे वे अपना सम्मान बचा सकें। फिर किसी भी मानवाधिकार का हनन नहीं हो सकेगा।

-तारा भण्डारी, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग।

कम्प्यूटर संस्कार नहीं दे सकता-जैन

मानवाधिकार दिवस पर रैलियां, संगोष्ठियां

जयपुर, 10 दिसम्बर (कासं)। अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर शहर में बुधवार को कई कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति उत्सुक किया गया। इस अवसर पर कॉलेज छात्रों ने रैली निकाली और सामाजिक संगठनों ने मानवाधिकार पर संगोष्ठियों का आयोजन किया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एनके जैन ने कहा कि हम सब मिलकर मानव अधिकारों का संरक्षण करें। किसी का अधिकार किसी का कर्तव्य है और दोनों की पालना समान रूप से करनी चाहिए। जस्टिस जैन मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अध्यक्षीय पद से सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर दलितों के मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ सभी नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। आयोग ने राज्य में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु कई किताबों के माध्यम से आमजन को विभिन्न कानूनी जानकारी देने का प्रयास किया है। जैन ने कहा कि मानवाधिकारों के प्रति आमजन में जागृति लाने में शिक्षक वर्ग के साथ आज के विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज का विद्यार्थी बहुत ही नोलेजेबल, इन्टेलीजेन्ट, कॉन्फीडेन्ट व आईक्यू रखने वाला है। वह देश विदेश के किसी भी विद्यार्थी से कम्पीट करने का हौसला रखता है। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर के दौर में मानवीय मूल्यों की और अधिक जरूरत है क्योंकि कम्प्यूटर संस्कार नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि टीम भावना, आत्मविश्वास, शान्ति व धैर्य से काम करने व सही समय पर सही निर्णय लेने पर विपरीत परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। इससे पूर्व मुख्य अतिथि वयोवृद्ध शिक्षाविद् तेजकरण डांडिया एवं टैगोर शिक्षण संस्था के निदेशक पीडी सिंह, अनुराग संगीत संस्थान के अजीत जैन सहित अन्य गणमान्य लोगों ने सभी लोगों का आह्वान किया कि वे सब मिलकर मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु एवं अपने कर्तव्यों के प्रति सभी लोगों को प्रेरित करें।

राजस्थान विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र में 'महिला मानवाधिकार दक्षिण एशिया के संदर्भ में' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें बांग्लादेश की काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के वाईस चांसलर एम शमशुर्रहमान ने बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दशक में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र के पूर्व निदेशक एसएन कौशिक ने पाकिस्तान और डॉ. किरोड़ीसिंह ने श्रीलंका में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में साक्षरता दर सबसे अधिक श्रीलंका में है। केन्द्र निदेशक आशा कौशिक ने कहा कि मानवाधिकारों को घर से जोड़कर देखना चाहिए और महिलाओं की विशेष समस्या पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी कन्या भ्रूणहत्या, बाल विवाह जैसी कई समस्याएं कुछ क्षेत्रों में कम और कुछ में अधिक है। इन समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए।

जैन जागृति परिषद द्वारा प्रधान कार्यालय पर मानवाधिकार और जैन संस्कृति विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सिटीजन्स एसोसिएशन फॉर राइटस के महामंत्री मानचंद खंडेला ने कहा कि जैन धर्म के सत्य, अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, क्षमा और अनेकान्तवाद जैसे सिद्धांत पूरी तरह मानवमात्र की समानता और मानवाधिकारों की रक्षा पर आधारित है। उन्होंने जैन समुदाय में अति अल्प आयु वाले बालक-बालिकाओं को संन्यास दिलवाना, कुछ लेन-देन के बाद जैनेतर समाज के व्यक्तियों को संन्यास लेने के लिए प्रेरित करने, संन्यास के अवसरों को महाउत्सवों के रूप में मनाने जैसी प्रवृत्तियों को दुर्भाग्यपूर्ण और दूसरे मानवों के प्राकृतिक अधिकारों का हनन बताया। परिषद के अध्यक्ष राजेन्द्र सेठी ने कहा कि आय का कुछ हिस्सा गरीबों एवं उपेक्षितों पर नियमित रूप से खर्च किया जाए तो सीमान्त स्तर से नीचे जीने वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों की रक्षा स्वतः हो जाती है।

दलित अधिकार केन्द्र के कार्यालय पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए केन्द्र के अध्यक्ष पीएल मीमरोठ ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को मानवाधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने, गरिमा व समानता पूर्वक जीने का अधिकार है। अगर कोई इन स्वतंत्रताओं में बाधा उत्पन्न करता है तो मानवाधिकारों का [illegible] होता है। एडवोकेट मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि द[illegible] को अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष [illegible] चाहिए और समाज में फैली दलित विरोधी रूढ़ि[illegible] बहिष्कार कर अपने स्वाभिमान व गरिमा पूर्ण [illegible] जीने पर जोर दिया।

एलबीएस महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्[illegible] में आयोजित संगोष्ठी में एडवोकेट नम्रता श्रेय ने कहा कि हमारे कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदेही हो। यह सुशसान का महत्वपूर्ण तत्व है। उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग की कार्य प्रणाली, महत्वता व शक्तियों से लोगों को अवगत कराया।

एलबीएस पीजी कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि हवामहल से चुने गए विधायक बृजकिशोर शर्मा ने कहा कि मानवाधिकार से तात्पर्य हैं सभी मानवों को उनके मौलिक अधिकारों से अवगत कराना तथा स्वतंत्रतापूर्वक व शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। यही मानवाधिकार का मुख्य उद्देश्य भी है। कार्यक्रम को सिविल लाइन्स से चुने गए विधायक प्रतापसिंह खाचरियावास, कॉलेज प्राचार्या डॉ. रेखा तिवारी व एनएसएस कार्डिनेटर मनु शरद पाठक ने भी संबोधित किया।

अग्रवाल पीजी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाइयों द्वारा अल्बर्ट हॉल से आरम्भ होकर न्यू गेट, त्रिपोलिया बाजार होते हुए बड़ी चौपड़ तक रैली निकाली गई। रैली में पीयूसीएल तथा युवा संस्था के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मौन जुलूस निकाला गया। प्राचार्य डॉ. जीडी लड़ीवाल ने बताया कि रैली के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने तथा आतंकवाद के खिलाफ जागरूकता उत्पन्न करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जेके जैन ने स्वयं सेवकों को

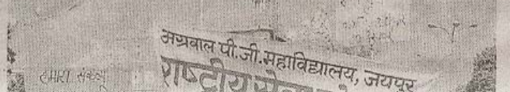

मानवाधिकार दिवस पर कांग्रेस मानवाधिकार की ओर से निकाली गई रैली में भाग लेते कार्यकर्ता।

समाचार जगत >> जयपुर >> 11 दिसम्बर, 2008

युवा अधिकारों के प्रति जागरुक रहें : आनन्द

भरतपुर, (निसं.)। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के उपलक्ष में बुधवार को जिला कलक्टर आनन्द कुमार की अध्यक्षता में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई।

गोष्ठी में जिला कलक्टर ने कहा कि स्कूली छात्र-छात्राओं एवं युवाओं को मानव अधिकारों की जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें अपने कर्त्तव्यों के बारे में भी बताया जाए। उन्होंने कहा कि नेहरू युवा केन्द्र ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें युवाओं में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरुकता आ सके। उन्होंने कहा कि आज युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक बनाने के साथ-साथ उनमें मानवीय गुणों के विकास की जरूरत है। उन्होंने जिले में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया जिससे कहीं मानवाधिकार हनन की कोई घटना घटित नहीं हो और ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

गोष्ठी में अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन रतन सिंह लाम्बा सहित शिक्षा, चिकित्सा एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। अन्तरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा भी एक गोष्ठी का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी अतुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में हुआ जिसमें मानव अधिकारों के प्रति लोगों में जागरुकता लाने पर चर्चा की गई। गोष्ठी में सर्वश्री उदयसिंह, ब्रजेश कुमार शर्मा, धर्मेन्द्र कुमार, सुक्काराम, महिला पर्यवेक्षक श्रीमती इन्दु सक्सेना, मधु सक्सेना, लता सक्सेना, सरोज यादव, ममता अग्रवाल आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

आवेदन : जिले के ऐसे पूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवाएं जिनके पुत्र या पुत्रियां तकनीकी महाविद्यालयों में अध्ययन रत है वे प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत निर्धारित प्रपत्र पर 31 दिसम्बर तक आवेदन कर सकेंगे। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल निहालाराम पूनिया ने बताया कि जो छात्र-छात्राएं मेडीकल, इन्जीनियरिंग, डेंटल, वेटनरी, एमसीए में अध्ययनरत हैं वे प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर इसे पूर्ति के बाद 31 दिसम्बर तक उनके कार्यालय में जमा करवा सकते हैं।

चुनाव नियंत्रण कक्ष समाप्त : विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए संभागीय आयुक्त कार्यालय में स्थापित चुना नियंत्रण कक्ष आज समाप्त कर दिया गया है। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त फतेहराम सोनी ने बताया कि विधानसभा चुनावों के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए संभाग कार्यालय में संभाग स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया था जिसे चुनाव कार्य सम्पन्न हो जाने के कारण आज समाप्त कर दिया गया है।

'Protect human rights'

HT Correspondent

STATE HUMAN Rights Commission chairman Justice NK Jain on Wednesday said, "We should protect human rights. It is somebody's right and somebody's duty thus both should be equally followed.

He was addressing a programme organised on 60th anniversary of International Human Rights Day in the city.

He said the commission through many books has tried to provide various legal information for protecting human rights, especially Dalits.

Justice Jain said to create awareness among common man about human rights, teachers along with students have important role. HTC

अधिकार चाहिए तो कर्तव्य भी निबाहें

केवल अधिकार मांगने से काम नहीं चल सकता। इसके लिए कर्तव्य पूरा करना भी जरूरी है। कर्तव्य और अधिकर एक दूसरे के पूरक हैं। सिटी भास्कर ने ह्यूमन राइट्स डे पर अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर जाना कि वे किस तरह से इसका निर्वहन कर रहे हैं?

सिटी रिपोर्टर

अपने अधिकारों को जानने और पाने के हर कोई संघर्ष करता है। कई दफा वह उनको पा लेता और जब वह उनको पाने में असफल रहता है, तब इसका मतलब दूसरों ने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

कर्मचारियों ने बचाई कम्पनी

एक कम्पनी डायरेक्टर राकेश कहते हैं, हमारी कम्पनी पर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कम्पनी को इस क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। मेरा कर्तव्य था कि मैं कर्मचारियों के हितों की रक्षा करूं और साथ ही कम्पनी को भी क्राइसिस से बाहर निकालूं। फिर मुझे एक ही रास्ता नजर आया कि मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करूं और मेरे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तो इस क्राइसिस से बाहर निकला जा सकता है। ऐसा हुआ भी जब मैंने अपने कर्मचारियों के पर्क्स में कुछ कमी करने की बात कही। उन्होंने इसे कम्पनी के हित में कर्तव्य मानते हुए स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही हमने कुछ खर्चों में अंकुश लगा लिया और हम क्राइसिस से बाहर आ गए।

मैं कर्तव्य निभाता रहा

टीचर क्लास में सभी को शिद्दत से पढ़ाता है, मगर मैरिट में कुछ ही स्टूडेंट्स ही आते हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट राजीव कहा कॉलेज पूरा होने के बाद सबको दो घंटे स्पेशल क्लास के लिए रुकना होगा। आधी से ज्यादा क्लास ने इसपर ध्यान नहीं दिया। कुछ बच्चे कहने लगे सर आप अधिकारों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। स्पेशल क्लास में मुझ सहित केवल पांच लोग ही थे। हमारी सोच थी कि सर हमारे हित में सोच रहे हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उनका कहना मानें। हमने माना और हमारे मार्क्स बाकी स्टूडेंट्स से ज्यादा आए क्योंकि जो टिप्स सर वहां हमें दिए वह दूसरों को नहीं मिल सके।

प्रीमियम खुद ही भर दिया

यंग बिजनसमैन अंकुर कहते हैं, मैंने एक प्राइवेट कम्पनी से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। मुझे पॉलिसी देने वाले एडवाइजर ने मुझे अश्योर किया कि वह मेरी पॉलिसी की टेककेयर करेंगे। मुझे हालांकि उस बात पर उतना विश्वास नहीं था कि क्योंकि मैंने ऐसे कई किस्से सुने थे कि पॉलिसी बेचने के बाद एडवाइजर क्लाइंट की कोई सुध नहीं लेता है। मैं अक्सर बिजनस के कामों में इतना बिजी हो जाता हूं कि इन सब बातों की ओर ध्यान ही नहीं रहता। एक बार मेरी पॉलिसी की ड्यू डेट निकल गई और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने बिना कोई सवाल पूछे उस एडवाइजर को बुरी तरह से लताड़ लगाई। मेरे फोन रखने के बाद उसका फोन आया कि आपका प्रीमियम तो मैं पहले ही भर आया था क्योंकि मुझे अपना

Human Rights come with a sense of duty, says Justice Jain

HT Correspondent

PROTECTION OF Human Rights of all is possible only when everybody has a sense of duty towards this. "We celebrate the International Human Rights Day on December 10 every year, but it is a pity that even today not many know about the day's importance," State Human Rights Commission chairman Justice NK Jain said.

Speaking to *HT Jaipur Live*, he said that not only the elite section, but people from urban and rural areas including youth, need to be involved in the awareness drive, so that a larger section of the society could be benefited, he said.

Awareness does not come merely by understanding human rights. For this, "we need to understand the meaning pf dignity of life. We have to be alert for protecting all sections of the society, the poor, Dalits, women, children and the deprived. Along with awareness we need to be sensitive.

The Human Rights Commission is concerned on all such issues. Apart from grievances addressed to the office, the Commission takes cognizance on the matters being reported in newspapers. It is not confined to any police, court or an individual. Anybody, whose rights are being violated, will be given an opportunity and appropriate guidelines are issued.

"It is unfortunate that 61 years after Independence people have not understood the human rights. Poverty, unemployment, illiteracy, social evils and superstitions are still prevalent. In such a scenario, some people are misusing the freedom and we have to struggle for the human rights of all," he said.

‘आंदोलन को रीढ़ की जरूरत’

आलमशाह खान की स्मृति में जन पुस्तकालय खोलने की घोषणा

आठवां राष्ट्रीय समता लेखक सम्मेलन शुरू

समता संदेश के तत्वावधान में आयोजित समता लेखक सम्मेलन में मंचासीन प्रतिष्ठित साहित्यकार वक्ता व उपस्थित गणमान्यजन।

उदयपुर, 2 फरवरी [कासं]

मानवाधिकार आंदोलन तभी सार्थक हो सकता है जब इसके पीछे एक स्पष्ट वैचारिक आधार हो। इसके अभाव में मानवाधिकार आंदोलन पर दमनकारी ताकतों का खतरा रहता है।

जिन कारणों से मनुष्य स्वयं को मारता है, अपने सपनों को स्थगित करता है, उनकी पड़ताल कर वैचारिक आधार पर जनता को लामबंद करने की जरूरत है।

ये विचार कथाकार व समानांतर कहानी आंदोलन के प्रणेता राजेन्द्र यादव ने समता संदेश के तत्वावधान में शनिवार को शुरू हुए आठवें राष्ट्रीय समता लेखक सम्मेलन में व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सपने तब आते हैं जब अपने आसपास, परिवेश में कोई ऐसी हलचल हो जिसके सहारे ऐसा लगे कि हम भविष्य तक पहुंच जाएंगे।

प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमला प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में देश में लोकतंत्र विरोधी शक्तियों ने क्रांति की हमारी विरासत को, गौतम बुद्ध को, कबीर को हथिया कर अपने हित में इस्तेमाल किया है।

उद्घाटन समारोह में न्यायमूर्ति एन.के. जैन, जमनालाल दशोरा, डॉ. हेमेन्द्र चंडालिया आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व सेठ ने अतिथियों का स्वागत किया।

सजीव सेवा समिति के महासचिव शांतिलाल भण्डारी ने आभार व्यक्त किया। आयोजन सचिव डॉ. चंडालिया ने कार्यक्रम का संचालन किया। कहानीकार आलमशाह खान की बेटी डॉ. तराना परवीन ने उनकी स्मृति में जन पुस्तकालय प्रारंभ करने की घोषणा की।

दशोरा को सम्मान

सम्मेलन में समाजवादी चिंतक, लेखक व शिक्षक नेता जमनालाल दशोरा को राष्ट्रीय समता सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान उन्हें कार्यक्रम अध्यक्ष न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने प्रदान किया।

‘आजादी के नाम पर शोषण’

प्रगतिशील लेखक संघ राष्ट्रीय महासचिव कमला प्रसाद ने कहा कि संविधान प्रदत्त मानवाधिकारों की रक्षा कर पाने में हम असफल रहे हैं। गरीबी को भाग्य का परिणाम बताया गया। विकास योजनाओं में आम लोगों का आत्म विश्वास बढ़ाने के कोई उपक्रम नहीं हुए। समता, बंधुता व स्वतंत्रता जैसे मूल्य आजादी के साठ वर्षों बाद भी अप्राप्य हैं। आधुनिक सोच से मीडिया भी प्रभावित है। करुणा पैदा करने वाली खबरों को भी विनोद की दृष्टि से प्रस्तुत कर मानवीय संवेदनाओं को मारा जा रहा है। औरत की आजादी के नाम औरत की बिक्री प्रारंभ हो गई है। इस सबके विरुद्ध संघर्ष की जरूरत है।

‘उपदेशों से नहीं आएगा मानवाधिकार’

न्यायमूर्ति एन.के. जैन ने कहा कि चर्चा व उपदेशों से मानवाधिकार नहीं आएगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था के केन्द्र में मानवाधिकार लाना होगा। शोषित व दलित वर्ग की आवाज मजबूत करनी होगी। मानवाधिकारों के संरक्षण में पत्रकारों को संयम और गंभीरता के साथ जुड़ना होगा। अधिकार की बात सभी करते हैं, लेकिन कोई भी कर्त्तव्य निभाना नहीं चाहता। कलम की ताकत मजबूत करने की जरूरत है।

धरे रह गए स्वप्न

शीर्ष कथाकार राजेन्द्र यादव ने कहा कि देश, समाज व मनुष्य को बदलने का स्वप्न बेअसर होने लगा है। लोगों को जोड़ने की गांधीवादी कोशिश का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता गया। गांधी के विचार मुक्ति के संघर्ष के लिए थे। मुक्ति की प्राप्ति के पश्चात वह विचारधारा भी युद्ध में काम आए हथियारों की तरह अप्रासंगिक हो गई।

‘मानव मूल्य हाशिये पर’

आयोजन सचिव डॉ. चण्डालिया ने कहा कि वैश्वीकरण के दौर में जनतांत्रिक मूल्य व मानवाधिकार हाशिए पर चले गए हैं। व्यवस्था अर्थ केन्द्रित हो रही है। ऐसे में लेखकों पत्रकारों व बुद्धिजीवियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

'अभी और सुधार की गुंजाइश'

कार्यालय संवाददाता
धौलपुर, 17 अक्टूबर

वैसे तो हालात सभी जगह कमोबेश सुधरे हैं। लेकिन अभी पूर्ण रूप से सुधार नहीं हुआ है। अभी और सुधार की गुंजाइश है। यह बात राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति एन.के. जैन ने कही। वे बुधवार को यहां सर्किट हाउस में पत्रिका से बात कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि राज्य के छठवीं कक्षा से ऊपर के 40 स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने माना कि ट्रायल के मामले जल्दी नहीं निबट रहे हैं। इनमें जागरूकता की अधिक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता पैदा करने की जरूरत है। स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा, पुलिस आदि विभागों को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ निभानी होगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए 13 किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जनजाग्रति के लिए पूरी मुस्तैदी से काम किया जा रहा है। पेंशन के मामलों को निबटारा काफी लचीले ढंग से हो रहा है। सेवानिवृत हो चुके हजारों लोग आज पेंशन के लिए दर-दर भटक रहे हैं, ऐसे लोगों के अलावा बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। इस अवसर पर धौलपुर के प्रभारी जज एन.के. जैन, विशिष्ट न्यायाधीश चन्द्रभान गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेन्द्र सिंह आदि मौजूद थे।

जेल का निरीक्षण किया

यह बात राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन के अलावा हाईकोर्ट के जज करणी सिंह राठौड ने बुधवार सुबह यहां जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान जैन ने कहा कि वैसे तो स्थिति ठीक है लेकिन अभी व्यवस्थाओ पर और ध्यान देने की जरूरत है।

धौलपुर के सर्किट हाउस में बातचीत करते राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन, हाईकोर्ट के जज करणी सिंह राठौड़ धौलपुर के प्रभारी जज जैन एवं अन्य।

News highlighted in leading news papers

ढाई दर्जन सिफारिशें फाइलों में

सरकार नहीं सुन रही मानवाधिकार आयोग की

शैलेन्द्र अग्रवाल

जयपुर, 21 जून। मामला चाहे चिकित्सकों के वार्ड में जाने का समय तय करने का हो या मानवाधिकार आयोग की शरण लेने वालों को पुलिस प्रताड़ना से बचाने अथवा एससी-एसटी बच्चों की 20 साल पहले तय छात्रवृत्ति बढ़ाने का, करीब ढाई दर्जन ऐसे विषयों पर राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सरकारी फाइलों में बंद हैं।

नालों की समय पर सफाई व भिखारियों के पुनर्वास की आयोग की सिफारिशों पर भी सरकार मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद चेती है। सचिवालय जैसे बड़े कार्यालयों के बाहर एवं अमर जवान ज्योति के आसपास पेशाबघर की सुविधा मुहैया कराने की सिफारिश भी पूरी होने का इंतजार कर रही है। मानवाधिकार आयोग की करीब ढाई दर्जन लम्बित सिफारिशों में से अनेक तो डेढ़ से दो साल पुरानी हैं, शेष में से भी अधिकतर पर एक साल से अधिक समय से शासन की नींद नहीं खुली है। बिना मान्यता कॉलेज चलने व किडनी रोगियों को आर्थिक सहायता के अभाव के मामले भी हाल ही आए हैं।

'जिस तरह मुख्यमंत्री के वक्तव्य आ रहे हैं, उससे आयोग की सिफारिशें पूरी होने की आशा है। जरुरत हुई तो सरकार को बचे हुए मामलों से अवगत कराया जाएगा।'

- एन.के. जैन, अध्यक्ष,
राज्य मानवाधिकार आयोग

प्रमुख मामले, जिनको अमल का इंतजार

- मरीजों के परिजनों को गार्डों की 'तू-तू, मैं-मैं' से बचाने के लिए एसएमएस अस्पताल के वार्ड में चिकित्सकों के राउण्ड तय समय पर हों व समय की सूचना जगह-जगह लगे।
- चिकित्सक के मरीजों से अधिक फीस वसूलने व रसीद नहीं देने पर प्रमुख चिकित्सा सचिव कार्रवाई करें।
- एसएमएस व अन्य अस्पतालों में जांच मशीनों को बंद होने से बचाने के लिए उनकी समय पर मरम्मत व रखरखाव हो।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग एसएमएस में स्पेशियलिटी वार्डों में स्टाफ व सुविधा बढ़ाए।
- मानवाधिकार आयोग में परिवाद लगाने वालों को पुलिस प्रताड़ना से बचाया जाए।
- अनुसूचित जाति-जनजाति के प्री-मैट्रिक छात्रों की छात्रवृत्ति 15 से 40 रुपए प्रतिमाह से बढ़े।
- समाज कल्याण छात्रावासों के बच्चों की खुराक की राशि बढ़े।
- शिक्षा विभाग स्कूलों में बच्चों से मारपीट रोकने के निर्देश दे।
- लोक मित्र काउण्टर पर जमा बिलों की रसीद स्पष्ट दिखने वाली हो।
- आवारा पशुओं को यातायात में बाधा बनने से रोकने के बंदोबस्त हों।
- सड़क निर्माण से पहले सम्बन्धित विभागों में समन्वय हो।
- हिरासत में मौत पर एफएसएल रिपोर्ट में देरी न हो।

Hunger

protect

Media Exposing The Operations Of State Human Rights Commission

अधिकारों के साथ हम कर्तव्यों पर भी ध्यान दें: जैन

जयपुर, 10 दिसम्बर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि मानवाधिकार संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत है कि हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, जैसा अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं, तभी मानवाधिकारों का वास्तविक रूप में संरक्षण संभव होगा। जैन गुरुवार को बिड़ला

ऑडिटोरियम में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हम सब अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालना नहीं करते। यदि हम अपने कर्तव्यों का ही पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे तो मानवाधिकारों का संरक्षण स्वत: ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश ने आजादी के बाद के 60 वर्षों में हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है, लेकिन मानवाधिकारों के क्षेत्र में हम आज भी जागरूक नहीं है, आज भी गरीबी, बेरोजगारी, कुप्रथाएं देश में व्याप्त हैं, जिनके चलते मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ये समस्याएं सहभागिता से ही दूर हो सकती है।

जैन ने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, इस दिशा में करीब 100 स्कूलों में प्रतिदिन प्रार्थना के समय अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संकल्प दोहराया जाता है। उन्होंने बताया कि आयोग ने विविध कानूनी विषयों और मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित बड़ी संख्या में किताबें प्रकाशित करवाकर आमजन में नि:शुल्क बंटवाई है, ताकि वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें।

इससे पहले कार्यशाला में ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.यू.दुआ ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए एसोसिएशन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाएं हैं और इसमें सफलता भी मिली है, लेकिन असामाजिक तत्व कई बार इस कार्य में बाधा बनते हैं।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में गृह मंत्रालय को भी सचेत किया गया है।

मानवाधिकार संरक्षण की शुरुआत परिवार से करें: महापौर

जयपुर, 10 दिसम्बर। महापौर श्रीमती ज्योति खंडेलवाल ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण की शुरुआत हमें सबसे पहले परिवार से करनी चाहिए. हमनें परिवार में सबके अधिकारों को संरक्षण कर लिया और सब अपने-अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहे तो मानवाधिकारों का हनन स्वत: ही बंद हो जाएगा। श्रीमती खंडेलवाल गुरुवार को सांगानेरी गेट स्थित अग्रवाल बीएड कॉलेज में मानवाधिकार संरक्षण पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि भाग-दौड़ की जिंदगी में हमारी संवेदनाएं पूरी तरह तो खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन दब जरूर गई हैं, इन संवेदनाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। संवेदनाओं के जागृत होने पर मानवाधिकारों का संरक्षण संभव है। महापौर ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण में महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी है, क्योंकि एक मां के रूप में मानवाधिकारों के संरक्षण की पहल महिला ही कर सकती है, वही बच्चों को कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने का संस्कार दे सकती है, लेकिन पुरुषों को भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। कार्यक्रम में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने कहा कि पढ़ने-लिखने के बाद भी हमारी मानसिकता नहीं बदली है, जिसके चलते मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हम आज भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं है। हम उच्च शिक्षित और समृद्ध तो हो गए, लेकिन अपने संस्कारों और कर्तव्यों को भूल गए, यही वजह है कि आज मानवाधिकारों के हनन की शिकायतें आती हैं।

जैन ने कहा कि मानवाधिकार आयोग कोई समानांतर कोर्ट या सरकार नहीं है, बल्कि आयोग तो यही अपेक्षा करता है कि लोकसेवक अपना कार्य पूरी निष्ठा एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने कहा कि हम दूसरों को सही करने की बात करते हैं, लेकिन खुद को सुधारने की बात कभी नहीं करते।

मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष ने दिखाई रैली को हरी झंडी

जयपुर, 10 दिसम्बर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एन.के. जैन ने गुरुवार को मानवाधिकार संरक्षण दिवस के अवसर पर सुबोध पब्लिक स्कूल की ओर से आयोजित मानवाधिकार संरक्षण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में बड़ी संख्या में बच्चे हाथों में मानवाधिकार संरक्षण एवं कर्तव्यों संबंधी संदेश लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे। रैली को लेकर बच्चों में खासा उत्साह था।

बिना जागृति मानवाधिकार सुरक्षित नहीं

मानवाधिकार पर राज्य सेमिनार, संभागियों ने किया पत्रवाचन

भास्कर न्यूज. झुंझुनूं. सेठ मोतीलाल विधि महाविद्यालय में बुधवार को हुमन राइट्स एंड नेशनल इंटरेस्ट विषयक राज्य स्तरीय सेमिनार हुई। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एनके जैन थे जबकि अध्यक्षता संस्था सचिव जीएल शर्मा ने की।

मोतीलाल शिक्षा केंद्र के प्राचार्य आरएल जैन, सेठ मोतीलाल पीजी कालेज के प्राचार्य डा. वीके शर्मा व उप प्राचार्य डा. आरके कटेवा विशिष्ट मेहमान के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन से हुआ। कालेज की छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गान प्रस्तुत किए। परिचय सत्र में ला कालेज प्राचार्य डा. अब्दुल हमीद ने मानवाधिकार पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति जैन ने कहा कि मानवाधिकार का संरक्षण बिना शिक्षा व जागृति के संभव नहीं है। इसके लिए जरूरी नहीं कि शोषित वर्ग ही आगे आए, शिक्षित वर्ग भी दूसरों के हितों की रक्षा के लिए पहल कर सकता है। सेमिनार में एलएलबी थर्ड ईयर की मीता पारीक, विजय चौधरी व विक्रम दुलड़, सैकंड ईयर के विमल मिश्रा, फर्स्ट ईयर के मुकेश अग्रवाल व शोकिन, बीएड कालेज के प्राचार्य प्रो. संजय मिश्रा, एसटीसी कालेज के प्राचार्य रामवतार शर्मा, प्रो. दिनेश कुमार सिंह आदि ने पत्रवाचन किया। प्रो. दिनेश गौतम ने धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन अतुल भटनागर ने किया। इस अवसर पर रविंद्र लाट, आसिफ अंसारी, देवेंद्रसिंह राठौड़ सहित ला व बीएड कालेज के विद्यार्थी

अधिकार के साथ ड्यूटी की बात भी करें : न्यायमूर्ति जैन

छठीं के पाठ्यक्रम में मानवाधिकार

भास्कर न्यूज. झुंझुनूं. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा मद्रास व कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रह चुके न्यायमूर्ति एनके जैन ने कहा कि अधिकारों के साथ ड्यूटी की बात करेंगे, तो ही मानवाधिकार का सपना साकार हो सकेगा। सेठ मोतीलाल कालेज में मानवाधिकार पर हुई राज्य स्तरीय सेमिनार में आए न्यायमूर्ति जैन ने एक विशेष भेंट में यह बात कही। उन्होंने बताया कि आज भारत में हर आदमी अधिकार की बात तो करता है लेकिन वह ड्यूटी नहीं निभा रहा। दरअसल यह भी किसी न किसी के मानवाधिकारों का हनन है। सही मायने में आदमी जानबूझकर मानवाधिकारों के साथ अनदेखी कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयोग के प्रयास से आगामी सत्र के पाठ्यक्रम में छठीं कक्षा से मानवाधिकार पर पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। न्यायमूर्ति जैन ने माना कि राजस्थान में मानवाधिकारों के प्रति जागृति आई है, जो खुशी का विषय है। बीते साल 11 हजार से अधिक मामले आयोग में आए। आयोग का भी यह प्रयास है कि वह समाज के शोषित वर्ग तक अपनी पहुंच बना सके।

नवज्योति Xpress

रैली निकाली

जयपुर। मानव-मानव एक है, मानव धर्म एक है, अधिकारों के प्रति जागरूक रहो, कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो आदि संदेशों के स्लोगन लिए स्टूडेंट्स मानवाधिकारों के प्रति चेता रहे थे। अवसर था, ह्यूमन राइट्स-डे पर सुबोध पब्लिक स्कूल में रैली के आयोजन का। रैली में स्कूल के लगभग एक हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति हमारी है। हम ही इसके निर्माता और हम ही इसके संरक्षक है। हमें ही इसे भोगना है अतः इसकी संरक्षा के लिए हमें कृत संकल्प रहना होगा। उन्होंने मानवता के प्रति समर्पण भाव रखने के लिए रैली में स्टूडेंट्स को शपथ दिलवाई। रैली से पहले अपनी-अपनी कक्षाओं में छात्रों को संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए जानकारी दी गई।

कहां से कहां तक निकली रैली

रैली में पांच-पांच सौ छात्रों के दो समूह बनाए गए थे। एक समूह को स्कूल से जेडीए सर्किल होते हुए यूनिवर्सिटी के पास गांधी सर्किल तक और दूसरे को स्कूल से रामबाग सर्किल होते हुए अम्बेडकर सर्किल तक जाना था। स्टूडेंट्स ने महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।

मानवाधिकारों के लिए जागरुकता की जरूरत

जयपुर। मानवाधिकार संरक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, हम दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, जैसा अपने प्रति दूसरों से चाहते हैं। तभी मानवाधिकारों का वास्तविक रूप से संरक्षण संभव होगा। यह कहना है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन का। जैन ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा हम सब अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालना नहीं करते। यदि हम अपने फर्ज का ही पूरी ईमानदारी के साथ पालन करेंगे तो मानव अधिकारों का संरक्षण स्वतः ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के 60 साल भी लोग इन अधिकारों से अनजान होने के कारण मानवाधिकारों के हनन का शिकार होते है। कार्यक्रम में जस्टिस एस.एन. भार्गव ने कहा कि मानवाधिकार की प्रक्रिया जन्म से नहीं बल्कि गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मां की कोख में पल रहे बच्चे को भी पर्याप्त पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है, यह उसका मानवाधिकार है। कार्यक्रम में पूर्व जस्टिस एन.एस. टिबरेवाल, एहरा के महासचिव एच.एस. तंवर, जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार मिश्रा, राज्य संयोजक अनिल मिश्रा, राज्य शाखा के सरंक्षक ओमप्रकाश मोदी सहित कई लोग उपस्थित थे।

राजस्थान में नेशनल हैड क्वार्टर बने

एहरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.यू.डुआ ने कहा कि राजस्थान में भी एहरा का नेशनल हैडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन की ओर से तीन मुद्दों पर कार्य किया जा रहा है। पहला भारत की राष्ट्रभाषा घोषित हो, दूसरा देशभर में यूनिवर्सल कानून लागू हो और हर व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान हो। उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं।

बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एन.के. जैन।

विकास के लिए अध्यात्म जरूरी

ब्रह्मकुमारी एसोसिएशन की शालू ब्रह्मकुमारी ने हर आदमी के लिए शांति पहली आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि विश्व के किसी भी कोने में जाओ पर अगर इंसान को शांति नहीं मिली तो वह आराम से नहीं रह सकता। शांति की मुख्य धारा अध्यात्म से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जब आप अध्यात्म से जुड़ते है तो आपके मन को शांति मिलती है।

जानने का हक

सूचना के अधिकार पर बोलते हुए निखिल डे कहा कि यह एक ऐसा साधन है, जिससे आप अपने हकों का अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। निखिल डे ने बताया कि सूचना के अधिकार की मांग सबसे पहले मजदूर वर्ग की ओर से उठाई गई। और इस वर्ग ने हमारा पैसा, हमारा हिसाब नारे के साथ मांग की कि हमें मजदूरी क्यों नहीं दी जा रही, इसकी जानकारी दी जाए। उन्होंने बताया कि यह अधिकार आपकी काफी समस्याओं को हल कर सकता है। इसलिए लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए।

रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिले

यूके की मोनिका वॉटर ने एजुकेशन और ह्यूमन राइट्स की जानकारी देते हुए कहा कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना होगा। तभी देश से बेरोजगारी मिट सकेगी। आज रोजगार के अभाव में लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार है। इसका कारण शिक्षा कारण है कि ऐसी शिक्षा पद्धति का अभाव जिससे रोजगार मिल सकता हो।

चिकित्सा में भी मानव अधिकार

स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार पर बोलते हुए चंडीगढ़ की डॉ. पूजा सबरवाल ने बताया कि अगर चिकित्सा जांच के दौरान कोई चिकित्सक अभद्र व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ मानवाधिकारों के हनन करने के लिए कार्रवाई की जा सकती है।

अग्रवाल बीएड कॉलेज में मानवाधिकार दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि।

Reciting the Pledge — fundamental duties mentioned in Article 51-A, Constitution of India

"We are proud to be Indian"

It shall be the duty of every citizen of India:

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals, which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement.

"BE AWARE OF YOUR RIGHTS AND DISCHARGE DUTY WITH DEVOTION ."

Chairperson : Justice N.K. Jain (Former Chief Justice - Madras and Karnataka High Court)

For Legal awareness and in Public Interest published by :
Rajasthan State Human Rights Commission, Jaipur

website : rshrc.nic.in, herenow4u.de http://justicenagendrakjain.com

Courtesy : Rajasthan State Co-operative Press Ltd., Jaipur
Phone : 0141-2751417, 2751352

HelpAge India Fighting isolation, poverty, neglect

BIBLIOGRAPHY…

YAHOO! INDIA

WIKIPEDIA Google

http://justicenagendrakjain.com

www.autherstream.com

unicef

NICE

www.nhrc.nic.in

www.unicef.co.in

www.rshrc.nic.in

- The students of different law university and colleges have prepared their respective projects during their internship under Rajasthan State Human Rights commission, Jaipur.
- They prepared their projects as per the material from different booklet of the commission and the martial obtain from different other sources/paper cuttings.
- We have compile, edited all the projects in one consolidated project.
- The same could be exhibited in School/Colleges/University and other places under legal literacy and awareness programme to the general public to know about human rights and duties, as per direction of the chairperson of the commission. However project on Cancer, Elderlay Person’s and Female Forticide and others are placed.

Anand Singh Rajpurohit, Pradeep Goyal, Jaipur

"The destiny of
human rights
is in the hands of all
our citizens in all our communities."
Eleanor Roosevelt

For Kind attention and Patient watching thanks on behalf of the commission
Secretary RSHRC Jaipur